खण्ड-221, अंक-3
शुक्रवार, 10 चैत्र, शक संवत् 1883
(31 मार्च, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 221 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ३१ मार्च, १९६१

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य (३४९)

अक्षयवरसिंह, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इरतजा हुसैन , श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गुईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अग्रवंश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दातारात चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिका प्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री

प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
विशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीर राम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री

रामदास आर्य, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लालबहादर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर सिंह, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री

सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री

हरदयालसिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ३१ मार्च, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गांधी मेमोरियल व एसोशिएटेड हास्पिटल्स, लखनऊ में सुनीलकुमार की मृत्य की जांच

**१—श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे क क्या स्थानीय, लखनऊ मेडिकल कालेज के गांधी मेमोरियल व एसोशियेटेड हास्पिटल्स में ह्मोफीलिया परप्यूरा (Haemophilia Purpura) की शिकायत वाले बच्चे सुनील कुमार को हाल ही में चोट लगने पर अस्पताल में भर्त्ती किया गया और ५ दिन तक उसके ब्लड ट्रान्सफ्यूजन न होने के फलस्वरूप बच्चे की मृत्यु हो गई ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—स्थानीय मेडिकल कालेज के गांधी मेमोरियल व एशोसिऐटेड हास्पिटल्स में ह्मोफीलिया परप्यूरा (Haemophilia Purpura) की शिकायत का एक बच्चा सुनील कुमार ८ फरवरी, १९६१ को रात के ३ बजकर ३० मिनट पर चोट लगने पर अस्पताल में भर्ती किया गया था। उसका देहान्त १३ फरवरी, १९६१ के सबेरे ४ बजकर ३५ मिनट पर हो गया। बच्चे को खून देने के लिये खून ११ फरवरी को दिन में १२ बजे के लगभग अस्पताल में आ गया था पर दिया नहीं गया। बच्चे की मृत्यु खून न देने से ही हो गई, यह तो विशेषज्ञ ही बता सकते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने एक पत्र द्वारा सरकार को यह सूचित किया है कि विश्वविद्यालय ने इस मामले में गम्भीर रूप अपनाया है और उसे अस्पताल के हास्पिटल्स बोर्ड आफ मैनेजमेन्ट के सुपुर्द कर दिया है। सरकार ने उन्हें लिखा है कि वह जांच करा कर फल से सरकार को अवगत करायें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जब सर्जिकल वार्ड में लड़का था उस समय का जो टेम्परेचर व पल्स वगैरह का कार्ड था वह गायब है और जब चिल्ड्रन वार्ड में वह रखा गया तो नर्स ने मैटरन को रिपोर्ट दी कि बच्चे के मुताल्लिक जो रजिस्टर थे वह भी गायब हैं और क्या यह भी पाया गया कि उसके मरने के टाइम पर ओवर राईटिंग हुई ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—सारा विषय विश्वविद्यालय के हास्पिटल्स बोर्ड आफ मैनेजमेन्ट के सुपुर्द किया गया था और हास्पिटल्स बोर्ड आफ मैनेजमेन्ट नें, जैसा कि उपकुलपति महोदय ने हमें सूचना दी है, उसे एक एक्सपर्ट कमेटी के सुपुर्द किया है। कमेटी के सदस्य हैं डा० एस० एस० मिश्रा, डा० बी० बी० भाटिया, डाक्टर एम० एल० गुजराल, डा० एस० बोस और डा० आर० सी० श्रीवास्तव। यह कमेटी इन तमाम बातों के सिलसिले में अपनी जानकारी प्राप्त करेगी और अपने सुझाव या जो उसका फैसला होगा, उपकुलपति महोदय को देगी और तब वह एग्जीक्यूटिव कौंसिल में इस मसले को रखकर निर्णय लेंगे कि इस सम्बन्ध में किसने क्या गलती की, किसकी क्या भूलें हुईं और क्या उस बच्चे की मृत्यु बिना ब्लड दिये हुये हुई।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने ब्योरे से पूछा था कि क्या ओवर-राइटिंग वगैरह हुई, यह ब्योरा आपको नहीं मालूम है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कुछ थोड़ा ब्योरा मेरे पास आया है लेकिन चूंकि यह मामला विशेषज्ञ कमेटी के सुपुर्द है, इसलिये मैं उसमें जाना नहीं चाहता।

श्री अध्यक्ष—यानी आप ब्योरा देना उचित नहीं समझते हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, मैं उचित नहीं समझता कि उस पर सरकार की ओर से कोई राय दूं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐज ए फैक्ट यह सही है कि उस लड़के को जो बीमारी हो गई थी उसके सम्बन्ध में डाक्टरों ने बतला दिया था उसके बाप को कि इसे चोट न लगने पाये और अगर जरा भी चोट लगे तो रश इन करो, ताकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा सके, यह बात उसके कार्ड में भी दर्ज थी? यदि हां, तो जब उसने रश इन किया तो २४ घंटे सर्जिकल वार्ड में रखा गया, लेकिन किया कुछ नहीं गया.....

श्री अध्यक्ष—मन्त्री जी ब्योरा देना नहीं चाहते।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने उत्तर में बतलाया कि ब्लड आ गया था लेकिन उसको दिया नहीं गया, तो ब्लड न देने का क्या कारण है?

श्री धर्मसिंह—उस समय उसको ब्लड देना जरूरी समझा गया जब उस बच्चे को वह बीमारी हो गई थी, लेकिन बाद में उसके लंग्स में कुछ कन्जेशन मालूम होता था तो डाक्टरों ने यह तय किया कि उस बीमारी में ब्लड देना मुनासिब नहीं है। ब्लड आ गया था लेकिन उससे पहले वह बीमारी नहीं थी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब वह बच्चा सर्जिकल वार्ड में एक दिन रहा तो ब्लड मंगाने की चेष्टा की गई और हैमोफीलिया परप्यूरा रोग के जांच करने की चेष्टा की गई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे ऐसा बतलाया गया कि जब यह बच्चा अस्पताल में आगया तो उस बच्चे के माता-पिता ने यह बतलाया कि यह बच्चा पहले भी अस्पताल में रह चुका था और उस समय उसे ब्लड दिया गया था और उसी बुनियाद पर ब्लड मंगा लेने का प्रयास किया गया और दूसरे विभाग को, जो ब्लड देते हैं, लिखा गया कि ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन जैसा मुझे बतलाया गया—मैं तो विशेषज्ञ नहीं हूं, डाक्टरों का कहना है कि शायद

ब्लड देने की उस समय कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हैमोफीलिया परप्यूरा में २.५ ब्लड जब था तो उस समय ब्लड देने की आवश्यकता थी, लेकिन बाद को वह ९.५ हो गया तो उस समय ब्लड देने की आवश्यकता नहीं थी। पहले जब २.५ था तो उस समय ब्लड देने की आवश्यकता थी, और उसको ब्लड दिया गया था। लेकिन बाद को ९.५ होने पर ब्लड नहीं दिया गया, यद्यपि ब्लड अवेलेबिल था।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस बोर्ड की उन्होंने चर्चा की है कि उपकुलपति, विश्वविद्यालय ने बैठा दिया है तो उसने जांच की कार्यवाही शुरू कर दी है या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह मेरे पास ३० मार्च, १९६१ का पत्र सुपरिन्टेन्डेन्ट, असोशियेटेड हास्पिटल्स का आया है। इससे ऐसा विदित होता है कि कल ही उसकी बैठक हुई थी, उसमें कुछ डाक्टरों की रिपोर्ट और सुपरिन्टेन्डेन्ट की रिपोर्ट के सिलसिले में बोर्ड ने लोगों से इन्टरव्यू किया था। इन्टरव्यू करने के बाद फिर ५ डाक्टरों की कमेटी, जो बोर्ड ने नियुक्त की है वह इस विषय पर विचार करेगी कि वह कब आया और किसने पहले देखा और कहां पर कोताही हुई। उसके बाद पूरी सूचना हास्पिटल बोर्ड आफ मैनेजमेंट उपकुलपति के पास भेजेगा और उपकुलपति एग्जिक्यूटिव कौंसिल को पेश करेंगे तब उसके बाद हमको जानकारी प्राप्त होगी। पूरी रिपोर्ट क्या है, तब मैं सदन को बता सकूंगा।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो बोर्ड नियुक्त किया गया है इसमें कितने डाक्टर मेडिकल कालेज के हैं और कितने मेडिकल कालेज के बाहर के हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इनमें दो डाक्टर, डा० बी० बी० भाटिया और डा० साधन बोस, बाहर के हैं। डा० आर० सी० श्रीवास्तव अस्पताल के सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं। दो डाक्टर, डा० एस० एस० मिश्र और डा० एम० एल० गुजराल, मेडिकल कालेज से सम्बन्ध रखते हैं।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंग कि इस प्रकार की अक्सर शिकायतें आती हैं कि डाक्टरों की असावधानी से काफी व्यक्ति मर जाते हैं और इस बारे में सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है। तो जांच के उपरान्त जो दोषी पाया जाय उसको एग्जेम्प्लरी पनिशमेंट देने की व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह प्रश्न व्यर्थ है। अभी जांच ही नहीं हुई और आपने मान लिया कि दंड देने की जरूरत है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्हें जो लंग्ज के कन्जेशन की ओपीनियन दी गई है, उसके साथ क्या यह भी उनको बतलाया गया है कि कोआगलेटिंग एजेन्ट, खून के जमने का जो एजेन्ट होता है, वह कम हो जाता है और उसे पूरा करने के लिये ब्लड दिया जाता है. उसका इस हार्ट या लंग्ज के कन्जेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता; यह ओपीनियन उन्हें मिली है या नहीं।

श्री अध्यक्ष---यह तो आप अपना डाक्टरी ज्ञान दिखा रहे हैं ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या उनको यह ओपीनियन मिली है कि कन्जेशन के लिये ब्लड देने की जरूरत होती है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष ---(मुख्य मन्त्री से) ऐसी कोई ओपिनियन आपको मालूम हो तो बता दें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस विषय में जितनी दिलचस्पी माननीय सदस्य ने ली है उससे कम सरकार ने नहीं ली है। जैसे ही अखबार में यह खबर आई वैसे ही मैंने वहां के सुपरिन्टेन्डेन्ट महोदय को बुला भेजा कि यह क्या बात है। जो बात अखबार में निकली है उससे मालूम होता है कि इसमें कुछ सत्यता है। अखबार में जो मैंने पढ़ा था और जो थोड़ी बहुत जानकारी मैं अस्पतालों के सिलसिले में रखता हूं, उसकी बुनियाद पर मैंने उनसे कहा कि मुझे इसमें कुछ गड़बड़ मालूम होती है। कहीं न कहीं, किसी न किसी व्यक्ति ने असावधानी की है। इस पर उन्होंने अपनी एक राय भी दी। वह राय मैं नहीं बतलाना चाहता, क्योंकि यह मामला एक कमेटी के समक्ष जायगा। उस पर मैंने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिये और इसे देखना चाहिये और उसके बाद ही उन्होंने उपकुलपति को अपनी राय लिखी और फिर हास्पिटल्स बोर्ड आफ मैनेजमेंट की कल बैठक हुई, और उसमें इन तमाम बातों पर विचार हुआ। उसके बाद ही इस विशेषज्ञ कमेटी की नियुक्ति हुई है। मैंने यह बात इसलिये कही कि यदि कहीं इस प्रकार की लापरवाही दिखाई दे तो उसके सिलसिले में इंक्वायरी कराने का तो सरकार का कर्त्तव्य है ही, किन्तु उसके बाद यदि वह यह देखेगी कि उसमें किसी व्यक्ति की लापरवाही दिखाई देती है, जिसके कारण ऐसी घटना हुई है, तो उसे वह उचित प्रकार का दन्ड भी देगी।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की मांगें

*१---श्री गोविन्दसिंह विष्ट, श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़), श्री मदन पाण्डेय (जिला गोरखपुर) तथा श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या २६ फरवरी, १९६१ को उत्तर प्रदेश के करीब २,००० राजकीय सहायता प्राप्त प्राइवेट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की मांगों के सम्बन्ध में लखनऊ में प्रदर्शन किया ? यदि हां, तो उनकी क्या मांगें हैं तथा सरकार इन पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा उप-मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---जी हां। उनकी मांगों की सूची† संलग्न है। इनमें से कुछ मांगे, जैसे माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं का उत्तरोत्तर राष्ट्रीयकरण अथवा जिले में एक माध्यमिक जिला बोर्ड की स्थापना आदि, कुछ ऐसी मांगे हैं जिनपर पूरी छानबीन की आवश्यकता होगी, कुछ मांगें, जैसे अध्यापकों को निःशुल्क चिकित्सा या छट्टी आदि ऐसी मांगें हैं जिन पर सक्रिय विचार हो रहा है। कुछ मांगें जैसे महंगाई भत्ते की समानता या अध्यापकों के आश्रितों को निःशुल्क शिक्षा आदि, पर समय-समय पर विचार होता रहा है, किन्तु वित्तीय कठिनाइयों से उनको पूरा किया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---यह जो निःशुल्क चिकित्सा, छुट्टी की बात पर सरकार विचार कर रही है, यह विचार कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव---चिकित्सा संबंधी विचार तो जल्दी ही पूरा हो जायग ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---मान्यवर, काफी पहले यह घोषणा की गई थी कि शिक्षकों को चिकित्सा की सुविधा सरकार ने दे दी है फिर अब तक यह सुविधा उनको उपलब्ध नहीं हो पाने का क्या कारण है ?

---

†नत्थी छापी नहीं गयी ।

श्री रामस्वरूप यादव---बजट में इस संबंध में व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन कुछ चिकित्सा विभाग से और वित्त विभाग से परामर्श लेना पड़ता है और चिकित्सा विभाग अभी पूरे आंकड़े नहीं तैयार कर पाया है, इसलिये आदेश नहीं जारी हो सके हैं ।

श्री मदन पाण्डेय---११ मांगों की जो सूची है उस के संबंध में बतलाने की कृपा करेंगे कि उसमें से क्या एक भी मांग ऐसी है जिस पर निश्चित रूप से विचार हो चुका है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, कुछ सुविधाएं तो पहले से ही प्राप्त हैं । बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जैसे वे कहते हैं कि प्रबंध में दो रेप्रेजेंटेटिव होने चाहिये, वे पहले से मौजूद हैं और कुछ एक मांगें इस प्रकार की हैं कि समान शिक्षकों के लिये समान वेतन हो । तो जे० टी० सी० और एल० टी० आदि के बारे में यह माने जा चुके हैं और कुछ के लिये विचार हो रहा है । सब के लिये यदि आप आज्ञा दें तो मैं पढ़ दूं, सूची बहुत लम्बी है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार बतायेगी कि उसे यह सूचना है कि भारत सरकार का शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षकों को अधिक महंगाई भत्ता देने के लिये तत्पर है ? यदि हां, तो उनकी शर्तें क्या हैं और क्या सकार उन शर्तों का लाभ उठाने जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके बारे में कुछ भ्रम पैदा हो गया है । यह बात सही है कि केन्द्रीय सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि महंगाई भत्ता बढ़ा कर दिया जाय लेकिन उनका कहना यह है कि वह, जो हमारा प्लान-बजट है, उसी के अन्दर से दिया जाय । इसलिये इस समय हमारे लिये वह देना सम्भव नहीं है, क्योंकि इसके लिये हमको २३ करोड़ रुपये की जरूरत होगी जब कि प्लान का बजट ४६ करोड़ है । जितना सम्भव होगा, उतना हम अवश्य करेंगे ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---कुछ मांगों की चर्चा यहां की गई है, उनके अलावा जिनकी चर्चा नहीं हुई है उसमें क्या यह भी मांग थी कि माध्यमिक शिक्षा के व्यवस्थापकों ने कानपुर में हाल ही में जो आपत्ति प्रकट की थी और उसके बारे में कानपुर में हाल ही में माननीय शिक्षा मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि जो मौजूदा कानून है वह अधूरा और अध्यापकों को अधिक सुविधायें मिल रही हैं और उसमें परिवर्तन किया जा रहा है, तो क्या उस आश्वासन को भी वापस लेने की मांग थी ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, उसके सुधार का भी प्रश्न चल रहा है । जो शिकायतें हैं उनको भी हल करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन ११ मांगों में जो ऐसी मांगें हैं जिनका वित्तीय मामले से कोई संबंध नहीं है, जैसे उनका रेक्रूटमेंट, उनका पनिशमेंट, उनका अनुशासन, तथा स्त्री अध्यापिकाओं के लिये बच्चा होने के समय अवकाश आदि, इस प्रकार की सुविधायें देने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने तो निवेदन किया कि छुट्टी आदि देने के बारे में तो विचार हो रहा है । इस संबंध में उनका जो यह सुझाव है कि जिला स्तर पर एक उनका बोर्ड बनाया जाय, जो उनकी पदोन्नति आदि के बारे में विचार करे, यह कुछ हद तक सम्भव नहीं है । वैसे तो ऐक्ट के अन्दर संशोधन हो भी चुके हैं और उसके अनुसार ही मैनेजमेंट पर नियंत्रण है । जो सम्भव हो सकता है वह हम कर रहे हैं ।

[३१ मार्च, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१–२––श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)––[४ अप्रल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३–४––श्री मदन पांडेय––[२९ मार्च, १९६१ को प्रश्न १३–१४ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये ।]

*५––श्री मदन पांडेय तथा श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)––[हटा दिया गया ।]

*६–८––श्री ऊदल––[११ अप्रैल, १९६१ के लिये प्रश्न ३–५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*९–१०––श्री ताराचन्द माहेश्वरी––[१४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

जालौन तथा झांसी जिलों में प्रोबेशन अफसरों पर व्यय

*११––श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बुन्देलखंड के चारों जिलों में किस-किस जिले में प्रोबेशन अफसर हैं और वे कितने कितने समय से वहां काम कर रहे हैं तथा उनकी मातहती में कितना-कितना स्टाफ है ?

समाज कल्याण उप-मंत्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)––बुन्देलखंड के केवल दो जिलों, जालौन तथा झांसी में प्रोबेशन आफिसर इस समय कार्य कर रहे हैं । वे झांसी में मई, सन् १९४८ से तथा जालौन में मार्च, सन् १९५० से कार्य कर रहे हैं । उपर्युक्त इन दो जिलों में प्रत्येक प्रोबेशन आफिसर के अधीन एक लिपिक तथा एक चपरासी कार्य करते हैं ।

*१२––श्री लक्ष्मणराव कदम––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त प्रोबेशन अफसरों व उनके स्टाफ का वार्षिक व्यय क्या है तथा किस-किस जिले में गत तीन वर्षों में कितने कितने प्रोबेशनर थे ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद––झांसी तथा जालौन के प्रत्येक जिले में प्रोबेशन आफिसर तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतन, महंगाई भत्ता मिलकर वित्तीय वर्ष १९५९–६० में क्रमशः ८,०३९.७९ तथा ६,८६८.५१ रु० का व्यय हुआ है ।

जालौन प्रोबेशन कार्यालय पर कुल वार्षिक व्यय उक्त वित्तीय वर्ष में ७,१०१ रु०, ५१ नये पैसे तथा झांसी प्रोबेशन कार्यालय पर ८,२२० रु०, ३५ नये पैसे रहा । सन् १९५८, १९५९, १९६० में झांसी में कुछ प्रोबेशनरों की संख्या क्रमशः १२७, १३५ व १०२ थी और जालौन में क्रमशः ६४, ८१ तथा ९६ थी ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)––क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रोबेशन ऐक्ट को सारे प्रदेश में व्यापक रूप से लागू करके बुन्देलखंड में बाकी जिलों में प्रोबेशन अफसर की नियुक्ति हो सकगी ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद––तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १९ जिलों में और लगाने पर सरकार विचार कर रही है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम––इस बात को देखते हुये कि सन् १९६० में झांसी व जालौन जिलों में प्रोबेशन स्टाफ व उनके कार्यालयों पर, केवल लगभग २०० प्रोबेशनरों के लिये क्रमशः १६,२३२ व १३,९७८ रुपये और कुल मिला कर ३०,२१० खर्च हुआ, इस प्रकार

लगभग १०, १२ वर्षों से जो अनुचित व्यय हो रहा है उस को बन्द करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--अभी कुछ विचार नहीं कर रही है । अगर माननीय सदस्य कुछ लिखकर देंगे तो विचार किया जा सकता है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--जब सरकार इस व्यय को अनुचित मानती है तो इसे अविलम्ब समाप्त करने में क्या कठिनाई है उसे बताने की मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--सरकार उसे अनुचित नहीं मानती है । मान तो उचित रही है, तभी व्यय कर रही है ।

***१३-१४--श्री उग्रसेन**--[१४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

राजनीतिक पीड़ितों के आश्रितों को निःशुल्क शिक्षा देने की प्रार्थना

***१५--श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार इस पर विचार करने की कृपा करेगी कि राजनीतिक पीड़ितों के आश्रितों को कक्षा ६ से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक की शिक्षा निःशुल्क कर दी जावे ?

श्री रामस्वरूप यादव--स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के आश्रितों को कक्षा ६ से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक की शिक्षा निःशुल्क तथा अर्ध-शुल्क करने के बारे में संशोधित आदेश १० मार्च, सन् १९६१ को शिक्षा निदेशक को भेज दिये गये हैं ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--संक्षेप में वे संशोधित आदेश क्या हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--पहले इसमें लगभग १,९४,००० रुपये का प्राविधान हुआ करता था । इस वर्ष ३,७९,००० रखा गया है । इसमें कुछ तो वजीफे बढ़े हैं, जो छठे दर्जे से लेकर रिसर्च तक के विद्यार्थियों को दिये जावेंगे । फीस के माफी के भीआदेश जारी किये हैं । अभी तक ८ वें दर्जे तक थी, आगे भी सुविधा दी जावेगी, जो रुपया सरकार की ओर से दिया जायगा उसी के द्वारा ।

श्री गनेशचन्द्र काछी--राजनीतिक पीड़ितों के आश्रित सरकार किन-किन को मानती है ?

श्री रामस्वरूप यादव--यह सुविधा उनको मिलती है जिनकी ३०० रुपये मासिक से कम आय है, राजनीतिक पीड़ितों के लड़के और वे पौत्र जिनके पिता न रहे हों या स्टेप चिल्ड्रेन हों । यह सीमित कर दिया गया है, जैसा कि केन्द्रीय सरकार ने आदेश दिया ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--क्या मंत्री जी यह स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि कितने दिनों की सजा पाये हुये लोगों को सरकार राजनीतिक पीड़ित मानती है ?

श्री रामस्वरूप यादव--६ महीने की सजा हुई हो या किसी आन्दोलन में उनकी मृत्यु हो गई हो ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या मंत्री जी कृपया स्पष्ट करेंगे कि किन लोगों के पिता मरने से उनका आशय है ?

श्री अध्यक्ष--उन्होंने पौत्र के पिता कहा ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या सरकार ऐसा प्रबन्ध करेंगी कि देहात के प्रार्थना-पत्र वालों को भी, अगर उनके पास जेल का सर्टिफिकेट हो, बिना किसी सिफारिश के सुविधा मिल जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह सर्टिफिकेट जरूर है कि स्वतंत्रता-संग्राम के सैनिक होने चाहिये और ३०० रुपये से कम वार्षिक आय हो ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कक्षा ६ के विद्यार्थी जो जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके संबंध में भी क्या सरकार ने वही नियम लागू करने के आदेश दे रखे हैं जो दर्जा ६ के हायर सेकेन्डरी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—दर्जा ६ की फीस तो हर एक की माफ है ।

*१६-१८—**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**—[७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर, लखनऊ के कार्यालय में पुराने गजटेड अफसर

*१९—**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर, लखनऊ के कार्यालय में कितने गजटेड अधिकारी तीन वर्ष से अधिक समय से, १ फरवरी, १९६१ को एक ही स्थान व एक ही पद पर काम कर रहे थे ?

परिवहन मंत्री (श्री मजफ्फर हसन)—पांच ।

जनरल मैनेजर, यू० पी० गवर्नमेन्ट रोडवेज के कार्यालय में गबन

*२०—**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ), (अनुपस्थित)—क्या लखनऊ रीजन के जनरल मैनेजर, यू० पी० गवर्नमेन्ट रोडवेज के कार्यालय में १९६० में कोई बड़ा भारी गबन हुआ था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—सन् १९६० में कोई गबन नहीं हुआ परन्तु १९५९ में गबन के तीन मामलों की रिपोर्ट हुई । संबंधित अधिकारी मुअत्तल कर दिये गये हैं और दो मुकदमें अदालत के सामने विचाराधीन है । एक मुकदमें में संबंधित अधिकारी अदालत से रिहा हो गये ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५९ के गबन के सम्बन्ध में क्या जनरल मैनेजर पर यह भी अभियोग है कि उन्होंने १० हजार के फर्जी वाउचर पर दस्तखत कर दिया था ?

श्री अध्यक्ष—यह मामला तो अदालत में चल रहा है, इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किन किन अधिकारियों पर कार्यवाही हो रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—एक क्लर्क है, उसके ऊपर कार्यवाही चल रही है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५९ में जो रुपये की गड़बड़ी पाई गई वह कितने रुपये की गड़बड़ी है और उसमें कुछ गबन भी है ?

नोट—तारांकित प्रश्न २० श्री उग्रसेन ने पूछा ।

श्री मुजफ्फर हसन—उसमें दो बिल तो थे बिजली कम्पनी के जिनकी मजमुई रकम १,२०० रु० होती है, वह रुपया जमा करा लिया गया है और जिसके ऊपर इल्जाम था उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है । दूसरा मामला ९,८८८ रु० का है ।

परिवहन विभाग में अनसूचित जातियों के अधिकारी

*२१—**श्री सुखरामदास** (जिला फैजाबाद)—क्या मंत्री, परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के अन्तर्गत रोडवेज विभाग में प्रदेश में कुल कितने सामान्य सर्व-प्रबन्धक, सहायक सर्वप्रबन्धक, ट्राफिक सुपरिन्टेन्डेन्ट्स या स्टेशन सुपरिन्टेन्डेन्ट्स तथा असिस्टेन्ट ट्राफिक इन्स्पेक्टर्स हैं तथा उनमें पृथक-पृथक कितने अनुसूचित जातियों के लोग हैं?

श्री मुजफ्फर हसन—वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २९५ पर)

*२२—**श्री सुखरामदास**—क्या मन्त्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उपर्युक्त पदों पर वह शीघ्रातिशीघ्र १८ प्रतिशत के अनुसार अनुसूचित जातियों के संरक्षण की पूर्ति करने पर विचार कर रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो कब तक यह संरक्षण पूरा हो जायगा?

श्री मुजफ्फर हसन—अनुसूचित जातियों के संरक्षण को पूरा करने का सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इस वक्त यह बताना मुमकिन नहीं है कि संरक्षण कब तक पूरा हो जायगा ।

श्री सुखराम दास—संरक्षण होते हुये भी क्या सरकार इसके कारण बताने की कृपा करेगी कि इतने कम हरिजन क्यों उन पदों पर हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—इनमें से ज्यादातर पब्लिक सर्विस कमीशन से चुने गये हैं और काफी तादाद ऐसी है जो इस सर्क्युलर से पहले मुकर्रर किये जा चुके थे।

श्री सुखरामदास—पब्लिक सर्विस कमीशन में कितने हरिजन आये और उनमें से कितने लिये गये?

श्री मुजफ्फर हसन—यह तफसील मेरे पास नहीं है ।

*२३-२४—**श्री प्रतापसिंह**—[१४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

मोटर टायरों में चोर बाजारी

*२५—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार के पास अभी हाल ही में इस आशय की शिकायतें आई हैं कि आजकल मोटर टायरों में बहुत ब्लेक मारकेटिंग हो रहा है? यदि हां, तो सरकार ने उसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां, यह मामला राज्य सरकार के अख्तियार में नहीं है । इस विषय में भारत सरकार उचित कार्यवाही कर रही है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—भारत सरकार ने यह हिदायत की है कि टायर बनाने वाली कम्पनीज के डीलर्स का एक एसोसियेशन बन जाय और जिन लोगों को टायर की जरूरत है उनकी ७५ फी सदी टायर की मांग लिख ली जाय और इस हिसाब से उन्हें दिया जाय।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि टायर में ब्लैक मार्केटिंग इसलिये हो रहा है कि सरकार ने कम्पनियों को यह आदेश दे रखे हैं कि पहले अपने कोटे की पूर्ति कर दें तब मार्केट में सप्लाई करें ?

श्री मुजफ्फर हसन—मुझे इसकी इत्तला नहीं है।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारत सरकार के अलावा अगर स्टेट गवर्नमेंट खुद इस मामले में दिलचस्पी ले तो आसानी से ब्लेक-मार्केटिंग रोका जा सकता है ? वह इस तरह से कि सेल्स टैक्स हर टायर पर लिया जाता है, इसलिये सेल्स टैक्स रसीद से उसकी पकड़ की जा सकती है और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। यह चीज लखनऊ में ही होती है, तो क्या इसके रोकने की चेष्टा करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—माननीय सदस्य अगर इस चीज को लिख कर भेज दें तो कोशिश की जायगी।

*२६—**श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह** (जिला गोंडा)—[१४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

राजकीय दीक्षा विद्यालय, सिसेंडी का किराया

*२७—**श्री भगवतीसिंह विशारद**—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजकीय दीक्षा विद्यालय, सिसेंडी, जिला लखनऊ इस समय किराये के भवन में लग रहा है ? यदि हां, तो उक्त भवन का मासिक किराया क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। किराया ६०० रु० प्रतिमास है।

*२८—**श्री भगवतीसिंह विशारद**—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय के लिये राजकीय भवन निर्मित हो चुका है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि प्रश्नगत राष्ट्रीय दीक्षा विद्यालय के लिये भवन निर्माण की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या भवन निर्माण का कार्य शुरू हो गया है ? अगर शुरू हो गया है तो कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—राष्ट्रीय दीक्षा विद्यालय के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा एक भवन का निर्माण बख्शी के तालाब में हो रहा है। उसमें बिजली लगने, हैंड पम्प लगने और पुराने भवन के नवनिर्माण का कार्य अभी बाकी है। उसके पूरा होने पर जब शिक्षा विभाग को वह सौंप दिया जायेगा तब इस केन्द्र को वहां भेजे जाने के लिये विचार किया जायगा।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से सरकार को कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्रदान किया जा चुका

है, लेकिन उसको ६ महीने हो गये फिर भी दीक्षा विद्यालय किराये के मकान में चल रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव—अभी वह भवन हमें नहीं मिला है । मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि वहां दो दीक्षा विद्यालय हैं, एक निगोहा में और दूसरा सिसेंडी में। जब वह बन जायगा तब यह विचार किया जायगा कि कौन विद्यालय वहां भेजा जाय, क्योंकि भवन एक ही बन रहा है ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उक्त भवन बन जाने के बाद बिल फाइनल कर दिये गये और उनका पेमेन्ट भी कर दिया गया, फिर क्या वजह है कि ६ महीने से अभी तक उसको हैंड ओवर नहीं किया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—अभी उसमें बिजली नहीं लगी है, हैंड-पंप नहीं लगा है । पुरानी इमारत भी अभी ठीक नहीं हुई है । यह हो सकता है कि पुराने काम का पेमेन्ट हो गया हो ।

नगराम-निगोहां सड़क पर बस सर्विस के लिये आश्वासन

*२९—**श्री रामशरण यादव** (अनुपस्थित)—क्या मंत्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि लखनऊ जिले में नगराम–निगोहां रोड पर सरकारी बसें कब तक चलाई जायंगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—यदि कोई कानूनी दिक्कत न हुई तो जल्द ही सरकारी बसें इस मार्ग पर चलने लगेंगी ।

हरदोई कारागार की मरम्मत पर विचार

*३०—**श्री राजेन्द्रसिंह** (जिला हरदोई)—क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई कारागार में अन्दर की लगभग ७ दीवारें टूट गई हैं और बन्दियों के भाग जाने का डर है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या प्रबन्ध किया है ?

आबकारी मंत्री (डाक्टर सीताराम)—हरदोई कारागार में अन्दर की ३ दीवारें टूट गई हैं किन्तु उससे बन्दियों के भाग जाने का कोई विशेष डर नहीं है । टूटी हुई दीवारों के पुनर्निर्माण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

*३१—**श्री राजेन्द्रसिंह**—क्या आबकारी मंत्री को ज्ञात है कि हरदोई जिला कारागार में बिजली की आवश्यकता के लिये वहां के अधिकारी शासन को बराबर लिखते रहे हैं? यदि हां, तो वहां बिजली पहुंचाने में शासन को क्या अड़चन है ?

डाक्टर सीताराम—जिला जेल, हरदोई में बिजली की व्यवस्था है, अतः वहां बिजली पहुंचाने में अड़चन का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्रसिंह—क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब बिजली शहर में है तो जेल में पहुंचने में दिक्कत क्यों हो रही है ?

डाक्टर सीताराम—यह प्रश्न के उत्तर में ही बता दिया गया है कि वहां पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है। एक पोर्शन में बिजली नहीं है जिसके लिये जेलर ने आई० जी० प्रिजन्स को प्रोपोजल भेजा है ।

श्री राजेन्द्रसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बातयेंगे कि जेल की जो दीवारें टूट गयी हैं उनको क्यों नहीं बनवाया जा रहा है ?

डाक्टर सीताराम---उनको बनवाने में ८ हजार से ज्यादा रुपया खर्च होगा। बरसात से पहले अप्रैल-मई के महीने में ये बन जायेंगी ।

श्री रामायणराय---क्या सरकार इस कारागार की शेष दीवारों को तोड़ कर इसको ओपेन कैंप में बदलने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस कारागार की दीवारें कितने दिनों से गिरी पड़ी हैं, जिनकी अभी तक मरम्मत नहीं हो पायी ?

डाक्टर सीताराम---अक्तूबर, सन् १९६० में भीषण वर्षा की वजह से दीवारें गिरीं ।

*३२-३३---श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---[१४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गय ।]

*३४-३५---श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)---[१४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३६-३७---श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---[१४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

स्त्रियों एवं बालिकाओं के अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम का प्रवर्त्तन

*३८---श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्त्रियों के अनैतिक व्यापार को रोकने का कानून देश में किन-किन जिलों और शहरों में लागू हो चुका है ?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)---स्त्रियों एवं बालिकाओं के अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, १९५६ को राज्य के निम्नलिखित १५ जिलों में लागू किया जा चुका है :---

(१) गोरखपुर (२) वाराणसी (३) लखनऊ (४) मेरठ (५) देहरादून (६) अल्मोड़ा (७) आगरा (८) मथुरा (९) इलाहाबाद (१०) कानपुर (११) इटावा (१२) अलीगढ़ (१३) सहारनपुर (१४) मुरादाबाद (१५) बरेली ।

*३९-४०---श्री श्यामलाल (जिला मथुरा)---[५ अप्रैल, १९६१ के लिये प्रश्न ६६-६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*४१---श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद) [१४ अप्रैल ,१९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४२---श्री होरी लाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)---[१४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

श्री राजनारायण के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री एस० जी० दत्त ने एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया है। मैंने उससे सम्बन्धित कार्यवाही देखी और मैं यह उचित नहीं समझता हूं कि उसके लिये इजाजत दी जाय। लेकिन मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कार्यवाही में से ऐसे अपशब्द जो कि परस्पर एक दूसरे के मुकाबले में कहे गये, वे वहां से निकाल दिये जायेंगे, जैसे एक सदस्य ने यह कहा कि तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं और दत्त जी ने तातारी जी का नाम लेकर कहा था कि शायद उनसे एक सदस्य की रिश्तेदारी हैं। तो ऐसी बातें कार्यवाही में नहीं रहेंगी। मैं समझता हूं कि यह अनुचित है कि माननीय सदस्य एक दूसरे के लिये "तुम" कह कर एक तो पुकारें और उसके बाद भी कहें कि अमुक व्यक्ति तुम्हारे रिश्तेदार भी है। इसलिये मैंने निश्चय किया है कि ऐसे वाक्य उसमें से निकाल दिये जायेंगे जिसमें यह न मालूम पड़ें कि किसी सदस्य ने ऐसी भी बात कही थी सदन में और बात यहीं खतम हो जायगी। अब मैं प्रश्न उठाने की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय मेरा थोड़ा सा निवेदन सुन लिया जाय। मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—श्रीमन्, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि जब आपका एक आदेश हो चुका है तब फिर उस प्रश्न को क्यों उठाया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—यह आपने कैसे निर्णय कर लिया कि वे उसी पर कहेंगे ? हो सकता है कि कोई दूसरी बात वे कहना चाहते हों।

श्री एस० जी० दत्त—अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि एक तो अखबार में यह निकल चुका है कि मेरे रिश्तेदार ने झंडा फाड़ने वाले को छुड़ाया और प्रश्न यह है कि ब्रीच आफ रूल इज ए ब्रीच आफ प्रिविलेज (Breach of rule is a breach of privilege)

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत आप को नहीं दे रहा हूं, आप बैठें।

श्री एस० जी० दत्त—अगर आप नहीं सुनेंगें तो मैं यही कहूंगा कि—

न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की है,
घुट के मर जांय यह मर्जी मेरे सैयाद की है।
अगर आप मेरी शिकायत नहीं सुनते तो .....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर बैठें। मैं आप को इजाजत नहीं दे रहा हूं, आप तो बहस कर रहे है।

श्री एस० जी० दत्त—मैं बहस नहीं कर रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा .....

श्री अध्यक्ष—आप निवेदन भी नहीं कर सकते। जो प्रश्न आपने उठाया वह मैंने सुन लिया। उस का जवाब यह है कि ऐसी चीज आप के बारे में किसी अखबार में छप गई कि आप के किसी रिश्तेदार ने झंडा फाड़ने वाले को छड़ाया....

श्री एस० जी० दत्त—श्रीमन्, यह चीज .....

श्री अध्यक्ष—आप बैठें मैं वही बता रहा हूं कि अगर ऐसी बात छप गई है तो उसका प्रतिवाद अखबार वाले छाप सकते हैं कि आपके रिश्तेदार ने ऐसा नहीं किया और किसी को नहीं छुड़ाया। यह बात स्पष्ट है कि अखबार वालों को प्रतिवाद छापना चाहिये।

श्री एस० जी० दत्त—आप उन को आदेश दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, मैं आदेश देता हूं कि अखबार वाले कृपा कर छाप दें कि उनके रिश्तेदार ने ऐसा नहीं किया ।

श्री रामस्वरूप वर्मा द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—यह एक श्री रामस्वरूप वर्मा का कार्य-स्थगन प्रस्ताव है उसकी मैं इजाजात नहीं दे रहा हूं ।

कानपुर में आग लगने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष—कानपुर में आग लगने के विषय में नियम ५२ के अन्तर्गत श्री रामस्वरूप वर्मा, श्री गोविन्दसिंह विष्ट तथा श्री भुवनेशभूषण शर्मा ने एक प्रश्न भेजा है । उसको मैंने लिया है और उसके ऊपर वक्तव्य माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जो बता दें कि कब देंगे ।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—अध्यक्ष महोदय, यह पत्र अभी थोड़ी देर हुई मुझे मिला है अभी पूरी सूचना इस विषय में उपलब्ध नहीं है । मैं सोमवार को इस पर वक्तव्य दे दूंगा ।

नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषयों के सम्बन्ध में प्रार्थना

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, कानपुर के मजदूरों का प्रश्न कई दिन से टल रहा है, कुछ स्पष्टीकरण हो जाता ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—एक, श्रीमन्, मेरा भी था ।

श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)—श्रीमन्, एक मेरा शाहजहांपुर का बहुत महत्व का था .....

श्री अध्यक्ष—एक दिन में एक ही तो ले सकते हैं, कल आप का अवश्य लिया जायगा ।

१९६१-६२ के लिये मंत्रियों को परामर्श देने वाली २५ स्थायी समितियों, प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति के निर्वाचनार्थ कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष—मुझे सदन को यह सूचना देना है कि १९६१-६२ के लिये मंत्रियों को परामर्श देने वाली २५ स्थायी समितियों-प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिये मैंने यह कार्यक्रम स्वीकार किया है कि :

नाम-निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय	..	१७ अप्रैल, १९६१ के सायंकाल ५ बजे तक ।
नाम-निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा	..	१९ अप्रैल, १९६१ को २ बजे सचिव, विधान सभा के कमरे में ।
नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय	..	२६ अप्रैल, १९६१ को सायंकाल ५ बजे तक ।

निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो दिनांक ४ मई, १९६१ को विधान वाचनालय में १२ बजे से ५ बजे तक होगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मुझे करना है कि मैंने पहले भी कहा था कि इन समितियों की एक भी बैठक नहीं हुई है, साल खत्म होने जा रहा है, इसलिये एक बैठक तो हो जाती नहीं तो यह कागज पर ही रह जायंगी। आप ने आदेश भी दिये थे कि करना चाहिये, लेकिन.....

श्री अध्यक्ष---अब तो सभी स्थायी समितियां इस सदन में बैठी हैं, सभी सदस्य बैठे हुये हैं।

श्री उग्रसेन---आपकी पाबन्दी लगी हुई है, श्रीमन्।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---यह स्थाई समितियां तोड़ दी जांय।

श्री अध्यक्ष---माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर ध्यान रखें कि अगले साल के लिये जब यह स्थायी समितियां बनें तो कुछ कार्य भी करें। पारसाल वे बैठी ही नहीं, इस कारण लोगों को बड़ी शिकायत रह गई। जहां तक प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति है उन्होंने तो कार्य किया और प्रतिवेदन भी दिये।

उत्तर प्रदेश लाभ प्रद विषयक संयुक्त समिति के निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष---एक सूचना और है। उत्तर प्रदेश लाभपद विषयक संयुक्त समिति के जो सदस्य निर्वाचित हुए हैं उनके नाम इस प्रकार है:---

१---श्री अब्दुलरऊफ लारी	सदस्य, विधान सभा
२---श्री उबैदुर्रहमान वकील	
३---श्री कैलाशप्रकाश	
४---श्रीमती चन्द्रावती	
५---श्री जगदीशशरण अग्रवाल	
६---श्री धनुषधारी पांडेय	
७---श्री श्यामलाल यादव	
८---श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल	
९---श्री सोहनलाल धुसिया	
१०---श्री हुकुमसिंह विसेन	
११---श्री अजयकुमार वसु	सदस्य, विधान परिषद्
१२---श्री पूर्णचन्द्र विद्यालंकार	
१३---श्री पृथ्वीनाथ सेठ	
१४---श्री रामनाथ	
१५---श्री महाराजसिंह भारती	

इसके सभापति श्री हुकुमसिंह विसेन, न्याय मंत्री होंगे।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, इसका सभापति तो गैर-सरकारी होगा।

श्री अध्यक्ष---इस साल तो सरकारी होगा चूंकि पहली समिति है, उसकी व्यवस्था बन जाय तब भविष्य में देखा जायगा। इसलिये मैंने न्याय मंत्री को ही रखा है कि उसमें वे न्याय कर दें।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---हम तो न्याय ही करते हैं, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष---करते हैं या नहीं करते, जब विरोधी दल के लोग कहें तो मान लूंगा।

*१० मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न ४२ से सम्बद्ध एक अनुपूरक प्रश्न का शोधित उत्तर

शिक्षा उप-मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—अध्यक्ष महोदय, दिनांक १० मार्च, १९६१ को श्री रामसुन्दर पांडेय द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४२ के सम्बन्ध में श्री रामसुन्दर पांडेय ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या मंत्री जी को जानकारी है कि प्रदेश की कितनी प्रतिशत संस्थाओं की यह प्रशासन योजना स्वीकार हुई है ?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि यह कुल १,४८५ हैं जिनकी प्रशासन योजना आई है, ९५७ बालकों की और १२७ बालिकाओं की और उसमें से १४६ बालकों और १४ बालिकाओं की संख्याओं के स्वीकार हो गये हैं और ७२.६६ प्रतिशत ने भेज दी है।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है:

प्रदेश में कुल १,४८५ विद्यालय ऐसे हैं जिन्हें प्रशासन योजना प्रस्तुत करनी थी। इनमें १,२९६ बालकों तथा १८९ बालिकाओं के हैं। इन विद्यालयों में से १४६ बालकों तथा २४ बालिकाओं के विद्यालयों ने प्रशासन योजना ग्रहण कर ली है। ३१ जनवरी, १९६१ तक ९५७ बालकों तथा १२२ बालिकाओं की संस्थाओं ने योजनायें प्रस्तुत की हैं। इस प्रकार ७२.६६ प्रतिशत विद्यालयों ने अपनी प्रशासन योजनायें शिक्षा विभाग की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की हैं।

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २९६ पर।)

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। १० मार्च, १९६१ को माननीय मंत्री जी ने एक प्रश्न का उत्तर दिया जिसका शोधन वक्तव्य वह आज दे रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न पूछना जैसा हमारा अधिकार है उसी प्रकार सरकार का सही उत्तर देने का कर्तव्य है और अगर गलती से सही उत्तर नहीं दिया गया तो उसकी दुरुस्ती दूसरे दिन हो जानी चाहिये और वह इसलिये हो जानी चाहिये कि जो उत्तर दिया जाता है वह पत्रावली में दी हुई सूचना पर निर्भर करता है। अगर गलती हो गई तो शाम तक विभाग को मालूम हो जानी चाहिये और दूसरे दिन उसकी दुरुस्ती हो जानी चाहिये, और जो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है वह नहीं होना चाहिये। गलत जवाब दे देने से उसका कितना भार एक्सचैकर पर पड़ता है इसका आप अन्दाज लगा सकते हैं और इसका विभागों पर कितना असर होता है। इसलिये भविष्य के लिये आप व्यवस्था कर दें कि पहले तो उनका उत्तर गलत होना ही नहीं चाहिये, और अगर हो जाय तो उसकी दुरुस्ती दूसरे ही दिन हो जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—अगर दूसरे दिन उन्हें पता लग जाय तो दूसरे दिन दे दें। हमारी तरफ से कार्यवाही उनको भेज दी जाती है संशोधन के लिये। कार्यवाही देख कर मंत्रिगण को ज्ञात हो कि उत्तरों में कोई गलती हो गयी है तो उसका शोधन शीघ्रातिशीघ्र सदन में दे दें।

अन्तरिम जिला परिषद् के चुनाव के संबंध में जानकारी की मांग

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—विविध मंत्रियों द्वारा जो वक्तव्य है उसके अन्तर्गत में एक सूचना चाहता हूं। अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक जो सदन में पेश हुआ था उस वक्त स्वशासन मंत्री ने कहा कि वह इसे जल्दी से जल्दी पास कराना चाहते हैं ताकि अन्तरिम जिला परिषद् के लिये जो प्रतिनिधि चुने जायेंगे उनका चुनाव जल्दी हो सके। दो हफ्ते पहले अधिनियम बन चुका है। तो स्वायत्त शासन मंत्री जी जो मौजूद हैं क्या बतलाने की कृपा करेंगे कि अब सरकार को क्या कठिनाई है और उस सम्बन्ध में उसका क्या कार्यक्रम है ताकि उस सम्बन्ध में जो तैयारी हमें करनी है वह कर लें ?

---

*१० मार्च, १९६१ की कार्यवाही में तदनुसार संशोधन कर दिया गया।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—अभी कोई तिथि निश्चित नहीं हुई है, ले कन इतना संकेत दे सकता हूं कि मई के दूसरे हफ्ते के पश्चात् कार्य आरम्भ होगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—माननीय मंत्री जी ने पहले घोषणा की थी कि होली के ठीक दो दिन पहले चुनाव करा देंगे, लेकिन अब मई आ गयी। इस तरह से दो महीने बढ़ गये।

१९६१-६२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—

अनुदान संख्या १—वृहत जोत-कर

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान होगा।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १, वृहत जोतकर के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर ३,०१,१०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—इस पर कोई विवाद नहीं होगा।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १, वृहत जोतकर के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर ३,०१,१०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २—भू-राजस्व (मालगुजारी) तथा अनुदान संख्या ३७—

दुर्भिक्ष सहायता

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २—भू-राजस्व (मालगुजारी) के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर ६,३६,५२,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३७, दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर ३२,०५,८०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, हस्ब दस्तूर मैं इन मांगों को पेश करते हुए कोई लम्बी तकरीर देना नहीं चाहता। बजट का साहित्य वितरित हो चुका है, हमारे माननीय सदस्यगण ने उसे देखा होगा। माननीय सदस्यों को काफी वक्त मिले इसलिये मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। वे अपने-अपने सुझाव दें ताकि मैं उनसे लाभ उठा सकूं। इसलिये मैं ज्यादा न कह कर यह आशा करूंगा कि माननीय सदस्य जब इन अनुदानों पर अपने विचार प्रकट करें तो हमें कुछ सुझाव देने की कृपा करें ताकि हम उनसे लाभान्वित हो सकें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं समय के बंटन के सम्बन्ध में एक निवेदन कर दूं कि कटौती के प्रस्तावक महोदय को २५ मिनट दिये जायं और वक्ता महोदय को १५ मिनट दिये जायं और बाद में अगर जरूरी समझा जाय तो १० मिनट कर दिये जायं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि हर एक ग्रांट के पीछे समय अलग-अलग रखा जाय क्योंकि कोई ग्रांट बहुत छोटी है, उसके प्रस्तावक को अगर.....

श्री अध्यक्ष---आज तो दोनों एक साथ ली गयी हैं। मैं समझता हूं कि इस विषय में हम लोग रोज तय कर लिया करें। आज एक ही व्यक्ति कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करेगा इसलिये वह कहते हैं कि २५ मिनट का समय उनको दिया जाय।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---इस वर्ष श्रीमन् ने एक नयी पद्धति की थी। जो हमारा नो-कांफीडेंस का प्रस्ताव आया था उसमें जिसका कागज पहले पहुंच गया उसके नाम पर हुआ। पहले यह होता था कि नेता विरोधी दल के नाम से होता था। अब की श्रीमन् ने कहा कि नेता विरोधी दल का प्रस्ताव बाद में आया है और चूंकि राजनारायण जी का पहले पहुंच गया है लिहाजा वह पहले लिया जायगा। तो इसी तरह से कटौती के प्रस्ताव भी जिसके पहले आयें वह पहले लिये जायं।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इसके बारे में पद्धति पहले से चालू कर दी गयी थी। कई वर्षों में इस बारे में बहस हो चुकी और यहां की प्रथा यह हो गयी कि विरोधी दल के नेता के नाम से कटौती का प्रस्ताव रहेगा और फिर बटवारा इस तरह से हो जायगा कि कभी कोई दल के नेता या सदस्य उस कटौती के प्रस्ताव को उपस्थित कर दें और कभी नेता विरोधी ल स्वयं करें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---यह तो हमें मान्य है, लेकिन श्रीमन् ने इसको बदल दिया। नेता विरोधी दल चाहे बाद में भी नो-कांफीडेंस का प्रस्ताव देते थे, लेकिन उनका पहले लिया जाता था....

श्री अध्यक्ष---नो-कांफीडेंस के प्रस्ताव के बारे में इस तरह की प्रथा नहीं पड़ी थी, मैंने यह उसी रोज बतला दिया था। लेकिन इसमें प्रथा पड़ चुकी है इसलिये इसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

माननीय भीखालाल, आपको २५ मिनट मिलेंगे।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २---भू-राजस्व (मालगुजारी) के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

अलाभकर जोतों का लगान माफ होना चाहिये। लगान वसूली गांव सभाओं के माध्यम से हो। उसका २५ प्रतिशत उन्हें दिया जाय। सरकार की वर्तमान भू-अभिलेख नीति गरीब किसानों के हित में परिवर्तित हो, भूमि अर्जन के नियम सरल हों।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३७---दुर्भिक्ष सहायता के अधीन मांग की राशि में एक रुपये की कमी कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

दुर्भिक्ष सहायता सम्बन्धी व्यय की वसूली नहीं होनी चाहिये, दुर्भिक्ष रोकने के लिये उचित व्यवस्था होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, माननीय माल मंत्री जी ने इस अनुदान को प्रस्तुत करते हुए अपने कोई विचार सदन के सम्मुख नहीं रखे और हम लोगों को राजस्व विभाग की इस कार्य-विवरण पुस्तिका के अन्दर ही सीमित कर दिया जो हम लोगों को दी गयी है। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो राजस्व विभाग के कार्य-विवरण की पुस्तिका हम लोगों को दी गयी है दो-तीन साल से हम देखते आ रहे हैं कि यह इतनी सूक्ष्म और नामुकम्मिल होती जा रही है कि पूरे विभाग के कार्य-विवरण की तस्वीर हमारे सामने नहीं आ पाती। हमारे पास पिछले सालों की भी रिपोर्टें मौजूद हैं। जो रिपोर्ट इस साल की दी गयी है यह केवल २१ सफों की है। इसके विपरीत दूसरे सालों की रिपोर्ट सवा सौ सफे और इससे ज्यादा की हैं।

इस साल की रिपोर्ट में हमको इस विभाग की पूरी तस्वीर सामने नजर नहीं आती और इसमें बहुत-सी ऐसी चीजों को छोड़ दिया गया है जिनका जिक्र होना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर भू-अभिलेखों में गलतियों की जांच के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये, कहां तक जांच की गई, कितनी गलतियां निकलीं, कितना परसेंटेज था, इन चीजों का इस रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं किया गया है। हर साल जो जमीन का रकबा बोया जाता है उसमें कमीबेशी हुआ करती है तो इसमें जिक्र होना चाहिये कि अगर कमी हुई तो किस कारण से और अगर बेशी हुई तो किस कारण से, इसका कोई जिक्र नहीं है। ग्राम समाज के कार्य-विवरण की व्यवस्था का कोई जिक्र नहीं है, ग्राम समाज के पास कितनी जमीन है, कितना बन्दोबस्त किया और कितनी जमीन पर बन्दोबस्त करना है, इसका भी कोई जिक्र नहीं है। यहां तक कि इसमें ग्राम समाज का नाम तक नहीं लिया गया है। माल विभाग के अधिकारियों के पास जो मुकदमे होते हैं जैसे दुरुस्ती कागजात के, बंटवारे के, और किस अदालत में कितने मुकदमे पेंडिंग हैं इसका कोई ब्यौरा नहीं है। इसके अलावा मालगुजारी की वसूलयाबी में जो कोअर्सिव मेजर्स के लिये जाते हैं, उनका कोई जिक्र नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस ओर ध्यान दिया जाय और रिपोर्ट मुकम्मिल आनी चाहिये ताकि हमें विभाग की पूरी तस्वीर मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग के जिस अनुदान पर आज हम बहस कर रहे हैं, उसकी नीति का प्रभाव प्रदेश की ७५ प्रतिशत जनता पर पड़ता है जो कृषि से सम्बन्ध रखती है और जिस तरह से सरकार नीति तय करती है उसके अनुसार किसान की आर्थिक व्यवस्था बनती या बिगड़ती है। सरकार का यह दावा है कि उसने भूमि-व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन किये हैं। उनकी कसौटी हमारे सामने यह है कि प्रदेश में गल्ले का उत्पादन बढ़ा है या नहीं और दूसरे यह कि हमारे यहां किसानों की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हुई है या नहीं। इन दोनों कसौटियों पर भूमि सुधारों को रखने से सही तस्वीर हमारे सामने आयेगी कि यह भूमि सुधार किसानों के हित में हुए हैं या नहीं।

मान्यवर, इस प्रश्न की गहराई में जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, वह यह कि राजस्व विभाग और कृषि विभाग का एक नजदीकी सम्बन्ध है। राजस्व विभाग कृषि सम्बन्धी, भूमि सम्बन्धी नीति तय करता है और कृषि विभाग उस नीति के अन्तर्गत कृषि का विकास करता है और गल्ले की पैदावार बढ़ाने के लिये साधन उत्पन्न करता है। इसलिये दोनों को अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता। इस प्रकार का सदन में सुझाव दिया गया कि इन दोनों विभागों को एक ही मंत्री के अधीन रखा जाय। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। यह होना बहुत आवश्यक है और ऐसी दशा में और भी आवश्यक हो जाता है जब कि दोनों विभागों के चलाने वालों की नीतियों में टकराव हो। हम देखते हैं कि माल विभाग जो नीति रखता है कृषि विभाग उसका विरोध करता है। जैसे माल मंत्री जी हदबन्दी या सहकारिता खेती की नीति अपनाते हैं तो कृषि मंत्री उनका विरोध करते हैं। ऐसी दशा में इन दोनों विभागों को एक ही मंत्री के पास रहना चाहिये। कृषि मंत्री क्यों विरोध करते हैं, यह समझ में नहीं आता। माल मंत्री जब हमारी सहकारी खेती, या हदबन्दी की एक्सरे करते हैं तो उनके सामने यह तस्वीर आती है कि प्रदेश में खाद्यान्न बढ़ेंगे, देश में किसानों की उन्नति होगी, किसानों की आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी। लेकिन जब हमारे कृषि मंत्री जमीन का बटवारा और सहकारी खेती का एक्सरे करते हैं तो उनके सामने तस्वीर आती हैं कि इनसे हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ेगी, खाद्यान्नों की कमी होगी और किसान गरीब होगा। ऐसी परिस्थिति में इन दोनों विभागों का एक साथ रहना बहुत जरूरी है। मैं नहीं समझता कि जब इस प्रकार की नीतियों में मंत्रि-मंडल के स्तर पर विरोधाभास है तो प्रदेश की हालत क्या होगी? लेकिन यह चीजें चल रही हैं। क्यों चल रही हैं, इसका कारण मैं यही कह सकता हूं कि यह हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है और कुछ नहीं।

[श्री भीखालाल]

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले कहा था हमारी सरकार का दावा है कि प्रदेश में कृषि व्यवस्था में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—हम दावा नहीं करते हैं।

श्री भीखालाल—मंत्री जो कहते हैं कि हम दावा नहीं करते हैं, लेकिन जो पुस्तक उनके विभाग की तरफ से मिली है, उसमें यह दावा किया गया है। हमारे प्रदेश में जो भूमि सुधार हुए हैं वह मोटे तौर पर यह हैं—सबसे पहला भूमि सुधार जमींदारी का खातमा हुआ। दूसरा भूमि सुधार ग्राम समाजों की स्थापना, तीसरा भूमि सुधार चकबन्दी का लागू करना, चौथा भूमि सुधार जोतों की हदबन्दी और पांचवां भूमि सुधार सहकारी खेती की नीति को अपनाना। ये भूमि-सुधार हैं। सहकारी खेती और जोतों की हदबन्दी अभी पूरे तौर से लागू नहीं हुई है इसलिये मैं नहीं कह सकता कि जनता पर इनका क्या असर पड़ेगा और क्या नहीं पड़ेगा।

जहां तक जमींदारी विनाश का सम्बन्ध है उसका उद्देश्य हमारे सामने यही था कि किसानों और सरकार के बीच जो मध्यवर्ती हैं उनको समाप्त किया जाय। दूसरा उद्देश्य यह था कि जमीनों के ऊपर जो चन्द व्यक्तियों की इजारेदारी है, उसको खत्म किया जाय और किसानों का जो शोषण जमींदारों द्वारा होता है उसको खत्म किया जाय। अगर हम इसको इस कसौटी पर रख कर देखें कि जमींदारी खात्मे के बाद इन उद्देश्यों की कहां तक पूर्ति हुई है, तो हम सही स्थिति में पहुंचेंगे कि इस भूमि सुधार का हमारे प्रदेश की जनता पर अच्छा असर पड़ा या बुरा असर पड़ा।

जहां तक मध्यवर्तियों को खत्म करने का सवाल है इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि मध्यवर्ती समाप्त हुए। इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि किसानों को कुछ जमीनों पर अधिवासी और सीरदारी के अधिकार मिले। लेकिन साथ ही साथ यह भी मानना पड़ेगा कि वह अधिवासी और सीरदारी अधिकार जिन किसानों को मिले उनकी जमीनें ज्यादातर छीनी गयीं, उनके पास से वह निकल गयीं और उन जमीनों को केन्द्रीकरण फिर कुछ बड़े जमींदारों और काश्तकारों के पास हो गया। जमीनों को इजारेदारी फिर से शुरू हो गयी। अगर हम इसके सम्बन्ध में कुछ आंकड़ों पर गौर करें तो स्थिति का ठीक तौर से पता चलेगा। जमींदारी खात्मा कमेटी की रिपोर्ट में लिखाया गया था कि जमींदारी खत्म होने के बाद करीब साढ़े ३३ लाख एकड़ जमीन पर किसानों को अधिवासी और सीरदारी के अधिकार मिलेंगे। उसके बाद यह तादाद धीरे-धीरे घटती गयी। हमारी सरकार जो अनुमान लगाती है वह कदम-कदम पर खत्म होता जाता है जैसा कि हम रोज देखते हैं। १९५१–५२ में माननीय चौधरी चरणसिंह, जो भूतपूर्व माल मंत्री थे उन्होंने कहा कि यह जो अधिवासी के अधिकार मिलेंगे वह केवल साढ़े २५ लाख एकड़ जमीन पर मिलेंगे। वह ३३ लाख एकड़ से घट कर साढ़े २५ लाख एकड़ रह गयी।

सन् १९५२–५३ में जमींदारी खत्म हुई और उसके बाद कुल केवल २१ लाख एकड़ पर अधिवासियों को अधिकार मिले। कहा तो यह गया था कि ३३ लाख एकड़ जमीन पर उनको अधिकार मिलेंगे लेकिन वह २१ लाख एकड़ ही रह गया। इसके बाद सन् १९५४-५५ की जो माल-विभाग की रिपोर्ट है उससे स्पष्ट होता है कि यह अधिवासी किसानों का रकबा जो कि २१ लाख एकड़ था वह घट करके सवा उन्नीस लाख एकड़ रह गया। और आगे चलकर धीरे-धीरे यह और घटता गया। उन अधिवासियों के पास से जमीन निकलती गई और बड़े-बड़े किसानों के पास केन्द्रित होती गई, बड़े-बड़े किसान उस पर अपना कब्जा करते गए, यह सरकार उसको रोक नहीं पायी। उसका प्रोसेस किस तरह से चला वह मैं सदन में रखना चाहता हूं।

सन् १९५२–५३ से १९५६–५७ तक जमींदारी खात्मे के चार-पांच साल बाद तक यह क्रम जो जमीनों के निकलने का चला उसमें करीब १० लाख ६० हजार एकड़ जमीन ट्रांसफर

इत्यादि के जरिये से छोटे किसानों के पास से बड़े किसानों के पास पहुंच गई । इसमें ४ लाख ३७ हजार एकड़ जमीन वह थी जिसको कि व्यक्तिगत किसानों ने विक्रय के जरिये से ट्रांसफर किया और ६ लाख एकड़ वह थी जो कि अधिवासियों की थी और जिस पर कि उनको सीरदारी के अधिकार मिलने वाले थे लेकिन वह जमीन उनके कब्जे से निकलकर बड़े-बड़े किसानों के पास चली गई । वह किस तरह निकली कि सन् १९५४ में जमींदारी एबालीशन ऐंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट में एक संशोधन हुआ कि जितने अधिवासी किसान हैं उनको सीरदारी के अधिकार दिये जायं । जैसे ही यह संशोधन हुआ उसके होने से पहले और बाद में अधिवासियों की जमीनों पर जमींदारों ने जबर्दस्ती कब्जा करना, अदालतों में जबर्दस्ती बयान दिलवाना, किसी न किसी प्रकार उसे अपने नाम ट्रांसफर करवाना शुरू किया । इन्हीं दो सालों में बहुत ज्यादा तादाद में जमीन उनके पास से निकली ।

सन् १९५५–५६ और १९५६–५७ में करीब सवा चार लाख एकड़ जमीन बड़े-बड़े किसानों के पास पहुंच गई और यह सरकार उसको नहीं रोक पाई ।उस कानून में इतने लूपहोल्स रखे गए थे कि जिनके जरिये से इन छोटे-छोटे किसानों की जमीनों पर बड़े-बड़े किसानों ने कब्जा कर लिया । उनकी बेदखलियां हुईं, जबर्दस्ती कब्जे किये गये और जबर्दस्ती उनको मार-मार कर बयान दिलवाये गए । इस तरह से जमींदारी खात्मे के बाद, जो एक छोटे किसानों की रक्षा करने का सवाल था वह तो हुआ नहीं, उल्टे उनकी जमीनें उनके पास से निकल-निकल कर बड़े-बड़े किसानों के पास पहुंच गईं । उनके पास जाकर वह केन्द्रित हुई और केन्द्रीकरण फिर से शुरू हुआ । इस तरह से हमारी कृषि व्यवस्था ने एक पूंजीवादी विकास की व्यवस्था पकड़ी और भूमि-सुधारों ने एक पूंजीवादी व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त किया ।

इसके अलावा, मान्यवर, अगर हम और देखें तो हमको और बड़े भारी परिवर्तन ऐसे नजर में आयेंगे कि जिससे कि यह जमीनों का केन्द्रीकरण कुछ चन्द आदमियों के हाथों में हुआ है । मान्यवर, सन् १९४६–४७ में ५० एकड़ से ऊपर के खातेदारों के पास केवल ६०,८४४ एकड़ जमीन थी । इनकी संख्या जो सन् १९४६–४७ में ४०१ थी वह १९५४–५५ में बढ़कर के ११,५४८ हो गई और रकबा १४, लाख ८७ हजार एकड़ हो गया जो कि १९४६–४७ में ६०,८४४ एकड़ थी । यह चौधरी चरण सिंह जी की पुस्तक में दिया है । यह कैसे हुआ ? यह हमारे कानूनों की खामियों की वजह से हुआ । कानूनों से जो एक संरक्षण छोटे किसानों को मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया । उसमें ऐसा रास्ता रखा गया है कि बड़े-बड़े किसानों और जमींदारों को उसे हासिल करने और अपने पास केन्द्रित करने का मौका मिले । मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि सरकार की यह नीति है कि बड़े-बड़े किसानों और जमींदारों से सांठ-गांठ करके उनको फायदा पहुंचाया जाय और उनके साथ रियायतें की जायं, यह रवैया अनुचित है । इस तरीके से भी हम देखते हैं कि हमारी भूमि व्यवस्था में पूंजीवादी ढंग पर विकास हुआ है और भूमि केन्द्रित हो कर चन्द आदमियों के हाथ में पहुंची ।

इसके अलावा, मान्यवर, सरकार ने एक उपनिवेशीकरण की योजना चलाई । पहाड़ी इलाकों और तराई के जिलों में उपनिवेश खुले और उनमें कुछ लोगों को ले जाकर बसाया गया । कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रूप में और कुछ सरकार ने जमीनें तोड़ीं और सरकार ने जमीनें तोड़कर किसानों को दीं । इस योजना के मातहत ४७ से ५९ तक १,१३,१३२ एकड़ जमीन तोड़ी गयी और उस पर १०,१८९ परिवारों को बसाया गया । लेकिन इस योजना के मातहत, मान्यवर, जो भूमिहीनों और छोटे-छोटे किसानों को भूमि देने का सवाल था उनको १० और ५ एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं दी गयी ।

इसके विपरीत आज तराई के इलाकों में इन्हीं उपनिवेशों के अन्दर ऐसे ऐसे फार्म्स मौजूद हैं जिनमें ४ हजार तक एकड़ जमीन है । माल मंत्री कह सकते हैं कि यह जमीनें समितियों के मातहत हैं लेकिन वह समितियां कागज पर हैं, दिखावटी हैं । एक ही परिवार के सदस्य,

[श्री भीखालाल]

उनके नौकर चाकर लोग मिलकर उस समिति के सदस्य हैं लेकिन फिजिकली एक आदमी की ही वह चीज है । इस तरह से एक एक आदमी के पास चार-चार और पांच-पांच हजार एकड़ तक जमीन है। वहां पर तराई के इलाकेमें जब कि उसके वितरीत वहां पर छोटे किसानों, भूमिहीनों चाहे वह पोलिटिकल सफरर्स हों, चाहे वह सैनिक हों और चाहे पाकिस्तान से आये हुये लोग हों उनको ५ या १० या १५ एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं दी गई है । इस योजना के मातहत जमीन का केन्द्रीकरण हुआ । इसमें भूमि-व्यवस्था के अन्दर पूंजीवाद विकास करने का रास्ता खुला।

हमारी सरकार ने, मान्यवर, ग्राम समाजों की स्थापना की और जमींदारी खात्मे के बाद जितने परती व बंजर थे वह सब ग्राम समाजों के अन्दर थे । जमींदारी खात्मे के पश्चात् ८६ लाख एकड़ जमीन ग्राम समाजों को दी गयी । इसमें २७ लाख एकड़ सार्वजनिक उपयोग के लिये सुरक्षित की गई, २७ लाख एकड़ अन्य नियोजित कार्यों के लिये सुरक्षित की गई और ३२ लाख एकड़ ऐसी जमीन बची जिनका बंदोबस्त भूमिहीनों के लिये करना था । अब इस ३२ लाख एकड़ जमीन में से किस तरह से इसका बंदोबस्त भूमिहीनों में किया गया उसको देखें तो पता चलेगा कि किस तरह हमारा रास्ता रहा है । मान्यवर, अभी थोड़े दिन हुये प्रदेशीय सरकार ने योजना आयोग को एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें लिखा था कि उत्तर प्रदेश में ग्राम समाजों ने केवल तीन लाख एकड़ जमीन का बंदोबस्त किया, १ लाख एकड़ जमीन भूदान समिति ने बांटी और १ लाख एकड़ जमीन उपनिवेश योजना के अन्दर किसानों को दी गयी । तो इस तरह से ५ लाख एकड़ जमीनों का प्रयोग और बन्टन भिन्न-भिन्न तरीकों से किया गया । ग्राम समाजों के पास ३२ लाख एकड़ जमीन थी । अब तक सरकार का कहना है कि ३ लाख एकड़ जमीन बांटी गयी । इस तरह से २९ लाख एकड़ जमीन ग्राम समाजों के पास होनी चाहिये लेकिन हमारा यह दावा है और हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आज यह जमीन ग्राम समाजों के पास नहीं है ।

अब सवाल उठता है कि जमीन कहां चली गई, किसने कब्जा कर लिया ? यह जमीनें बड़े-बड़े किसानों के पास पहुंच गईं, भूतपूर्व जमींदारों के पास पहुंच गईं जोकि गांव समाजों पर हावी थे । ग्राम समाजों की स्थापना १९४८ में हुई और जमींदारी का खात्मा १९५२ में हुआ । ग्राम समाज पहले-पहल उस समय बने थे जब जमींदारी कायम थी । १९४८ के बाद १९५३ में फिर से गांव सभाओं के चुनाव होने चाहिये थे और ग्राम समाजों की नये सिरे से स्थापना करने की आवश्यकता थी लेकिन उस समय न करके सन् १९५६ में उनकी फिर स्थापना की गई । इस तरह से सन् १९४८ में जो ग्राम समाज बन गये थे वह १९५६ तक काम करते रहे । उन ग्राम समाजों में ज्यादातर भूतपूर्व जमींदारों का प्रभाव था जिनकी कि उस समय जमींदारी मौजूद थी । उन्होंने ग्राम सभाओं की जमीनों को जिस तरह से भी हो सका अपने कब्जे में किया। इसका एक ही प्रमाण हमारे पास है कि सन् १९४७–४८ में जब ग्राम समाजों की स्थापना हुई उस समय जोतों के अन्दर जो जमीनों का रकबा था वह चार करोड़ २० लाख एकड़ था लेकिन सन् १९५६–५७ में जब नयी ग्राम समाजों की स्थापना हुई तब जोतों के अन्दर रकबा आ गया चार करोड़ ५८ लाख एकड़ । इस तरह से ३८ लाख एकड़ जमीन जोतों के अन्दर बट गईं ।

जमीनों का बन्दोबस्त केवल ५ लाख एकड़ का हुआ । तीन लाख एकड़ का बन्दोबस्त ग्रामसमाज ने किया, एक लाख एकड़ का बन्दोबस्त भूदान समिति ने किया और एक लाख एकड़ का बन्दोबस्त उपनिवेश योजना के अन्तर्गत हुआ । लेकिन ३८ लाख का रकबा बढ़ गया । यह कैसे बढ़ गया ? यह इस प्रकार बढ़ा कि जो ग्राम समाजों की जमीन थी उस पर बड़े-बड़े किसानों और जमींदारों ने कब्जा किया । सरकार इसको रोक नहीं पाई । अब अगर सरकार की तरफ से यह कहा जाय कि जमीन मौजूद है, आइन्दा हदबन्दी वगैरह के कानूनों से बटवारा होगा तो यह खाली खयाली पुलाव ही पकाना होगा । ग्राम समाजों की स्थापना करके और उनका दुरुपयोग करके जमीनों का केन्द्रीकरण हुआ है जमीनें बड़े-बड़े आदमियों के पास पहुंची

हैं । इसलिये इसके जरिये भी भूमि-व्यवस्था में पूंजीवादी व्यबस्था का मार्ग अपनाया गया है ।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, ५ मिनट और दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष––ले लीजिये ।

श्री भीखालाल––मान्यवर, अब तक जो भूमि सुधार हुये हैं उनसे छोटे-छोटे किसानों की जमीनें निकलती गई हैं । उनकी जमीनों का संरक्षण नहीं हुआ है । उनकी हालत खराब हुई है । बड़े-बड़े किसानों और भूतपूर्व जमींदारों के पास जमीन का केन्द्रीकरण हुआ है, उनकी हालतें सुधरी हैं, उनकी हालतें मजबूत हुई हैं । यह हमारी सरकार की नीति रही है ।

माननीय माल मंत्री जी कह सकते हैं कि अगर कोई गड़बड़ी है, जमीनों का केन्द्रीकरण हुआ है तो वह हदबन्दी के कानून से सब ठीक हो जायगा । लेकिन मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं । हदबन्दी का नागपुर प्रस्ताव सरकार ने जिन परिस्थितियों के अन्दर माना था सिद्धान्त के रूप में जिसकी मंशा यह थी कि पैदावार बढ़े, गरीबी मिटे और भूमिहीनों को जमीन मिले परन्तु जो कानून सरकार ने बहुमत के बल पर पास कराया है उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि उसको अमली रूप नहीं दिया गया । इससे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है । सरकार भी अब ढीलमढाल है क्योंकि वह समझती है कि कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है । माल मंत्री ने पहले कहा था कि अन्दाजा है ६ लाख एकड़ जमीन मिलेगी लेकिन फिर एक प्रश्न के उत्तर में माल मंत्री जी ने कहा कि दो लाख एकड़ जमीन जरूर मिल जायगी । सरकार का जो अन्दाजा था उसमें ढ़ीलमढाल है, कोई निश्चितता नहीं है । अगर सरकार समझे कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जायगा तो वह नहीं होने वाला है ।

सरकार की जो चकबन्दी की योजना है वह भी एक पूंजीवादी व्यवस्था की द्योतक है । सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि कुछ व्यक्तियों के पास अच्छी अच्छी जमीनों को केंद्रित करो, उनको अच्छी सुविधायें दो । उनको अच्छे औजार, बीज और यंत्र दो और खेती की पैदावार बढ़ जायगी और देश की पैदावार बढ़ जायगी और देश आत्मनिर्भर हो जायगा । उसी योजना के मातहत चकबन्दी की योजना को लागू किया गया । मैं समझता हूं इस योजना से कोई देश का भला होने वाला नहीं है । चकबन्दी के जरिये से जो देश की पैदावार बढ़ाने का सवाल है वह नहीं बढ़ सकती । उससे यह होता है कि चकबन्दी के जरिये से जमीन की जोत का रकबा जरूर घट जाता है । कुछ जमीन रास्तों के लिये निकल जाती है और कुछ सार्वजनिक उपयोग के लिये निकल जाती है । इसलिये जोत का रकबा घट जाता है । इससे केवल पैदावार बढ़ाने का मनसूबा रह जाता है ।

एक बात, मान्यवर, जरूरी है जिसको मैं निवेदन करना चाहता हूं । वह यह है कि आज सरकार भी मानती है कि कागजात दुरुस्ती का मामला बड़ा पेचीदा है । हमारे यहां जो रिकार्ड है, उसमें करीब ७५ फीसदी गलती है । यह गलतियां चकबन्दी के दौरान में मिली हैं । उनमें छोटी भी गलती है और बड़ी भी गलती हैं । जिन इलाकों में चकबन्दी हुई है उनमें ७५ फीसदी गलती पाई गई है । उनमें कुछ तो दुरुस्त हो गई हैं और कुछ हो रही हैं लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर यह योजना लागू नहीं की जायगी । उनमें ७५ फीसदी गलतियां रहेंगी । वह किस-किस तरह से दूर होंगी ? इस किस्म की गलतियां चकबन्दी की योजना के बाद ही मालूम हो सकीं । अब हमारे यहां दो तरह के रिकार्ड हो जायेंगे । एक तो चकबन्दी के इलाके वाले रि कार्ड जहां पर कागजात की दुरुस्ती कर दी गई है और एक वह जहां पर चकबन्दी नहीं हुई है और ७५ फीसदी गलती मौजूद हैं । इसलिये मेरा सुझाव है कि चकबन्दी की योजना के अन्तर्गत

[श्री भीखालाल]

जो भूमि अभिलेखों की दुरुस्ती की योजना है वह वहां पर भी लागू की जाय जहां पर चकबन्दी की योजना लागू नहीं की जाती ताकि कागजात की गलती निकल जाय और पूरे कागजात में एक स्थिति आ सके ।

मान्यवर, एक बात जो बराबर इस सदन में कही गई है वह यह है कि मालगुजारी की वसूली ग्राम सभाओं के जरिये से हो लेकिन सरकार इसको नहीं अपनाती । इसका मैं एक ही कारण समझता हूं और वह यह कि सरकार को अपनी नौकरशाही पर अपनी ब्यूरोक्रेसी के मुकाबले में जनप्रतिनिधियों के ऊपर विश्वास नहीं है वरना इस योजना को लागू करने में सरकार को कोई संकोच नहीं होता । मुझे इसमें सन्देह नहीं कि यदि यह काम ग्रामसभाओं को सौंपा जाय तो वह क्यों इस काम को न करें । उनको इससे प्रोत्साहन मिलेगा । तो मेरा निश्चित सुझाव है कि गांवसभाओं के जरिये से लगान की वसूली होनी चाहिये । साथ ही जो एक मांग ग्राम सभाओं की तरफ से लगान में एक चौथाई हिस्सा देने की है वह ग्रामसभाओं की तरक्की के लिये सरकार को देना चाहिये । इस सुझाव पर सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये ।

लैंड एक्वीजीशन के संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह लैंड एक्वीजीशन का कानून बहुत पुराना है और इसके अन्दर जो धारायें हैं वह किसानों के लिये अहितकर हैं । अभी तक जो उसमें तरीका है उसमें सरकार जमीन पर कब्जा कर लेती है और उसके मुआविजे की कार्यवाही वर्षों तक चलती रहती है । किसानों को वर्षों मुआविजा नहीं मिलता है । आये दिन सदन में सवाल उठते रहते हैं । सरकार से पूछा जाता है कि मुआवजा क्यों नहीं दिया गया तो इस पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलते हैं । इसलिये मेरा सुझाव है कि इस कानून में परिवर्तन किया जाय ताकि जमीन लेने के थोड़े समय के बाद या उपयुक्त समय के बाद उनको मुआवजा मिल सके । आमतौर पर इस प्रदेश के छोटे किसानों को नुकसान होता है । क्योंकि उनके पास थोड़ी जमीन होती है । बड़े काश्तकार तो अदालत में पहुंच जाते हैं और वहां से अपने मामले का निबटारा करा लेते हैं । छोटे किसानों की जमीन जबरदस्ती ले ली जाती है और वे बेचारे उजड़ जाते हैं । तो मेरा निश्चित सुझाव है कि उनको मुआवजा जल्दी दिया जाय और वह मुआविजे की रकम नकदी में न देकर भूमि की शक्ल में दी जाय । मेरा यह निश्चित सुझाव है कि कानून के अन्दर इस प्रकार का प्राविधान किया जाय कि अगर कहीं किसी किसान की जमीन सार्वजनिक उपयोग के लिये ली जाय तो उसको जमीन के बदले में जमीन ही मिल सके । उनको कहीं आबाद करने की योजना बनाई जाय ।

दूसरी बात यह है कि लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के जरिये जो जमीन ली जाती है और उसके अन्तर्गत जो मुआवजा दिया जाता है उसकी दर हमारे प्रदेश में दूसरे प्रदेशों से बहुत कम है । अभी तक माताटीला में बहुत से झगड़े चले रहे हैं । मध्य प्रदेश में जो मुआवजा दिया गया है उससे हमारे प्रदेश से बहुत कम है । बिहार में जो मुआवजा दिया गया है वह भी हमारे प्रदेश से बहुत ज्यादा है ।

रिहन्द डैम के संबंध में जो मुआवजा दिया गया है वह मध्य प्रदेश में ज्यादा है और हमारे प्रदेश में कम । इसलिये इसके रेट को बढ़ाने की व्यवस्था की जानी चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं यह कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं ।

*श्री रघुवीरसिंह (जिला मेरठ)—अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री ने जो अनुदान पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । भीखालाल जी ने राजस्व विभाग की काफी कड़ी आलोचना की है और यह आलोचना जिस ढंग से की गयी है उससे पता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चलता है कि राजस्व विभाग ने जितना बड़ा इंकलाब इस प्रदेश में किया है, इसकी आर्थिक स्थिति में किया है, उससे यहां की स्थिति जितनी सुदृढ़ और मजबूत हुई है, उसका शायद उन्हें ज्ञान नहीं है ।

आपके द्वारा मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर दुनिया के किसी देश में और हमारे देश में भी कोई सबसे बड़ा क्रातिन्कारी कदम हो सकता है, किसी प्रदेश की आर्थिक हालत को सुधारने के लिये तो वह जमींदारी खत्म करना ही होता है । दुनिया में जहां जहां भी इंकलाब हुए, चाहे वह सोशलिस्टों द्वारा किये गये हों अथवा कैपिटलिस्टों द्वारा, चाहे वह रूस में हुआ हो अथवा चीन में, जो सबसे बड़ी क्रान्तिकारी तब्दीली हुई किसी देश में वह यह थी कि उन्होंने जमींदारी प्रथा को वहां खत्म किया । लेकिन हमारे देश में इसके लिये एक निराली ही बात हुई । यह सब बड़े शांतिमय ढंग से और सुन्दरता के साथ किया गया ।

इतिहास में हम देखते हैं कि रूस और चीन में जमींदारी खत्म करने के लिये कई लाख आदमियों को कत्ल कर दिया गया, एक खूनी क्रान्ति वहां हुई, कितने ही लोगों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया और तब कई वर्ष बाद जा कर वह लोग वहां जमींदारी खत्म कर पाये, लेकिन हमारे प्रदेश में बहुत शान्ति के साथ, बिना किसी एक आदमी को भी जेल भेजे, फांसी पर लटकाये, यह काम संपन्न किया गया । एक दिन हम रात में १० या १२ बजे सोये यह समझ कर कि जमींदारी प्रथा कायम है और दूसरे दिन सबेरे हमने पाया कि जमींदारी खत्म हो गयी ।

(इस समय १२ बजकर ३० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री लक्ष्मीनारायण बंसल, पीठासीन हुए ।)

दूसरे दिन सबेरे किसान अपनी जमीन का मालिक था । बड़े-बड़े जमींदार समाप्त हो गये और किसानों को जमीन की मिल्कियत का अधिकार दे दिया गया । जमींदारों के सारे अधिकार किसानों को मिल गये । यह बड़ी भारी क्रान्ति थी जो राजस्व विभाग ने की । हमारे प्रदेश और देश की आर्थिक हालत किसान और जमीन पर निर्भर रहती है और किसी देश की आर्थिक हालत सुधारने के लिये जरूरी है कि वहां के किसानों को उनको अपनी जमीन का मालिक बना दिया जाय । जब तक किसी देश में यह नहीं होता, वह तरक्की नहीं कर सकता । यह बड़ा भारी कदम था जो हमने बड़े शान्तिमय ढंग से उठाया । जमींदारी के पहले किसान की हालत कितनी खराब थी, कितनी बदतर थी और उसके बाद क्या हो गयी है इसे हमारे सामने बैठे जमींदार सज्जन खूब अच्छी तरह से जानते हैं ।

दूसरा कदम जो हमारी सरकार ने इस संबंध में उठाया वह था जमींदारी के बाद जो लोग शिकमी थे, उनकी काफी बड़ी संख्या थी । सरकार ने एक दूसरा कानून बना कर उन अधिवासियों को सीरदारों के अधिकार दे दिये और अब उनको भूमिधर बनने का पूरा अधिकार प्राप्त है । अब इस समय मैं समझता हूं कि प्रदेश में कोई भी ऐसा किसान नहीं है जिसको कि भूमिधर बनने का अधिकार प्राप्त न हो और वह अपनी जमीन का मालिक खुद बनने से वंचित रखा गया हो ।

इसके साथ-साथ ग्राम समाज या भूमि प्रबन्धक समितियों के बारे में जो कहा गया है, मैं यह समझता हूं कि इस ओर भी एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई है और इतिहास बताता है कि ग्राम सभाओं को इतने अधिकार कभी नहीं मिले थे। आज जो हमारी ग्राम सभायें हैं उनको भूमि सम्बन्धी कई अधिकार प्राप्त हैं। यही नहीं, भूमि का ठीक-ठीक इन्तजाम करना भी इनका काम होता है। एक खास बात इससे यह होती है कि उन लोगों में एक राजनैतिक जागृति पैदा होती है जो जनतन्त्र के विकास के लिये अत्यन्त आवश्यक है। लोगों के दिमागों में इससे एक क्रांति पैदा होती है जो प्रजातन्त्र को सफल बनाने में निहायत आवश्यक है। हां, मैं यह जरूर महसूस करता हूं कि इन भू-समितियों को या ग्राम सभाओं को उतने अधिकार नहीं हैं जितने होने चाहिये। भूमि के सम्बन्ध में उनको और अधिक अधिकार दिये जाने चाहिये।

[श्री रघुवीरसिंह]

तीसरा क्रान्तिकारी कदम जो हमारी सरकार ने उठाया है वह है चकबन्दी। मेरे मित्र ने चकबन्दी के बारे में फरमाया है कि इससे कृषि की पैदावार में कोई इजाफा नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि यह बात सही नहीं है। अगर कोई खेती न करता हो और वह इस तरह की बात कहे तो समझ में आ सकती है, लेकिन जो खेती करता है, वह इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि चकबन्दी से हमारे यहां काफी फायदा हुआ है और उससे कृषि का उत्पादन भी बढ़ा है।

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि चकबन्दी ही एक ऐसा तरीका है जिससे किसान को फायदा हो सकता है। अगर किसी किसान के १० खेत हैं और वे एक जगह न होकर इधर-उधर बिखरे हुए हैं, तो उससे किसान को बड़ा नुकसान होता है। इससे वह न तो हर खेत को जंगली जानवरों से बचा ही सकता है, न उसमें अच्छी खाद और बीज आदि को दे पाता है, सिंचाई का प्रबन्ध भी समय से नहीं कर पाता। इसके अलावा अगर वे खेत किसान के एक ही जगह हो जाते हैं तो वह उनकी देखभाल भी अच्छी तरह से कर पाता है, उनमें अच्छी खाद आदि का भी प्रबन्ध कर पाता है, और अपनी फसल में समय से पानी का भी इन्तजाम कर लेता है। जो हमारी खरीफ की फसल होती है उसमें किसान को इतना तेज होना चाहिये कि उसकी फसल को समय से पानी दिया जा सके। अगर ऐन वक्त पर पानी नहीं दिया जाता तो वह फसल नष्ट हो जाती है। अगर दो बीघे का खेत कहीं है, आधे बीघे का खेत कहीं और है, तो ऐसी सूरत में समय से पानी का इन्ताजम होना कठिन हो जाता है। वही खेत जब उसके एक ही जगह होते हैं तो उसको सिंचाई आदि का प्रबन्ध करने में अधिक सुविधा रहती है और इस तरह से उत्पादन भी अधिक होता है। अगर गांव में बिजली नहीं है, और कोई सिंचाई का प्रबन्ध नहीं है, तो वह वहां एक छोटा-सा कुंआ ही बना कर अपना कार्य चला लेता है।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो ३८ जिलों में चकबन्दी चल रही है, उससे किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। हां, यह बात हो सकती है कि कर्मचारियों के बारे में कुछ शिकायतें हों। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां पर चकबन्दी से काफी फायदा हुआ है और वहां पर बहुत अच्छे ढंग से चक बनाये गये हैं। हमारे यहां कुछ गांवों में चकबन्दी हुई। उनमें से ६ गांव ऐसे हैं जहां चक कटने के बाद चकबन्दी अधिकारियों को हार पहनाये गये और गांवों में खुशी मनायी गयी। ४ गांवों में १४० चक कटे हैं जिनमें से १५–१६ से ज्यादा उज्रदारियां नहीं हुईं। जहां तक मेरा तजुरबा है चकबन्दी के महकमे में सबसे कम करप्शन है। रात को दो–दो बजे तक बैठ कर लोग काम करते हैं। गरमी में लू के अन्दर खेतों पर जाते हैं। इस लिये यह चकबन्दी का काम बहुत अच्छा हो रहा है इससे किसानों को बहुत ही लाभ होगा और पैदावार भी बढ़ेगी।

हमारे यहां बहुत सी बंजर जमीन पड़ी हुई थी, हजारों एकड़ जमीन खाली थी, बहुत से लोग बेरोजगार थे। सरकार ने बहुत सी जमीन तोड़ कर लोगों को जमीन ऐलाट की है। लोगों को वहां बसाया है, खाद की, रुपये की और मकान की उनको सहायता दी है। काफी अच्छे ढंग से काम किया गया है। लेकिन अगर पूर्णता के बारे में कहा जाय तो वह कभी हो ही नहीं सकती। अमेरिका जैसे धनाढ्य देशों में लोग पूर्ण नहीं हो पाये हैं। आदमी जितना डेवलप करता जायगा उसकी इच्छाएं भी उसी हिसाब से पैदा होती जायंगी। इसलिये पूर्णता का न होना तो एक ऐतिहासिक सत्य है और वह दुनिया में सदैव रहेगा।

हमारे देश और प्रदेश का यह दुर्भाग्य है और खासतौर से पिछले ५–७ वर्षों से दुर्भिक्ष पड़ता आया है। दुर्भिक्ष सहायता के सम्बन्ध में भी इस विभाग ने काफी काम किया है। जब कहीं बाढ़ आयी है, इस विभाग ने नावों का इन्तजाम किया है, लोगों को पानी से निकाल कर ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया है, सस्ते गल्ले की दूकानों को खोला है। बाढ़ उतर जाने पर मकानों के लिये सहायता दी है, बीमारी फैलने पर दवाइयां मुहैय्या की हैं। इस तरह से काफी

सहायता की है। इस किताब में जो आंकड़े दिये हुए हैं उनसे मालूम होता है कि जहां नुकसान पहुंचा है वहां मालगुजारी में छूट दी गयी है, लगान में छूट दी गयी है, वहां लोगों को अनाज वगैरह की सहायता दी गयी, मवेशियों के लिये चारा मुहैय्या किया गया तथा लोगों के रहने के लिये मकान आदि बनाने में भी काफी रुपया खर्च हुआ।

जहां तक दुर्भिक्ष सहायता का ताल्लुक है, उसके सम्बन्ध में सरकार ने काफी अच्छी तरह से और तत्परता से काम किया है लेकिन हां, यह हो सकता है कि जितनी सहायता की आवश्यकता हो उतनी सहायता न मिली हो लेकिन इसका सम्बन्ध बहुत कुछ इससे भी होता है कि सरकार के पास मदद देने के लिये कितने साधन हैं और कितने पैसे हैं और उसी के मुताबिक सरकार या कोई भी आदमी किसी की मदद कर सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत अनुदान पर श्री भोखालाल जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं आपके जरिये माननीय माल मंत्री जी से चन्द शब्द कहना चाहता हूं।

पहली बात तो मैं चकबन्दी के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं जो कि कुछ जिलों में हो रही है। खासतौर से जो भाई कांग्रेस की ओर से बोलने के लिये खड़े हुए थे उन्होंने कहा कि चकबन्दी से पैदावार बढ़ती है। यह तो सब लोग समझते हैं कि चकबन्दी से खेत इकट्ठे हो जाते हैं तो पैदावार बढ़ जाती है, और इसीलिये सब लोगों ने चकबन्दी योजना का स्वागत किया। लेकिन मैं अपने जिले के बारे में कह सकता हूं कि इस वक्त वहां चकबन्दी में बड़ी धांधली हो रही है और चकबन्दी कमिश्नर से लेकर नीचे तक कहीं भी किसानों की सुनवाई नहीं होती है।

इधर हाल ही में, एक महीने से ज्यादा की बात है, फैजाबाद में एक कांफ्रेंस हुई थी जिसमें चकबन्दी कमिश्नर भी आये हुए थे। उस कांफ्रेंस के पहले ही यह होहल्ला मचा दिया कि जल्दी से जल्दी चकबन्दी का काम खतम हो जाना चाहिये और यह भी उन्होंने कहा कि जो अपने काम में जल्दी नहीं दिखा सकेंगे वे कांफ्रेंस में आ भी नहीं सकेंगे। इसका नतीजा यह हुआ कि इस बात का शोर कर दिया गया कि अब अपील वगैरह नहीं हो सकेगी, क्योंकि हमें तो ३१ मार्च तक इस काम को खत्म कर देना है। जैसे कोई पुलिस आर्डर हो उस तरह से देहातों में आतंक छा गया और मैं जानता हूं कि कई केसेज में किसानों की अपील की सुनवाई नहीं हुई। जितने बड़े-बड़े गांव थे सब छोड़ दिये गये थे। सन् १९५४ में आज से ६ वर्ष पहले चकबन्दी शुरू हुई और इधर १०-१५ दिन के अन्दर ही सब काम खत्म कर दिया गया और अपील करने पर सारी अपीलें कांसोलिडेशन आफिसर सेटलमेंट द्वारा खारिज कर दी गयीं। ऐसी हालत में मेरी समझ में नहीं आता कि यह जुडिशियल प्रोसीडिंग है या एक्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग। जब एक डिप्टी-डाइरेक्टर या डाइरेक्टर नीचे के ए० सी०ओ० की राय से ही सब काम करते हैं तो फिर जुडीशियल प्रोसीडिंग का नाम लेना एक ढकोसला मात्र ही है। ऐसी हालत में हमारे जिले के किसानों में होहल्ला मचा हुआ है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बहुत दिनों से उस जिले की ऐडवायजरी कमेटी को भी नहीं बुलाया गया, जिसकी वजह से जिले में सब जगह गरीब किसानों को परेशानी है। चकबन्दी सम्बन्धी सर्वे व पैमाइश आदि अमीन वगैरह ही करते हैं, पुराने पटवारियों को निकाल दिया गया जिनको इस सम्बन्ध में अच्छी जानकारी थी। उसका नतीजा यह है कि नीचे के स्तर के ए० सी० ओ०, अमीन आदि ही सब काम करने वाले हैं। मैं कहता हूं कि इस वक्त पैसे का बाजार भी खूब गर्म है लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है। जिस वक्त पूर्वी जिलों के लिये चकबन्दी की बात तय हुई तो हम लोगों ने कहा था कि एक चक बनने से वहां के किसानों को नुकसान होगा, इस पर माल मंत्री जी ने कहा था कि यह कोई कम्पलसरी नहीं है लेकिन इस वक्त गरीब किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं जानता हूं कि एक गांव में एक किसान को खाली ऊसर ही ऊसर ९ बीघे का चक दिया गया

[श्री विश्रामराय]

है और अपील करने पर भी सुनवाई नहीं हुई। ए० सी० ओ० ने नीचे के कुछ लोगों से मिलकर उसके विरुद्ध ही फैसला कर दिया। इसलिये यह हालत इस वक्त हो गई है और चकबन्दी के इन ५–६ सालों में यहां की पैदावार घटी है क्योंकि किसान आज अनिश्चित है कि वह खाद कहां डाले और न डाले, पता नहीं कौन खेत उसको मिलें। उनकी जोतों का रकबा भी घटा है और वह गांव समाज में और दूसरी चीजों में निकल गया है। मैं चाहता हूं कि चकबन्दी का इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से हो लेकिन वह नहीं हो रहा है और हमारे यहां १ मास से बड़ा आतंक छाया हुआ है और किसानों के साथ इन्साफ नहीं हो पा रहा है। मेरा नम्र निवेदन है कि जहां इन १–२ मास में धांधली हुई उसकी जांच कराई जाय और सरकार अफसरों से कहे कि जहां-जहां इस तरह की शिकायत है वहां चकबन्दी उलट दी जाय वर्ना किसानों के साथ इन्साफ नहीं होगा और न पैदावार ही बढ़ेगी।

गांवसमाजों की जमीनों का प्रश्न माननीय भीखालाल जी ने रखा। मैं जानता हूं कि जो वकील मुकर्रर होते हैं वह मिल जाते हैं और मुकदमों की ठीक से पैरवी नहीं करते और यहां से कहा जाता है कि सुलह करा दिया जाय और इस तरह से हजारों एकड़ जमीन गांवसमाजों की ली जाती है। मैं जानता हूं कि यह वकील पुराने जमाने के हैं और जमींदारी प्रथा के समय के हैं और उन का दिमाग आज भी वैसा ही बना हुआ है....

श्री हुकुमसिंह विसेन—कोई ऐसा वकील बतायें।

श्री विश्रामराय—बतलाया जायगा। यहां जमींदारी प्रथा खत्म की गई और कहा गया कि हम बड़ा क्रान्तिकारी कदम उठा रहे हैं, यह कार्य कांग्रेस पार्टी ने किया और सब ने उस पर समर्थन, विश्वास किया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि उस के बाद यह ४ प्रकार के किसान क्यों बनाये गये, सम्भवतः अधिक मालगुजारी की वसूली के लिये यह सब किया गया। सीरदार को सर्किल रेट से दुगुना, भूमिधर को कुछ कम और अधिवासी का और ज्यादा लगान रखा गया है और पहले से लाखों रुपया अधिक मालगुजारी वसूल हो रही है और हर साल लगान बढ़ता जाता है। इस साल २३ लाख की और अधिक उगाही होगी। एक तरफ किसान रहता और दूसरी तरफ सरकार रहती और बीच में यह मध्यवर्ती या बिचवैये नहीं रहने चाहिये थे लेकिन सरकार ने ४ प्रकार के किसान पैदा कर के उन में भेद पैदा कर दिया। इस प्रकार की श्रेणियां खत्म कर के केवल एक ही प्रकार के काश्तकार रहने चाहिये। सरकार को सब को भूमिधर बना कर एक क्रांतिकारी कदम उठाना चाहिये और बीच के लोगों को खत्म करना चाहिये। अगर सरकार को लगान बढ़ाने की जरूरत है तो सरकार किसानों के सामने आये, इस तरह की श्रेणियां बनाकर उस मकसद को पूरा न करे।

जहां तक पैदावार बढ़ने का प्रश्न है वह भी नहीं बढ़ पा रही है। सरकार का कहना है कि हमारे यहां पैदावार बढ़ी है, लेकिन मेरा खयाल है कि वह कुछ दिनों से और घटी है क्योंकि आजतक गल्ला सस्ता नहीं हो पा रहा है। पता नहीं सरकार के आंकड़े गलत हैं या क्या बात है कि गल्ला सस्ता नहीं हुआ है। अभिलेख भी चकबन्दी में ठीक नहीं हुए हैं और हजारों गलतियां इन्दराज की हैं। मुसाफिरखाना और बोली में इंदराजों में बहुत गलतियां मिलीं। मुकदमों की हालत यह है कि तमाम जमीनें किसानों से निकल गईं और मुकदमे कलेक्ट्री और मुन्सिफी से वापस आ गये और कह दिया गया कि पहले के इन्दराज ही ठीक हैं और मौके की बात को नहीं माना गया। गलत इन्दराज की दुरुस्ती का आन्दोलन चला। मौके की परताल को फर्स्ट क्लास गजटेड आफिसर करता है और उस को भी अदालत नहीं मानती और पहले के ही इन्दराज को ठीक मानती है तो किसानों का जो लाखों रुपया खर्च हुआ वह सब बेकार हो गया। श्रीमन्, अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि चकबन्दी में मैंने जो कठिनाइयां बताई हैं उनकी ओर सरकार ध्यान दे और उनको ठीक करे और किसानों का एक क्लासिफिकेशन करे, जो कई वर्ग बने हुए है उनका अन्त करें?

श्री अधिष्ठाता---माननीय गौरीशंकर राय, आपको केवल ५ मिनट हैं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---अधिष्ठाता महोदय, आज के विवाद में हिस्सा लेने का इरादा नहीं था, लेकिन जिस दिन से मैं विधान सभा का सदस्य हुआ और जिस दिन से बोलने का मौका हुआ तब से बराबर प्रति सप्ताह, प्रति पक्ष और प्रति माह एक बात मैं बार-बार कहता हूं और आज अन्तिम रूप से माननीय मंत्री जी से कह देना चाहता हूं क्योंकि मेरे विचार से अब कहने की सीमा समाप्त हो गई है। वह समस्या है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा की समस्या।

मान्यवर, आदरणीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का प्रश्न कई जिलों में है। लेकिन बलिया जिले में वह सीमा गंगा की धारा के साथ है। सन् १८१७ में बंगाल रेगुलेशन ऐक्ट बना। उसके बाद सन् १८२५ में जब बंगाल ही हाई कोर्ट था बिहार का, उस समय एक दूसरा ऐक्ट बना। उस समय से यह प्रक्रिया है कि जिस तरह से गंगा और घाघरा हट जाती हैं उसी तरह से सीमा भी हट जाती है। लेकिन बीसवीं सदी जब से शुरू हुई तब से गंगा की धारा बहुत तेजी से काटने लगी। पचास-पचास गांव एक-एक साल में उत्तर प्रदेश से बिहार में चले गये। मामला प्रीवी काउन्सिल तक गया और उसने फैसला किया कि वह पुराना कानून गलत था और मंशा यह था कि ज्यादा जमीन कट कर चली जाय और वह समझ में आने लगे, डिस्टिंग्विश होने वाली जमीन चली जाय तो इस तरफ के किसान का कब्जा उधर माना जायगा। वह डिटेल की बात है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा।

मान्यवर, सब लोग एक मत थे इस मामले में कि उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थायी सीमा होनी चाहिये, अनिश्चित नहीं होनी चाहिये। इसके कारण प्रत्येक वर्ष कितनी ही हत्याएं होती हैं। तीन-चार लाख लोगों की जिन्दगी अधर में रहती है। न जायदाद का और न जिन्दगी का कोई हिसाब है। इस प्रदेशीय सरकार के सामने चाहे कितना भी चिल्लाया जाय, वह जबानी जवाब तो दे देती है लेकिन उसे ईमानदारी के साथ जो प्रयास करना चाहिये था वह नहीं किया। १९३७ में जब कांग्रेस की मिनिस्ट्री आई तो पहला प्रयास हुआ कि स्थायी सीमा बने। लेकिन जब तक उसका प्रयास हो ही रहा था तब तक वह मिनिस्ट्री खत्म हो गई। फिर १९४७ में एक जज के सभापतित्व में एक कमीशन बना और जज साहब अभी कुछ काम कर भी न पाये थे कि वह बीमार हो गये। कुछ और भी कारण हुए और वह भी खत्म हो गया। फिर १९५२ में स्वर्गीय श्री गोविन्द बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसमें दोनों प्रदेशों के प्रतिनिधि थे। उसमें यह तय हो गया कि इस प्रकार से यू० पी० और बिहार की सीमा तय हो जाय। अभी २३ जनवरी को बिहार में उत्तर प्रदेश और बिहार के राजस्व मंत्रियों की वार्ता हुई। उसमें दोनों तरफ के अधिकारी भी थे। १९५२ का जो समझौता था उससे बिहार सरकार पीछे चली गई।

फिर सदन में बात आई तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि फिर मुख्य मंत्रियों की वार्ता होने वाली है। लेकिन मुख्य मंत्रियों की वार्ता का वह कार्यक्रम अभी तक नहीं बना। इसके सम्बन्ध में मैंने अपने मित्र जो कि बिहार विधान सभा के सदस्य हैं, उनको पत्र लिखा। उन्होंने वहां विधान सभा में प्रश्न पूछा और १६ मार्च को वहां के उप राजस्व मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्य मंत्रियों की वार्ता इस मामले में नहीं होने वाली है, मुझे कोई जानकारी नहीं है, और हमारे मंत्री जी ने कहा कि वार्ता होने वाली है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह जिम्मेदारी किसी के ऊपर हो लेकिन वहां पर, मैं इस साल की ही बात बताऊं, १५ हजार बीघे के करीब जमीन---(लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, दो मिनट और दे दीजियेगा....

श्री अधिष्ठाता---दो मिनट हैं अभी।

श्री गौरीशंकर राय---उसके बाद और दे दीजिये। तो इस वर्ष १५ हजार बीघा जमीन बिहार की सरकार ने हांसनगर गांव के पास जब्त कर ली। श्रीमन्, हर साल मिड स्ट्रीम वेरीफिकेशन होता है। वह अधिक से अधिक फरवरी के अन्तिम सप्ताह में या मार्च के प्रथम सप्ताह में हो जाना चाहिये था, लेकिन वह अभी तक नहीं हुआ है। नतीजा यह हुआ कि ३ हजार बीघा जमीन जो पिछले साल के निर्णय के अनुसार हमारी थी वह बिहार के लोग काट ले गये और यहां के किसान लुट गये।

मैं कहना चाहता हूं कि इस बात के लिये बार बार कहा गया, लेकिन केन्द्र को कभी इस सरकार ने नहीं लिखा कि इस तारीख के अन्दर निश्चित रूप से इसे तै कर दिया जाय। छोटे-मोटे सवाल उठते रहे और खत्म किये जाते रहे। अब आखिर धैर्य का अन्त होता है जब कि इतने प्रयासों के बाद भी कुछ नहीं हुआ। वहां की जनता चाहती यह है कि कोई पर्मानेन्ट लाइन निश्चित हो जाय, लेकिन वह होती नहीं। आज स्थिति यह है कि वह क्षेत्र नो मेन्स लैंड की तरह है। मौजा बिहार में लिखा जाता है और पोस्ट आफिस उत्तर प्रदेश में लिखा जाता है।

कुछ ऐसे स्थान हैं जहां स्कूल नहीं खुल रहे हैं। दोनों प्रदेश कहते हैं कि हमारा यह क्षेत्र नहीं है। ६० मील गंगा के किनारे और ४० मील घाघरा के किनारे दोनों तरफ है। इस प्रदेश के करीब ४०० गांव उधर चल गये। मैं यह नहीं कहता कि किस प्रदेश की वह जमीन हो। मेरी प्रान्तीयता की कोई भावना नहीं है लेकिन यह भावना निश्चित रूप से है कि जिस किसान की जमीन हो वह कम से कम अपनी जमीन का मालिक हो लेकिन यह सरकार उसे मालिकाना हक दिलाने में असमर्थ रही है।

दूसरे आज प्रदेश में भारत और चीन की सीमा पर एक सर्वे हो रहा है। उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि जो इलाका उधर है लीपू लेक और बाराहोती, का पहले उधर सर्वे करा लिया जाय गर्मी में ही वर्ना फिर जाड़ा आ जायगा क्योंकि सारे देश के मामले इसके साथ उलझे हुए हैं।

***श्री हरीसिंह** (जिला मेरठ)---मैं माननीय माल मंत्री को इस अनुदान के लिये हार्दिक धन्यवाद देता हूं। उनके हाथ में एक ऐसा विभाग है जिस विभाग से इस प्रदेश के सभी काश्तकारों तथा श्रमिकों की जीविका का सम्बन्ध है। (व्यवधान)। अधिष्ठाता महोदय, प्रतापसिंह जी मुझे मजबूर कर हैं कि उनकी जितनी कलई खोली जाय कम है, उसमें कोई कोताही न की जाय। विरोधी दल के माननीय सदस्य अपना कर्तव्य यही समझते हैं कि सरकार की जो अच्छाई भी हो उसे भी बे बुराई में परिणत कर दें।

मैं सदन के समक्ष दो-चार बातें रखना चाहता हूं। मेरे एक साथी ने बतलाया कि जमींदारी उन्मूलन से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। लेकिन इस चीज को वह जानते हैं कि जिनका जमीन से कोई भी सम्बन्ध था उनके लिये इस सरकार ने कितना बड़ा कार्य किया है। राजा, महाराजा जो गरीबों का हनन करने वाले थे, जो उनकी मेहनत से महल बना कर रहते थे और हाथी की सवारी पर चलते थे उनको इस सरकार ने खत्म कर दिया और यह इन्हीं महान नेताओं का कार्य था और इन्हीं तपस्वियों की तपस्या का फल था जिसमें आप भी शामिल हैं। उनकी हार्दिक इच्छा यह थी कि जो इस देश में शोषणकर्ता हैं उनका शोषण समाप्त किया जाय। जो बेगार नहीं देता था उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता था लेकिन आज राजा साहब की हिम्मत नहीं है कि वह किसी गरीब आदमी को बाहर निकाल दें। आज राजा साहब को खुद की ही फिक्र है। प्रतापसिंह जी इसे गौर से नहीं सुनेंगे क्योंकि यह चीज उन पर खुद लागू होती है। हर पार्टी में उस वर्ग के लोग मौजूद हैं जो जमींदारी से सम्बन्ध रखते हैं। जमींदारी खत्म होने पर जिन गरीबों को रहने के लिये मकान नहीं था आज वे अपने मकान के मालिक हैं, अपने खेत के मालिक हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके अलावा जो लोग दूसरे के खेतों में मवेशी चरा लेते थे और चारे के द्वारा आय कर लेते थे या अपनी जीविका चलाते थे उसमें कुछ इस चकबन्दी के द्वारा रुकावट अवश्य पड़ी। फिर जहां तक सामूहिक और जन हित की बात है, सारे किसानों की बात है, देश की पैदावार का प्रश्न है वहां अगर चन्द लोगों को कुछ हानि भी उठानी पड़े तो कोई ऐसी बात नहीं है। चकबन्दी से बहुत लाभ भी हुये हैं, पैदावार इतनी बढ़ी है कि जितनी आशा नहीं थी लेकिन आप कहते हैं कि पैदावार नहीं बढ़ी। जरा जनसंख्या की तरफ भी तो देखिये कि वह कितनी बढ़ी है। पहले जहां एक मन सौ आदमी खाते थे वहां अब पैदा तो डेढ़ मन होने लगा लेकिन खाने वाले सौ के बजाय दो सौ हो गये। तो चार घड़ी की कमी पड़ गयी। पैदावार तो बढ़ी लेकिन जनसंख्या उससे भी ज्यादा बढ़ गयी इसलिये वह बढ़ी हुई पैदावार हमको दीखती नहीं है।

जहां तक अधिकारियों का प्रश्न है, जो भी अधिकारीगण हमारे हैं वे अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह निभाना जानते हैं। हमारे प्रदेश के अधिकारीगण बहुत काबिल हैं। यह भी सही है कि जब वे कोई कार्य करने चलेंगे तो बहुतों को जहां लाभ होगा वहां कुछ को हानि भी होगी, सभी को तो वे संतुष्ट कर नहीं सकते। आपकी पार्टी भी सारी जनता को खुश नहीं कर सकेगी। सभी आदमियों को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता और इसीलिये आपके पास शिकायतें आती हैं। लेकिन आप यह नहीं सोचते कि वे कहां तक न्यायसंगत हैं। हां, जहां तक जमीन का सम्बन्ध है अगर आपने पुराणें पढ़ी होतीं तो उनमें कथाएं हैं कि तीन पग से सारी जमीन नाप कर रख दी, ऐसे ऐसे महान नेता हुए जो जमीन को सिरहाने लगाकर सो गये। तो आखिर वह कौन सा पैमाना था जिससे केवल तीन पगों से सारी पृथ्वी नाप कर रख दी या जमीन का सिरहाना लगाकर सो गये? इतना ज्ञान तो आपको है नहीं, महज लेक्चरबाजी झाड़ने से क्या बनता है?

पहले कभी भी बंजर भूमि में पैदावार नहीं हुई और यह इस सरकार की ही देन है कि उस बंजर भूमि में भी जिसमें पहले सिर्फ रेह निकलती थी आज ईख और गेहूं खड़ा है। तो कैसे आप कहते हैं कि पैदावार नहीं बढ़ी। हमने तो बार बार मंत्री जी से कहा कि प्रदेश में जितनी बंजर भूमि है सबका सर्वे कराइये ताकि सदन को मालूम हो कि हमारे प्रदेश में इतनी बंजर भूमि है, और खेतिहर मजदूरों को वह भूमि दीजिये बजाय इसके कि सरकारी फार्मों की तरफ आपका ध्यान हो। इससे उन बेचारों को भी संतोष होगा और पैदावार भी बढ़ेगी। उनको खाद, हल, बैल आदि की सुविधा दीजिये। यह तो मैं मंत्रीजी को सुझाव देता हूं लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चकबन्दी में अब उतनी कमियां नहीं हैं जितनी पहले शुरू-शुरू में थीं। फिर भी आपको संतोष नहीं है।

(श्री खजानसिंह चौधरी के कुछ कहने पर) जी, क्या कहा आपने? आप बुजुर्ग हैं और मैं बच्चा हूं, आपको क्या जवाब दूं। यदि प्रतापसिंह जी कुछ कहते तो उन्हें मैं जवाब देता। फिर भी मैं इतना कहे देता हूं कि आपका समय बीत चुका, अब हमारा समय है। आप हमसे पूछिये कि किस तरह पैदावार बढ़ती है। हम जो कर रहे हैं वह जनता और गरीबों के हित में कर रहे हैं और करते रहेंगे। सरकार ने जो अच्छे कार्य किये हैं आखिर उनकी तो आपको प्रशंसा करनी ही चाहिये।

जहां तक मालगुजारी का सवाल है मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी उन पंचायतों को अनुभव के लिये मालगुजारी वसूल करने का काम दें जो अच्छा काम करें। अगर सफल होती हैं तो अच्छा है वरना हमारा जो मालगुजारी का सिस्टम है वह अच्छा है। मालगुजारी कोई बढ़ी नहीं है। यह जो कहा जाता है कि मुआवजा देकर जमींदारी क्यों खत्म की गई, उसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर एक मीटिंग हुई थी और आचार्य नरेन्द्रदेव जी उसके चेयरमैन थे। प्रजा सोशलिस्ट वाले लोग इसको देखें कि उसमें यह निश्चित किया गया था कि बिना मुआवजा दिये जमींदारी खत्म नहीं होनी चाहिये। और आप कहते हैं कि मुआवजा देकर क्यों खत्म की गई? यह हमारे और आपके नेताओं ने खत्म की है। आपको कांग्रेस के नेताओं को धन्यवाद देना चाहिये कि मालगुजारी नहीं बढ़ी है।

[श्री हरीसिंह]

श्रीमन्, मैं राजाओं से कहना चाहता हूं कि अगर आप गरीबों के रहनुमा होते तो पहले उनको जमीन दे देते लेकिन आपने कुछ सोचा नहीं । इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इस अनुदान को शीघ्र स्वीकार कर लेना चाहिये क्योंकि इस अनुदान से सभी मानव समाज का संबंध है। तमाम भूमि का सर्वे कराना चाहिये और खेतिहर मजदूरों को भूमि दी जानी चाहिये और उस पर लगान न हो तो यह बात सही हो सकती है लेकिन प्रत्येक भूमि पर लगान न हो तो ऐसा नहीं हो सकता है ।

अधिष्ठाता महोदय, यह नियम है कि जहां पर चकबंदी होगी वहां पर गरीबों के बसने के लिये जमीन छोड़ी जायगी । लेकिन मैंने देखा है कि जमीन नहीं छोड़ी जाती है । इसलिये अधिकारियों को हिदायत दी जाय कि जहां चकबंदी हो वहां पर गरीबों के बसने के लिये जमीन छोड़ी जाय । स्कूलों तथा जनता के अन्य कामों के लिये जमीन नहीं छोड़ी जाती है और गलत इंदराज कर दिया जाता है । ऐसा नहीं होना चाहिये । हर एक अच्छे काम में कुछ बुराइयां भी होती हैं । सौ गुणों में एक अवगुण भी होता है । इसी तरह से चकबंदी के काम में भी एक, आध बुराई हो सकती है। जिन किसानों के पास ४, ५ बीघे खेत हों उनको गांव के पास ही जमीन दी जाय, ऐसा नियम बना दिया जाय । आपके अधिकारी यह समझते हैं कि जो कुछ हैं वह हम ही हैं और कोई नहीं है । मैं गेंदासिंह जी से कहूंगा कि चकबंदी से लाभ है, उसकी तो प्रशंसा उनको करना चाहिये । माल विभाग ऐसा है जिस पर देश का कार्यभार निर्भर है और आपकी जीविका निर्भर है । यह देश किसान और गरीब मजदूरों का है, राजा, महाराजाओं का नहीं है । इन्होंने आतंक मचा रखा है, इन्हें खत्म करना है । इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इस अनुदान को तुरंत स्वीकृत करना चाहिये ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—आपका कोई स्पष्टीकरण नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, उन्होंने नाम लेकर कहा है कि आप राजा हैं ।

श्री हरीसिंह—आपके लिये नहीं कहा ।

श्री अधिष्ठाता—आप कृपा करके बैठ जाइये ।

*श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, भीखालाल जी ने इस अनुदान पर जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, राजस्व मंत्री न्याय मंत्री भी हैं । मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि भूमि के सम्बन्ध में वह न्याय के साथ काम लें तो देश का भला होगा । आज प्रदेश के अन्दर एक जबरदस्त सवाल है कि आया यह जमीन का लगान है या किराया है ? यों तो ब्रिटिश काल में सरकार पौने सात करोड़ रुपया मालगुजारी में वसूल करती थी और इस सरकार ने जमींदारी खातमा के बाद १७ करोड़ किया और १७ करोड़ के बाद अब २२-२३ करोड़ के लगभग यह भूमि से लगान वसूल करती है । तो सरकार को सबसे पहले यह फैसला करना है कि यह किराया है या लगान है । अगर सरकार इसको किराया मानती है तो सरकार को फिर जमींदारों को मुआवजा नहीं देना चाहिये था । तो यह अच्छे तरीके से सिद्ध हो गया है कि यह किराया नहीं बल्कि सरकार लगान वसूल करती है ।

मैं मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूं कि जब कोई व्यक्ति अपना मकान किराये पर उठाता है तो वह इस बात की भी व्यवस्था करता है कि अगर उस मकान के अन्दर गंदगी हो तो उसकी सफाई कराता है या अगर कोई दीवार या छत टूट जाय तो उसकी मरम्मत करवाता है, तब मकान किराये पर उठाता है । लेकिन यह सरकार इस बात की भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है कि अगर किसी काश्तकार की जमीन वर्षा से खराब हो जाय, उस पर बालू पड़ जाय तो उसको काश्त के काबिल बनाये जिससे उसमें पैदावार हो सके। कोशिश यही है कि अंधाधुन्ध तरीके से काश्तकारों से लगान वसूल करे और ज्यादा से ज्यादा पैसा उसको मिले।

अधिष्ठाता महोदय, चन्द्रगुप्त मौर्य के काल में काश्तकार के ऊपर बचत का १/६ हिस्सा लगान था। खर्चा निकाल कर जो काश्तकार को बचत हो जाय उसका १/६ लिया जाता था। आज अंधाधुन्ध चल रहा है। अगर आप अच्छी तरह से नक्शा, खसरा और खतौनी को देखें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस सरकार के जमाने में, श्री हुकुमसिंह के जमाने में, जितना बड़ा काश्तकार है उस पर उतना लगान कम है, २, ३ रुपया एकड़। और जितना छोटा काश्तकार है उस पर ज्यादा लगान है, ६ रुपया एकड़, ८ रुपया एकड़, १० रुपया एकड़ और कहीं कहीं १२ रुपया एकड़ तक है। सरकार जब इसको लगान मानती है तो उसको अलाभकर जोत से लगान छोड़ देना चाहिये क्योंकि लगान या टैक्स का बोझा उसी पर डाला जाता है जिसमें लगान या टैक्स को देने की क्षमता हो। लेकिन सरकार इस बात को महसूस नहीं करती। क्षमता हो या न हो, उसके पास मकान, कपड़ा, दवाई की व्यवस्था हो या न हो लेकिन सरकार टैक्स लगा देती है। सोशलिस्ट पार्टी मुद्दत से यह एलान करती चली आ रही है कि सरकार का यह फर्ज है कि देश में गल्ले की पैदावार बढ़ाने के लिये अलाभकर जोत से लगान हटा दे। सोशलिस्ट पार्टी को यह मांग करते दस साल हो गये। उसने आन्दोलन किया और हजारों कार्यकर्त्ता जेलों में गये और आज दूसरी पार्टियां भी इस सवाल को सही समझने लगी हैं। और बाज बाज तो कांग्रेसी सरकार के सदस्य भी इस बात को कम से कम सदन में नहीं तो सदन के बाहर तो कहने लगे हैं कि सोशलिस्ट पार्टी का सवाल बहुत अच्छा सवाल है, सही सवाल है, सरकार को मानना चाहिये, तभी प्रदेश का और देश का और किसानों का कल्याण हो सकता है। तो अलाभकर जोतें जिनसे कोई फायदा नहीं होता है कोई बचत नहीं होती है उनके लगान को माननीय हुकुमसिंह जी छोड़ें और उसकी पूर्ति उन लोगों से करें जिनकी कि आमदनी ज्यादा है। उन पर वह यह बोझा डालें।

मिसाल के तौर पर वह यह देखें कि २ एकड़ या ३ एकड़ या ४ एकड़ जमीन जो जोते हुये हैं उनको कितना मुनाफा होता है और जो पचास-पचास और सौ-सौ एकड़ जोते हुए हैं उनको कितना फायदा होता है? ईमानदारी से अगर देखा जाय तो इस तरह के अलाभकर जोत वालों का लगान माफ होना चाहिये और उससे जो आमदनी घटे उसकी पूर्ति श्री हुकुमसिंह जी उन लोगों से करें जो कि बड़ी बड़ी जमीनें जोते हुए हैं। तभी देश का कल्याण हो सकता है। इस तरह से नहीं हो सकता कि जो गरीब हैं उनको और मार दिया जाय और जो अमीर हैं उनको छोड़ दिया जाय। जिस तरह से कि आप बड़े-बड़े पूंजीपतियों को छूट देते हैं और अपनी पार्टी की शक्ति बढ़ाने के लिए या पैसा लेने के लिए उनको अपने साथ में बनाये रखते हैं उसी तरीके से यह सरकार बड़े- बड़े काश्तकारों को जिनके पास कि सौ-सौ, दो-दो सौ और तीन-तीन सौ एकड़ जमीन है उनको भी अपने साथ रखना चाहती है लगान में छूट देकर, और जिनके पास कि दो, तीन एकड़ जमीन है उनको और दबाना चाहती है। तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर आप न्यायप्रिय है और न्याय विभाग के मंत्री भी हैं, न्याय करना चाहते हैं तो अलाभकर जोतों से आपको लगान हटाना बहुत ही लाजमी है।

दूसरा सवाल इसी के सम्बन्ध में जमीन के कागजात की दुरुस्ती का है। आज लगभग २२ करोड़ रुपया आप लगान ले रहे हैं। कहां पौने सात करोड़ रुपया अंग्रेजी हुकूमत में लिया जाता था और कहां आज आप २२-२३ करोड़ वसूल कर रहे हैं? लेकिन उस जमाने में भी अंग्रेजी सरकार ने जमीन के इन्दराज की दुरुस्ती की ताकि काश्तकारों

[श्री रूमसिंह]

में झगड़े अधिक न हों अच्छा इन्तजाम किया था। और आज आपके जमाने में क्या हो रहा है? आज चकबन्दी हो रही है। एक एक तहसील में लाखों गलतियां आपके जमाने में पायी जा रही है। मनमाने तरीके से लेखपाल जिसको चाहता है मालदार बना देता है जिसको चाहता है मोहताज बना देता है, इन्हीं कागजात के इन्दराज को लेकर। ग्राम समाज की जमीन जो भूमिहीनों को मिलनी चाहिये थी या काश्तकारों की मौरूसी सीरदारी जो है उसका इन्दराज जो सही होना चाहिए था वह सब कुछ नहीं हो रहा है। जो ग्राम समाज की जमीन है वह बड़ी-बड़ी जमीन की जोत वाले जो हैं उन्हीं के पास वह सारी की सारी खिसकती जा रही है। तो मैं माननीय राजस्व मंत्री से इस बात की प्रार्थना करूंगा....

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह बात हुकुमसिंह से न कहियेगा।

श्री रूमसिंह—अब माननीय राजस्व मंत्री और माननीय हुकुमसिंह में कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज है।

तो मैं माननीय मंत्री जी से इस बात की सिफारिश करूंगा कि वह लेखपालों को इस बात की हिदायत दें कि हर फसल के वक्त हर फसल के काश्तकार को इन्तखाब दें और उसके लिए यह लाजिमी कर दें कि जिस वक्त इन्तखाब लेखपाल दे तो उसका वह दस्तखत भी हासिल करे ताकि इस बात का अच्छी तरह से इन्तजाम हो सके कि लेखपाल मजबूर होकर उसको इन्तखाब दे। माननीय राजस्व मंत्री ने एक नियम बनाया कि लेखपाल मौके पर जाकर खसरा और खतौनी के इन्तखाब पढ़कर सुनाये। लेकिन होता क्या है कि उसको और भी छुट्टी मिल गई। रोजनामचे में लिख देता है कि फलां गांव में गए और पढ़कर सुनाया जबकि वह आराम से घर बैठा रहता है। तो वह काफी नहीं है। अगर वास्तव में राजस्व मंत्री उनके साथ इन्साफ करना चाहते हैं तो उनको यह आदेश देना चाहिए अपने अधिकारियों को और कर्मचारियों को कि हर फसल पर जब लेखपाल इन्दराज करे तो उसका इन्तखाब हर काश्तकार को दे और उनका दस्तखत भी हासिल करे।

इसी तरीके से उपनिवेशन का सवाल है। नैनीताल, तराई भाबर में आप जाइये तो आपको यह पता लगेगा कि एक सवाल तो प्रदेश के सामने यही खड़ा है कि जो परती जमीन है वह किसको मिलनी चाहिये। भूमिहीनों को मिलनी चाहिये, सभी लोग यह कहते हैं और सरकार भी कहती है कि हम भूमिहीनों को काश्त दे रहे हैं। लेकिन किसको वहां पर आबाद किया जा रहा है? बड़े बड़े आफिसरों को जिनको एक एक हजार, डेढ़ डेढ़ हजार और दो दो हजार रुपये तनख्वाह मिलती है, जो बड़ी जोतवाले हैं, जो एक जगह पर फार्म किये हुये हैं, एक जमीन पर कब्जा किये हुये हैं उनको ही फिर यहां भी दे दिया जाता है। उन्हीं को यहां भी आबाद किया जाता है। एक-एक व्यक्ति के नाम पांच-पांच सौ एकड़ तक का पट्टा लिख दिया गया है। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि वहां पर कोई सीमा मुकर्रर करें १०,१२, साढ़े बारह एकड़ की, उससे ज्यादा भूमि किसी को न दी जाये और साथ ही साथ जिनको आप आबाद करें उनके लिये जो खेती के साधन चाहिये उनको भी जुटाने की कोशिश कीजिये। उनके बैलों के लिये, खाद बीज के लिये, मकान के लिये कर्जे की व्यवस्था के लिये कोशिश करें और इस तरह वहां भूमिहीनों को आबाद करें। इससे खेती की पैदावार में तरक्की हो सकती है।

साथ ही साथ मैं राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि दुर्भिक्ष के सिलसिले में पिछले साल इस सदन में माननीय सदस्यों ने इस बात का सुझाव दिया था कि इतना बड़ा प्रदेश है और दैवी आपदायें वक्तन फवक्तन, कोई ऐसा साल नहीं जाता है जब न आती हों, लेकिन उनके लिये अनुदान बहुत कम है इसको बढ़ाया जाय। लेकिन मंत्री महोदय ने नहीं माना। उन्होंने अनुदान रखा ३५ लाख के लगभग लेकिन मंत्री जी को खर्च करना पड़ा १०५ लाख रुपये के लगभग।

श्री हुकुमसिंह विसेन--जितना आपने सप्लीमेंटरी के जरिये दिया उतना हमने खर्च किया ।

श्री रूमसिंह--जितना आप मांगते हैं उतना हम लोग दे ही देते हैं । इस साल भी आपने दुर्भिक्ष सहायता में ३४ लाख रुपये रखा है । आपके ही इस स्मृतिपत्र के अन्दर लिखा है कि ५० लाख रुपये तक दुर्भिक्ष सहायता में सरकार खर्च करेगी और उस हद तक केन्द्रीय सरकार उसकी सहायता नहीं करेगी ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--भगवान न करे वह दिन आये ।

श्री रूमसिंह--आपने तो पिछले साल भी यही कहा था । आपके पास सत्ता है, ताकत है जो चाहे कहिये ।

श्री अधिष्ठाता--आपस में बातें न करें ।

श्री रूमसिंह--तो मैं यह कह रहा था कि स्मृतिपत्र में लिखा है कि अगर ५० लाख रुपये तक हो तो प्रान्तीय सरकार ही खर्च करेगी और केन्द्रीय सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलेगी । तो जानबूझकर यह सरकार ऐसा गुनाह कर रही है । न तो स्वयं कुछ देना चाहती है और दूसरा देना चाहे तो उस पर भी रोक लगा देती है अपनी हरकात के जरिये । तो मैं कहना चाहता हूं यह रकम बहुत थोड़ी है । आये दिन हमारे ऊपर मुसीबतें पड़ती हैं । इतना बड़ा प्रदेश है । अभी कानपुर में आग लग गई । तो क्या कोई चाहता था, क्या जनता चाहती थी कि उस पर मुसीबत आये और १०, १५ लाख का नुकसान उस का हो ? मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इसमें ७०, ७५ लाख रुपये कम से कम रखने चाहिये थे । अगर इतना रुपया माननीय मंत्री जी रखते तो कम से कम हमको केन्द्रीय सरकार से भी सहायता मिल सकती और हमारे प्रदेश का कल्याण होता ।

इसी सिलसिले में मैं कहना चाहता हुं कि अभी जो बाढ़, ओला और पाला के सिलसिले में मंत्री जी ने मदद की थी वह बहुत ही नाकाफी है । मैं कह सकता हूं कि मंत्री जी का अधिकारियों और कर्मचारियों पर नियंत्रण नहीं रहता है । जिन लोगों को नुकसान हुआ वह बेचारे यों ही रह गये और जिनका कोई नुकसान नहीं हुआ वह गुलछर्रे उड़ाने के लिये पैसे पा गये और जिन पर मुसीबत आयी और जिनके मकान बह गये या फसलें बह गई लेकिन पहुंच नहीं थी उनको एक पैसा नहीं मिला और यह सब आपके लेखपाल और तहसीलदारों की वजह से हुआ । इसी तरीके से माननीय मंत्री जी ने एक प्राविधान और रखा है कि नगर महापालिका की जनता के लिये दो हजार रुपये की तकाबी, नगरों की जनता के लिये एक हजार की तकावी और देहात की जनता के लिये ५०० रुपये की तकावी । मैं नहीं समझता यह कहां की अकलमन्दी है । सारी दौलत दो महानगरों में आ रही है । आपने ऐसी व्यवस्था और कानून बना रखे हैं कि देहात की सारी दौलत बड़े बड़े नगरों और शहरों में आ जाती है । देहात बहुत गरीब हो गये हैं । उनके लिये आपने बहुत छोटी रकम रखी है । इस ओर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये और भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता--समय समाप्त ।

श्री कल्याणराय (जिला रामपुर)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । हमारे जिला रामपुर के सामने बहुत सी मुश्किलात हैं । रामपुर एक तो वैसे ही स्टेट होने के कारण बहुत गरीब रहा है । वहां पर लगान का एवरेज १७-१८ रुपये एकड़ है । बरेली जिला करीब में है जहां से ९ सदस्य हैं लेकिन रामपुर में भी ४०-४२ लाख रुपया बरेली के बराबर लगान है । स्टेट के मर्जर से रामपुर को कोई फायदा नहीं मिल सका है । मैं इस सिलसिले में पं० गोविन्द बल्लभ पन्त

[श्री कल्याणराय]

जी के पास भी कई दफा गया था, लेकिन तब शुरुआत का मामला था । अब इतना समय बीत जाने पर हमसे बार-बार वहां की जनता कहती है कि हमारा लगान इतना ज्यादा क्यों है ? इसलिये माननीय राजस्व मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि रामपुर का जो हिस्सा नैनीताल से मिला हुआ है वहां पर नैनीताल के लगान का एवरेज रखा जाय, जो मुरादाबाद के मिला हुआ है वहां पर मुरादाबाद का ऐवरेज रखा जाय और जो हिस्सा बदायूं और बरेली से मिला हुआ है वहां पर भी उसी के मुताबिक ऐवरेज रखा जाय । जब सारी स्टेट एक हो गई है तब इस तरह का भेद भाव नहीं होना चाहिये ।

श्रीमन्, हमारे यहां पर किसानों के छप्पर के घर हैं जिनमें अगर कहीं आग लग गई तो उनके बर्तन भांड़े और सारी चीजें जलकर खाक हो जाती हैं । वहां के लिये लकड़ी का कानून आया । जब माननीय चरणसिंह जी रेवेन्यू मिनिस्टर थे तब मैंने उनसे कहा था कानून तो हम और आप ही पास करने वाले हैं । जब आपने बजट में ८ करोड़ का घाटा दिखाया है तो उसमें १२ लाख और रख लीजिये । इससे क्या फर्क पड़ेगा ? आखिर हम भी इसी स्टेट के रहने वाले हैं । वहां की जनता का भी आपको खयाल करना चाहिये । इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह से भी हो सके उस कानून की दुरुस्ती करें ।

अधिष्ठाता महोदय, वहां की और भी मुश्किलात हैं । वहां पर तीन दरियायें गंगा, भखड़ा और कोसी हैं । जब उन तीनों में सैलाब आ जाता है तो जनता की हालत बड़ी खराब हो जाती है । इसलिये वहां पर सैलाब के संबंध में भी कोई व्यवस्था करनी चाहिये । वहां पर सारी फसल नष्ट हो जाती है । जो सहायता मिलती है वह वास्तव में उन लोगों को नहीं मिल पाती जिनको आवश्यकता होती है बल्कि उनको मिल जाती है, जिनको आवश्यकता नहीं होती । रामपुर बहुत ही बैकवर्ड इलाका है । परन्तु वहां के किसान बहुत ही मेहनत करने वाले हैं । रामपुर ने क्राप कम्पेटीशन में ४,९५० रुपये का सेकेन्ड प्राइज यू० पी० में लिया है । वहां की जनता इतनी गरीब है लेकिन फिर भी उसका लगान तेज है । इसलिये मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि वहां का लगान कम होना चाहिये ।

इसी तरह से सस्ते खाद की पैदावार की बात है जो कुछ मेहनत करने पर थोड़े समय में पैदा हो सकती है । हमारे यहां ३०, ३५ मन फी पक्का एकड़ ज्वार की पैदावार आई है । तो हमारे यहां खेती का ऐसा मसला है कि यदि कुछ रियायत किसानों को दी जाय तो वह बहुत मेहनत करके बहुत पैदावार कर सकते हैं । जैसे जूट की पैदावार की जाती है, अगर उसके लिये पानी माफ कर दिया जाय तो उससे किसानों का लाभ होगा और पैदावार भी उससे जूट की बढ़ेगी । हमें किसानों का ध्यान रखना चाहिये क्योंकि ८० फीसदी किसानों के बल पर ही हम यहां पर आये हैं । अगर उनका खयाल नहीं किया जायगा तो फिर यहां पर हम लोग नहीं आ सकेंगे । अगर हम १५ फीसदी जनता का ही खयाल रखें और देहात की जनता का ख्याल न रखें तो हम गरीबों और किसानों के प्रतिनिधि नहीं कहला सकते हैं ।

आज इन कुर्सियों पर हम उनके कारण ही विद्यमान हैं । अगर उनका खयाल पलट जाय तो हम लोग यहां पर नहीं आ सकते हैं । इस कुर्सी की तरफ उनका ध्यान नहीं रह सकता है । वह दूसरे लोगों को यहां पर भेजने का विचार कर सकते हैं । जब तक हम इन कुर्सियों पर मौजूद हैं तो हमको उनका ध्यान रखना चाहिये और जनता की तरफ गौर करना चाहिये । उनके सुख और दुख का खयाल रखना हमारा कर्त्तव्य है । मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि वह मेरी इस बात पर गौर करें । मैं उनसे पहले मिल चुका हूं कि लगान रामपुर में बहुत ज्यादा है । उस लगान को जिस सूरत से हो सके कम करने का प्रयत्न किया जाय । चाहे उसके लिये कानून ही लाना पड़े, लेकिन उस मसले को हल किया जाय । जैसे कि आप पेड़ों का कानून लाये थे उसी तरह से इसके लिये भी करें । स्टेट की पब्लिक हमसे क्या कहेगी कि हम लोग यहां पर कुछ करते हैं या नहीं ? मैंने कई बार मंत्री जी से निवेदन किया है पर वे मेरी बात पर गौर नहीं करते । आपस के लड़ाई-झगड़े से भी ऐसा होता रहा कि इस तरफ वे ध्यान नहीं कर सके. . . .

श्री हुकुमसिंह विसेन--मैंने नोट कर लिया है।

श्री कल्याणराय--आपका बहुत शुक्रिया। देहातों में किसानों की हालत बहुत खराब है। मैं मंत्री जी को वहां पर ले जाऊंगा और दिखलाऊंगा कि वहां गांवों की हालत क्या है। इतने दिन प्रदेश में मिले हुये उसको हो गये लेकिन अभी भी वहां के किसानों की दशा वही है। वहां की रियाया अभी भी खुशहाल नहीं हुई है। जिस तरह की उनकी दशा गुलामी काल में थी वही हालत उनकी अब भी बनी हुई है। वही लगान वह लोग दे रहे हैं। आबपाशी के रेट अभी भी वही हैं जो पहले थे। यह नहीं होना चाहिये। यहां पर आबपाशी के मंत्री जी बैठे हुये हैं इनको भी ले जाकर मैं दिखलाऊंगा कि वहां पर जो नहरें बनी हुई हैं वह नालियों की तरह से हैं। उनका नहर नाम रख दिया गया है लेकिन आबपाशी का रेट बहुत है। नालियों के चारों तरफ पेड़ खड़े हैं। कोई आदमी वहां से निकल नहीं सकता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि हमारे मंत्री महोदय का इस तरफ ध्यान रहना चाहिये और हमारी इस बात पर गौर करना चाहिये। हमारे जिले रामपुर की जो परिस्थिति है वह बड़ी कठिन है। उसका मंत्री जी को खयाल करना चाहिये। बस मुझे इतना ही निवेदन करना था।

*श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--अधिष्ठाता महोदय, मैं भीखालाल जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जमींदारी खत्म हो गई और उसके खात्मे के जमींदारी से ७ करोड़ की आमदनी सरकार को होती थी। अब २१ करोड़ ८० लाख की आमदनी हो रही है। वह काश्तकारों से हो रही है। कहीं पर किसानों पर पंचायतों के टैक्स हैं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टैक्स हैं। ऐसी सूरत में जबकि २१ करोड़ और कुछ लाख रुपये किसानों से वसूल किये जाते हैं तो हमको इस लैन्ड रेवेन्यू में से १५ फीसदी गांव समाज को देना चाहिये जिससे गांव समाज का पूरा पूरा उत्थान हो सके। आज हम देखते हैं कि सारा का सारा रुपया बड़ी बड़ी योजनाओं पर और प्रदेश के बड़े बड़े नगरों में ही खर्च किया जा रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी को सुझाव है कि उस में से १५ फीसदी रुपया गांव के सुधार के लिये दिया जाय और पंचायत टैक्स जो ले रहे हैं उसे वापस ले लें ताकि गांव वालों पर अधिक बोझ न पड़ सके।

आज जमींदारी खत्म हो गयी है और हमारी सरकार किसानों से लगभग २२ करोड़ रुपया वसूल कर रही है। आज किसान पिस रहा है। उसके पास खाने पीने को नहीं है, तन ढकने को नहीं है और यह बात सर्वविदित है। सरकार मानती भी है और इसी सिद्धांत पर उसकी योजनायें चल रही हैं। वे कहते हैं कि आज किसान अच्छी तरह से खेत में अन्न नहीं उपजा सकता, अपना उत्थान नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि सरकार थोड़ी सी, लाखों की सेक्योरिटी पर पूंजीपतियों को करोड़ों रुपया दे देती है लेकिन गांव वालों को कुछ नहीं मिल पाता। तकावी भी केवल भूमिधरों और सीरदारों को मिल पाती है, जो काश्तकार गरीब है, मजदूर है, उसे नहीं मिल पाती जिस से वह अपना उत्थान कर सके और खेती कर के लाभ उठा सके। मेरा सुझाव है कि इसके लिये तकावी रूल्स में परिवर्तन होना चाहिये।

हमारे प्रदेश में ७५ फीसदी अलाभकर जोतें हैं। उनकी अवस्था को अगर देखा जाय और उसे टैक्सेशन के सिद्धांत पर कसा जाय तो मालूम होगा कि उनको कुछ नहीं बचता है। आप इन्कम टैक्स, सेल्स टैक्स, सभी में कुछ न कुछ छूट देते हैं, फिर इस अलाभकर जोत वाले से आप क्यों लगान वसूल करते हैं? विदेशों में भी केवल बड़े बड़े फार्म वालों से टैक्स लिया जाता है, छोटों से नहीं। अगर हम अलाभकर जोत वालों को लगान से छूट देंगे तो उस से हमारा १/३ लैन्ड रेवेन्यू कम हो जायगा और ७५ फीसदी किसानों को राहत मिलेगी। यह केवल ७, ८ करोड़ का मसला है। यदि यह सुझाव मान लिया जाय तो वे छोटे किसान अपना अन्न उत्पादन बढ़ाने में और देश की प्रगति में सहायक सिद्ध हो सकेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हिम्मतसिंह]

आज जो चकबंदी चल रही है उसमें नियमों में है कि गोचर भूमि छोड़ी जा सकती है। लेकिन जमींदारी उन्मूलन के बाद ३७ लाख एकड़ भूमि तोड़ कर खेती में ले ली गयी। उस भूमि में पहले हमारा पशुधन चरा करता था। संध्या बेला में लाखों मवेशी जंगल से लौट कर आते दिखायी पड़ते थे जिनमें गाय, भैंस, बछड़े, सभी होते थे और १/३ आमदनी हमें अपने पशुधन से होती थी। आज हम किसी गांव के किनारे शाम को जा कर खड़े हो जायं, देखें तो ४०, ५० से ज्यादा मवेशी हमें जंगल से लौटते नहीं दिखायी देंगे। तो मेरा सुझाव है कि जहां चकबंदी चल रही है वहां गोचर भूमि अनिवार्य रूप से छोड़ी जानी चाहिये। ऐसा होने से पशु आसानी से चरने की जगह पायेंगे और काश्तकारों को पशु आसानी से मिल सकेंगे जिससे अन्न के उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी और खेती में भी सुविधा होगी।

इसके अतिरिक्त गांव समाज को जो भूमि आज मिल रही है वह उसकी पूर्णरूपेण सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। जमींदारों ने भूमियों पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। जहां झाड़ है वहां गेहूं की फसल कागजों में दिखायी जा रही है। जहां बाग नहीं भी हैं वहां बाग दिखाया गया है। हम लोगों के चिल्लाने पर बतलाया जाता है कि जो पुराने एस० डी० एम० थे वे ऐसा लिख गये हैं, अब ठीक कर दिया जायगा।

लेखपाल के बारे में आपको मालूम है कि उसको क्या क्या अधिकार हैं, उसके बारे में यहां पिछली बार बहस भी हो चुकी है मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वे सीलिंग और खतरे को ठीक कराना चाहते हैं तो पहले जो आपका लेखपाल है उसको ठीक करना होगा। लेखपाल, अगर किसी का बयनामा होता है, तो १० परसेंट अपना हिस्सा लगा लेता है। उसी के सहारे सारे रेकार्ड्स तैयार किये जाते हैं। जो वह लिख देता है वही ऊपर से डिटो होता चला जाता है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जल्दी से जल्दी इस ओर ध्यान दें ताकि लेखपाल गड़बड़ी न कर सके।

माननीय हरीसिंह जी ने कहा कि चकबंदी में अब ५० फीसदी खराबियां दूर हो गयी हैं। मेरे पास राजस्व विभाग के कार्य विवरण की एक पुस्तिका है, उसमें लिखा है कि चकबंदी अधिकारी २११ हैं जिनमें से ९४ पर मुकदमा चलाया गया जिनमें आगे चल कर कुछ तो छूट गये और कुछ के बारे में एंट्री कर दी गयी। यानी कम से कम जो इस कैटेगरी में आते हैं वे ४४ फीसदी के करीब हैं। दूसरी कैटेगरी में सहायक चकबंदी अधिकारी आदि, ५१ फीसदी आते हैं। तो माननीय हरीसिंह जी किस आधार पर कहते हैं कि चकबंदी विभाग धीरे धीरे अब ठीक होता जा रहा है? इस पुस्तिका के देखने से पता चलेगा कि लगभग ५० फीसदी व्यभिचार अब भी वहां है। तो माननीय हरी सिंह जी के कथनानुसार मैं समझूं कि पहले १०० फीसदी करप्शन था जो अब घट कर ५० फीसदी रह गया है? अगर ऐसी बात है तो मैं उनके कथन को माने लेता हूं। अगर ऐसा नहीं है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि उन्होंने किस आधार पर यह बात कही।

इसके अलावा, श्रीमन्, आप देखें कि जो चक बनाये जाते हैं उनका कोई आधार नहीं होता। जिनके पास पैसा होता है, उनके तो चक बहुत बढ़िया तरीके से बना दिये जाते हैं किन्तु जो गरीब हैं, उनके चक ठीक तरीके से नहीं बनते। इसलिये माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे इस ओर भी ध्यान दें।

जो न्याय पंचायतें बनी हैं और उनको जो ५०० रुपये तक के मुकदमे करने के अधिकार दिये गये हैं, उस बारे में भी मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन्, पहले उनको भूमि के सम्बन्ध में जो अन-डिस्प्यूटेड केसेज होते थे, उनके बारे में भी निर्णय लेने के अधिकार थे किन्तु बाद में उनको वापस ले लिया गया। मैं चाहता हूं कि जब आपने ५०० रुपये तक के अधिकार उन न्याय पंचायतों को दे रखे हैं तो कोई कारण समझ में नहीं आता कि उनको ऐसे मामलों में जो कि अन-डिस्प्यूटेड हों निर्णय लेने का कोई अधिकार न हो। उनको इस तरह का

अधिकार होना चाहिये कि जो अन-डिस्प्यूटेड केसेज हो उनके बारे में वे स्वयं निर्णय ले सकें और डिस्प्यूटेड केसेज को तहसीलदार को रिफर कर दें। वे गांव की वास्तविक स्थिति से, गांव वालों के परिवार के लोगों से, अच्छी तरह वाकिफ होते हैं और इस कारण वे सही फैसला दे सकते हैं।

दूसरी बात यह कि आज हम देखते हैं कि वहां पर एक-एक कर्मचारी ८-८ और १०-१० वर्ष तक एक ही जिले में कार्य करता है। किसी कर्मचारी को भी ३ वर्ष से अधिक एक जिले में नहीं रहना चाहिये।

आज हम देखते हैं कि बाज जिलों में बन्दोबस्त हो रहा है। आज देखने में आता है कि जो पहाड़ के जिले हैं वहां पर लोग स्थान पर देखने तक के लिये नहीं जाते हैं और बैठे बैठे ही खानापूरी कर दी जाती है। मैं यह अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री जी से कि जो भी हमारे बार्डर एरियाज हैं वहां के डिटेल्ड नक्शे तैयार कराये जाने चाहिये। ऐसा करने से ही हम अपने प्रदेश का कल्याण कर सकेंगे और कुछ लाभ उठा सकेंगे।

आज हम यह देखते हैं कि लैंड एक्वीजीशन के अन्दर पुराने रूल्स के अनुसार ही काश्तकारों को मुआवजा दिया जा रहा है। उनकी हजारों रुपए की जमीन चन्द रुपयों में ही ले ली जाती है और उनके बसने का कोई प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है। इसलिये ये रूल्स बदलने चाहिये, वर्ना काश्तकार उजड़ता चला जायगा। अगर हमने काश्तकारों को बेकार कर दिया तो हम बेरोजगारों की गिनती नहीं कर पावेंगे।

यह भी देखने में आता है कि जुडिशल आफ़िसर्स और वकला अपनी सांठ-गांठ किये हुये हैं, रंग-रेलियां करते हैं और अपने सौदे करते हैं जिससे मुकदमों में खराबियां करते हैं। मुक़दमों में होना कुछ चाहिये और होता कुछ है। तो ये नये वकील जो भ्रष्टाचार का कारण बने हुये हैं उनकी इन्क्वायरी होनी चाहिये। नये-नये नौजवानों के साथ जुडिशल अफ़सर रंग-रेलियां करते पाये जाते हैं। अगर वहां की आम जनता या वकला साहबान का बार कह दे कि यह अफसर ठीक नहीं है तो उसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये और उचित कार्यवाही होनी चाहिये।

हमारे काश्तकारों को उतना नहीं मिल पाया जितना मंत्रीजी द्वारा मिलना चाहिये। सीरदार, भूमिधर और असामी के अन्तर को भी खत्म करना चाहिये। भूमिधर असामी बना दिये जावें जिससे सीरदार और भूमिधर के हकूक का अंतर खत्म हो जाय। सरकार कहा करती थी कि मध्यवर्ती निकल जायगा और सब सुखी रहेंगे। लेकिन अब तो जमींदार को सारा अधिकार बिना १० गुना दिये ही प्राप्त हो गया। ऐसी सूरत में मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बिना किसी हील-हुज्जत के सीरदारों को भी भूमिधर बना दिया जाय जिससे उनके साथ भी न्याय हो सके।

मैं भोलालाल जी के कटौती के प्रस्ताव का पुनः समर्थन करता हूं।

श्री नागेश्वर प्रसाद (जिला जौनपुर)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, इसमें सन्देह नहीं कि जब से कांग्रेस सरकारें इस प्रांत और देश में बनी हैं तब से किसानों के हित में एक न एक काम ऐसे होते रहे हैं जिनकी दुनियां में कोई मिसाल नहीं है। मसलन, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन अपने ढंग की एक अनोखी बात थी। दुनिया के किसी देश में जमींदारी इस तरह से खत्म नहीं हुई और हमारे देश में भी किसी दूसरे सूबे ने पहले इस काम को शुरू नहीं किया था। जमींदारी उन्मूलन के बाद जो जमीन संबंधी सुधार हुये वे भी मामूली बातें नहीं हैं। आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में २०, २२ किस्म के काश्तकार थे, जिनको काटछांट कर, उनकी तमाम श्रेणियां समाप्त करके, चार श्रेणियों में रखा गया। चार श्रेणियों की बड़ी आवश्यकता थी और सदन में यह सवाल उठाया भी गया कि ये भी इतनी

[श्री नागेश्वर प्रसाद]

अधिक क्यों रखी जा रही हैं। मैं समझता हूं कि उन्हें मजबूर होकर रखना पड़ा अन्यथा सरकार की मंशा तो केवल एक ही श्रेणी की थी, वह थी भूमिधरों। आज हमारे सीरदारों को बराबर अवसर है कि १० गुना दाखिल करके भूमिधर बन जावें। हम फैसला कर चुके हैं कि जमींदारी का मुआविजा दे कर खत्म करेंगे, इसलिये बिना किसी १० गुने के काश्तकारों को सीधे भूमिधर बनाना कठिन है। दसगुना दे कर भूमिधर बनने के साथ-साथ लगान आधा होने की रिआयत भी दी जाती है। यह एक प्रकार से सौदा है कि जिस किसान को यह पसन्द है वह उसे अपनावे और भूमिधर बने।

अब रह गई बात अधिवासी और असामी की; अधिवासी उन्हें माना गया है जो समर्थ काश्तकारों के शिकमी थे। फिर असामियों में दो तरह के काश्तकार हैं। एक तो वे जो पुराने रिहनदार हैं और दूसरे वे जो असमर्थों के शिकमी हैं। क्या कोई चाहेगा कि असमर्थों के शिकमियों को सीधे-सीधे भूमिधर बना दिया जाय? मैं समझता हूं कि कोई नहीं चाहेगा। जैसे कोई विधवा हो गई, वह खेती नहीं कर सकती है, कोई नाबालिग है, फौज में है या जेल में है, ऐसे लोग मजबूरन खेती नहीं कर सकते हैं। इस कानून में उनको एक मौक़ा दिया गया है। मैं समझता हूं कि यह कोई नहीं चाहेगा कि यह सुविधा खत्म कर दी जाय। अगर यह चीज बनी रहती है तो असामी वाली श्रेणी भी बनी रहेगी। जितना अधिक से अधिक सोचा जा सकता था उतना विचार करके सरकार ने श्रेणियां कायम की हैं।

इसके बाद मेरा निवेदन है कि हमारे किसानों की जमीनें बिखरी हुई पड़ी हैं। वह एक जगह खेत देखने जाता है तो दूसरी जगह नुकसान हो जाता है। एक जगह सिंचाई के लिये कुवां या तालाब खुदवाता है, परन्तु दूसरी जगह कोई सुविधा नहीं है। छोटे-छोटे टुकड़ों में बिखरी हुई जमीन के कारण चकबन्दी का कानून लाया गया, जिससे खेत एक जगह करने की व्यवस्था की जा रही है। माना कि कुछ अधिकारी व कर्मचारी दूषित भावनाओं से, पार्टीबाजी से अथवा प्रलोभनों में फंसकर वे ठीक से काम न करें, इन बातों से इन्कार नहीं किया जा सकता, लेकिन उन कर्मचारियों के अलावा भी गावों में ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिये उनका दुरुपयोग करते हैं, लाभ उठाते हैं और ऐसे लोगों द्वारा भी इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं। तो जब तक समाज में स्वार्थवश गलत काम कराने वाले लोग मौजूद हैं तब तक ऐसी बातें होती रहेंगी। फिर भी, सरकार भरसक कोशिश करती है कि इस तरह की बुराइयां दूर हों।

इसी तरह से एक बड़ी भारी समस्या यह है कि बहुतों के पास बहुत अधिक जमीन है और बहुतों के पास बहुत कम जमीन है। इसके लिये अभी पिछले दिनों हमारे सदन में एक विधान बनाया गया है जिसके द्वारा ४० एकड़ भूमि की सीमा निर्धारित कर दी गई है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्रीजी के ध्यान में यह बात होगी कि जब इस बात की शोहरत हुई कि भूमि की सीमा निर्धारित होने जा रही है तब से बहुत से अधिक भूमि वाले लोगों ने अपनी जमीन के मामले में कुछ इस प्रकार की कार्यवाहियां कर ली हैं कि जिनसे सरकार की यह आशा कि भूमिहीनों में वितरित करने के लिये काफ़ी जमीन मिल जायगी, वह कम हो गई। हमें भी ऐसे बहुत से मामलों की जानकारी है कि बहुत लोगों ने अपनी जमीन को नौकरों के नाम लिखवा दिया, उनके नाम कागज में दर्ज करा दिये और अपने पास जमीन का छोटा सा रक़बा दिखाया, और बाद में उन नौकरों से जमीनों का बैनामा करा दिया, और रुपया खुद ले लिया। उस तरफ़ तो सीमा से वे बच गये और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों के नाम से अपनी जमीनों को किये हुए हैं और आज भी वे उनके ऊपर अपनी काश्त करते हैं, केवल कहने के लिये उनके पास ४० एकड़ ही है। मैं समझता हूं सरकार का ध्यान इस ओर गया होगा और सरकार ऐसे लोगों के बारे में (जो नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं) कुछ अवश्य करने जा रही होगी जिससे वे आंखों में धूल न झोंक सकें।

गांव समाज की भूमि के संबंध में कहा गया कि उसका बड़ा दुरुपयोग होता है। आखिर गांव की पंचायतों और उसके पंचों को गांव वालों ने ही चुना है। उन्हीं के हाथ में ऐसी बंजर जमीनों का स्वामित्व दे दिया गया है जिसका पहले जमींदार मालिक था। गांवों में ऐसे भी लोग हैं जो उसका नाजायज लाभ उठाते हैं लेकिन इसके साथ ही साथ ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो भूमि प्रबंधक समितियों के चेयरमैन हैं और ईमानदारी से काम करना चाहते हैं लेकिन उनके काम में तरह-तरह के रोड़े अटकाये जाते हैं।

जहां तक सरकारी वकीलों का ताल्लुक है, ऐसी बात नहीं है कि उनमें से सब के सब ऐसे हों जो गांव समाज की जमीन का नाजायज लाभ उठाते हों या दुरुपयोग करते हों या नाजायज तौर पर लोगों से रुपया लेते हों। लेकिन कुछ लोग ऐसे अवश्य हैं जो चेयरमैन के चाहते हुए भी मुकदमों की ठीक से पैरवी नहीं करते हैं, सरकार से तनख्वाह पाने के बावजूद गांवों के प्रधानों से भी मेहनताने में रुपया लेते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से जो वकील इस काम के लिये रखे गये हैं उनको अपने कर्त्तव्य का कड़ाई के साथ पालन करना चाहिये और कोई अगर गलतफहमी में भी गांव समाज की जमीन ले ले तो उसकी ओर उन्हें ध्यान देना चाहिये।

अभी कल एक सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री जी ने कहा कि प्रश्न से संबंधित पोरईकलां गांव में इंतजाम ठीक हुआ है। कागजात में तो ठीक है ही। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कानूनगो और लेखपाल के द्वारा मिलकर गांव समाज की जमीन का बहुत बड़ा दुरुपयोग हुआ है। लोगों ने नाजायज तरीके से कब्जा किया और मिल कर लाभ उठाया है। लेकिन प्रधान चाहते हैं कि गांव समाज की जमीन की रक्षा हो फिर भी रक्षा नहीं हो पा रही है। उस गांव का लेखपाल वहीं रहता है और खेतीबारी भी करता है। इसके अतिरिक्त गांव की पार्टीबंदी में हिस्सा लेता है और अपने पद का दुरुपयोग करता है। ऐसे लेखपाल को, जो नाजायज काम करता हो, गांव की पार्टीबन्दी में भाग लेता हो उसको वहां नहीं रहना चाहिये। एक जमाना था जब आप कहते थे कि पटवारी को उसी गांव में रहना चाहिये लेकिन अब अगर कोई पटवारी पार्टीबन्दी में हिस्सा लेता है, जिसके हाथ में सारी भूमि सम्बन्धी कागजी सरकारी जानकारी है तो मैं समझता हूं उसके वहां रहने से वहां का वातावरण दूषित हो जायगा, उसको वहां से हटा दिया जाना चाहिये।

जहां तक लगान की वसूली की बात है, हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि लगान बढ़ाया जा रहा है। लेकिन मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उसने अपने १२ साल के शासन में एक पाई भी लगान नहीं बढ़ाया। इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता कि दैवी आपदाओं के समय किसानों को सहायता दी गयी है तथा किसानों को पैदावार बढ़ाने के मामले में भी सहायता दी गई है जिससे खेती की पैदावार बढ़ी है और किसानों ने हर तरह से उसका उपयोग भी किया है। पहले जो एक वक्त खाते थे, अब दोनों वक्त खाने लगे, जिनको मुश्किल से खाना मिलता था वे अब अच्छी तरह से भरपेट खाना खाने लगे, अच्छे कपड़े पहनने लगे, घर द्वार की तथा उनकी अन्य आवश्यकता की चीजें भी बढ़ी हैं। इस तरह से उन पर अन्न का खर्च खुद ही बढ़ा है और दूसरी तरफ अन्न इतना मंहगा होने के बावजूद भी मालगुजारी की दर जितनी पहले थी उतनी ही रह गयी। और इतना और हुआ कि अगर कोई आदमी सीरदार है और उसने लगान का दसगुना दाखिल कर दिया, उसकी मालगुजारी आधी कर दी गयी। अब जो यह दिखलायी पड़ता है कि पहले कितना करोड़ रुपया सरकारी खजाने में मालगुजारी का आता था और अब कितना करोड़ आ रहा है, तो उसकी वजह यह है कि पहले जमींदार गवर्नमेन्ट को जो देते थे वही सरकारी खजाने में आता था और उसका एक हिस्सा किसान से वसूल कर अपने पास ही रख लेते थे लेकिन अब वह हिस्सा भी जो जमींदार अपने पास रख लेते थे किसान द्वारा सरकार के खजाने में आ जाता है। जो जमींदार को प्रतिकर के रूप में दिया जा रहा है, इसी से यह बढ़ी हुई रकम दिखलायी पड़ती है।

[श्री नागेश्वर प्रसाद]

इसके अलावा बहुत जमीन ऐसी थी जिसको किसान जमींदार के कारिन्दों को नाजायज पैसा देकर जमींदार की गैरजानकारी में जोतते थे क्योंकि उनको डर था कि कहीं जमींदार बेदखल न कर दे। लेकिन अब सरकार ने उस जमीन पर उनको मालिकाना हक दे दिया और साथ ही वे मालगुजारी के देनदार हो गये और इस प्रकार का लगान देने में किसान को इन्कार नहीं है। तो इस तरह की जमींनों का लगान भी सरकारी खजाने में आने लगा जिससे लोग समझते हैं कि अब बहुत बड़ी रकम बढ़ गयी है। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास मामूली लगान पर जमीन थी, उन पर लगान बढ़ाने के लिये सरकार मजबूर है लेकिन जिन लोगों की जमीन का निश्चित रेट हो गया है उनकी मालगुजारी बढ़ाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता।

मैं सरकार का ध्यान एक बात की ओर और आकृष्ट करना चाहता हूं और वह यह है कि पहले जमींदारों की तरफ से बहुत से बाजार लगते थे लेकिन उनमें से अधिकांश बाजारों पर गांव समाज को अधिकार नहीं मिल पाये। इन बाजारों से गांव समाज को बहुत बड़ी आय हो सकती है। इसलिये मैं आप के द्वारा सरकार का ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जबतक बाजारों की आयको वसूल करने का पूरा अधिकार गांव समाज को नहीं मिल पाता तब तक गांव की तरक्की की कोई बात नहीं की जा सकतीहै।

श्रीमन्, मैं अपने जिले की तहसील मछलीशहर के एक मामले को आप के द्वारा सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। वहां के किसानों ने सन् १९४९–५० में लगान का दसगुना दाखिल कर दिया लेकिन उनको दस गुना दाखिल करने पर भी भूमिधरी प्रमाण-पत्र किन्हीं कारणों से नहीं मिला। जब उन्होंने बार बार इसकी मांग की तो बाद में आदेश हुआ कि यह धन या तो उनको वापस कर दिया जाय या उनकी मालगुजारी में मुजरा कर दिया जाय। लेकिन बावजूद इस आदेश के न तो उसे मालगुजारी में ही मुजरा किया गया और न किसानों को वापस ही दिया गया। किसानों के बार बार दरख्वास्त देने पर वहां के पुराने तहसीलदार ने अपनी तहसील की बेबाकी दिखलाने के लिये उस सारी रकम को सरकारी खजाने में दूसरी मद में जमा कर दिया। इससे काश्तकारों को कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि न तो उनके लगान में उसे मुजरा किया गया और न उस को वापस ही किया गया जिससे वहां के किसानों को बड़ी परेशानी है। इसलिये माननीय माल मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि उस रकम को उन्हें दिलाने की कृपा करें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैंने उसके लिये हुक्म दे दिया है।

***श्री बलदेवसिंह** (जिला गोंडा)—अधिष्ठाता महोदय, राजस्व मंत्री ने जो यह बजट पेश किया है उस पर मैं भी अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सब से पहले मैं माननीय मंत्रीजी से इस बात के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस भूमि की जो व्यवस्था है वह सुनिश्चित और सुदृढ़ होनी चाहिये। इसका प्रभाव देश के ऊपर पड़ता है। बार बार सरकार की तरफ से एलान होता है और उस पर स्थिर नीति नहीं रह जाती तो खेतिहर लोग जो हैं वे अपने को ढीला समझने लगते हैं और यह समझते हैं कि सरकार की नीति इस प्रकार की ठीक नहीं है।

मैं निवेदन करूंगा कि इसी सदन में कुछ दिन पहले जमींदारी उन्मूलन की बड़ी चर्चा थी लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद यहां यह एलान किया गया कि बड़ी संख्या में जो परती जमीनें हैं, कल्चरेबिल वेस्ट लैंड है उस को तोड़ा जाय और अनाज पैदा किया जाय। इस एलान पर लोगों ने परती तोड़ी और अनाज पैदा करना आरम्भ किया। उसके बाद अब यह सीलिंग का नारा लगाया गया और फिर उसके बाद में सहकारी खेती अब आ गई और अगर माननीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भीखालाल जी की चले तो न जाने क्या होने वाला है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह यहां पर इस प्रकार से स्वस्थ परम्परा बनावें कि जिस से करोड़ों किसान जो खेती पर अपना जीवन बसर करते हैं वह अपनी जगह पर निश्चित रूप से रहें और यह न हो कि उन की भूमि फिर किसी काम के लिये ली जा सकती है। यह जो इतने दिन से चला आ रहा है कि रात दिन रोज रोज तब्दीलियां होती हैं वह न होनी चाहिये और आज किसी को विश्वास नहीं है कि न जाने कब क्या हो जायगा। इसलिये मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें।

दूसरी बात यह है कि माननीय भीखा लाल जी ने बताया कि ३२ लाख एकड़ भूमि गांव सभाओं के पास कृषि योग्य बेकार पड़ी है। अब सही आंकड़े क्या हैं यह नहीं मालूम लेकिन एक किताब मिली थी जिसमें बताया गया था कि ५०-६० लाख एकड़ के बीच में ऐसी जमीन है जिस पर कि खेती हो सकती है और वह बेकार पड़ी है। हमारे यहां सीलिंग के काम में ९ करोड़ रुपया व्यय होगा और उससे केवल ३-४ लाख एकड़ जमीन ही अन्दाजन मिल सकेगी। अगर इतना रुपया बजाय इसके कि सीलिंग पर व्यय किया जाय वह परती जमीनों के तोड़ने में व्यय किया जाता तो वह अधिक उपयोगी होता और उससे अधिक खेती की जमीन काश्तकारों को मिल सकती। इस ९ करोड़ रुपये के व्यय से १०-१२ लाख एकड़ जमीन मिल सकती थी और उस पर किसान सुन्दर ढंग से खेती कर सकते थे लेकिन वह न कर के सरकार बंधी बंधाई खेती पर अपना कब्जा कर रही है। मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी इस सुझाव पर ध्यान देने की कृपा करेंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन--तो क्या सीलिंग न लगावें ?

श्री बलदेवसिंह--अब तो आप पास कर चुके हैं वह तो आप लगावेंगे ही, लेकिन अच्छा होता कि यह ९ करोड़ रुपया परती जमीनों के तोड़ने पर खर्च किया जाता। उस से और भी अधिक जमीन खेती के लिये मिल सकती थी।

(इस समय २ बज कर १३ मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुये।)

तीसरी बात यह है कि कई तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया कि जहां भी चकबन्दी हो रही है वहां उसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं निहायत खुले दिल से कहता हूं और मंत्री जी को बधाई देता हूं कि जहां भी जितनी जल्द सम्भव हो वह चकबन्दी जरूर करावें। अगर बजाय ४-५ खेत इधर-उधर होने के एक चौकोर खेत किसान के लिये हो जाय तो छोटे-छोटे किसानों के लिये खेती और पानी की सुविधा हो सकती है। अगर खेत इकट्ठा नहीं होते तो वह पानी वगैरह की सुविधा नहीं कर पाता। अगर किसानों की खेती इकट्ठा हो जाय और पानी की सुविधा हो जाय तो सारी दिक्कतें वह स्वयं हल कर सकता है। तो यह चकबन्दी का जो बहुत विरोध किया गया मैं इसका तहेदिल से समर्थन करता हूं कि इस कार्य को होना चाहिये और जल्दी से होना चाहिये। मैं यह भी कहने में संकोच नहीं करता कि इधर कुछ दिनों में इसमें काफी सुधार हुआ है। जिस क्षेत्र से मैं चुन कर आया हूं उसमें भी चकबन्दी हो रही है और मुझे वहां जाने का इत्तफाक हुआ है। मैंने पता भी लगाया है। तो यह निश्चित है कि उसमें ज्यादा कर्मचारी जो हैं वह अच्छे हैं और कम खराब हैं। वह सुचारु रूप से काम करते हैं। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं जो अच्छे ढंग से, ईमानदारी से और मेहनत से काम करते हैं। एक बात और कही गई कि इसमें ५०-६० परसेन्ट लोगों पर मुकदमे चलाये गये, वह अलग किये गये। मैं यह अच्छा सबूत मानता हूं कि सरकार इस तरफ सतर्क है और वह जरा सी भी गलती सहन नहीं करती। मेरा तो खयाल है कि इस मुहकमें के लोग अच्छा काम कर रहे हैं। इनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए और जल्दी से इस काम को पूरा करना चाहिए जिससे देश की हालत सुधरे।

[श्री बलदेवसिंह]

एक बात और मंत्रीजी को बता देना चाहता हूं। जमींदारी खत्म हुए आठ-दस वर्ष हो गये। बांड जमींदारों को मिले। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने बांडों को प्राप्त करने में असमर्थ हैं। उनको मिला है १०, १५ या २० रुपये का बांड और अगर वह तहसील जांय तो उनको वहां पहचान करवाने में, अपने को साबित करवाने में, दो दिन ठहरने में, दो तारीखों में, उनकी सारी कमाई खत्म हो जाती है। मैंने कई बार प्रार्थना की है, माननीय मंत्रीजी यह बात भी हमारी नोट कर लें कि अगर संभव हो तो—एक तो मुआवजा ही बहुत कम मिला था और दूसरे जो मिला है वह सारा उसी में बर्बाद हो जाय—जब कि सारा काम इस सरकार का पोस्ट आफिस के जरिये से चल जाता है तो बांड्स को उन लोगों को पोस्ट आफिस के जरिये से रजिस्ट्री द्वारा भेज दिया जाय और रजिस्ट्री का खर्च उसमें से काट लिया जाय। इससे उनका महान कल्याण होगा। इस पर वह ध्यान देने की कृपा करें।

श्रीमन्, एक बात और कह दूं। गांव में बहुत से लोग खेतिहर आज भी ऐसे हैं कि जो अपनी खेती को अच्छे ढंग से नहीं कर पाते और दूसरों को भी नहीं देते कि हमारा खेत कहीं निकल न जाय। वह लगान देते हैं और परती भूमि पड़ी रहती है इसलिये कि वह किसी के नाम इंदराज न हो। तो जब सीलिंग हो गई है तो एक बार अगर यह भी फैसला कर लें कि जब सीलिंग हो ही चुकी है तो वह जिसको चाहें शिकमी पर भी खेत दे सकें। इससे दोनों को ही लाभ होगा—सरकार को भी और उसको भी। पैदावार बढ़ जायगी। इसमें किसी किस्म के घाटे की बात नहीं है? अगर यह बात समझ में आवे तो इस पर भी मंत्री जी ध्यान देने की कृपा करें।

श्रीमन्, लेखपाल की बात बड़े झगड़े की है। रात दिन जो तमाम झगड़े गांव में होते हैं तो कुछ झगड़े तो आप से आप हो जाते हैं लेकिन जो भूमि के संबंध में झगड़े होते हैं वह ५० परसेन्ट लेखपालों की वजह से होते हैं। एक बड़ा भारी मुहकमा है बिल्कुल निरर्थक अपने प्रदेश के ही पास जहां गोरखपुर, देवरिया खत्म होता है और छपरा आ जाता है वहां लेखपाल नहीं हैं और वहां का काम बहुत सुचारुरूप से चल रहा है। यहां बिना जरूरत इनको रखा गया है जिससे इस प्रदेश का कोई कल्याण होने वाला नहीं है सिवाय इसके कि रात-दिन झगड़े बढ़ें और मुकदमेबाजी हो। एक लेखपाल का किस्सा बतलाऊं कि दोनों तरफ नक्शे में कब्जा दिखला दिया, इजलास में पेश हुआ और पूछा कि किसका कब्जा है तो कहा कि दोनों का कब्जा है। पूछा—कैसे? तो उसने कहा कि दिन भर मछुआ एक बीनता है और रात में दूसरा बीनता है। इसलिये दोनों का कब्जा मैंने लिख दिया। दीवानी में मुकदमा चला गया है। पता नहीं क्या फैसला होगा? लिहाजा यह जो निरर्थक संस्था है इसको समाप्त कर दिया जाय ताकि जो लाखों रुपया मुकदमेबाजी में खर्च होता है वह बच जाय।

भाई भीखालाल जी ने कहा कि पुराने जमींदारों के खेत बढ़ गये। उन्होंने कहा कि ५० एकड़ से ज्यादा खातेदार इतने अधिक बढ़ गये हैं जितने कभी पहले नहीं थे। मैं भी जानता हूं कि बढ़ गये हैं, लेकिन वह सवाल आज पैदा नहीं होता। पुराना जमींदार अपने खेत पर खेती करता था। और वह आज भी काबिज है, लेकिन नये जमींदार जो बढ़े, जो उधर भी बैठे हैं और इधर भी बैठे हैं, यहां भी हैं और कौंसिल में भी हैं, उनके परिवार भी हैं उनके खेत बढ़े और कितने बढ़ जायंगे मैं कह नहीं सकता। वे राजे तो मिट गये, अब ये नये राजे जो पैदा हुए हैं इनको आप रोकिये। पुराने जमींदारों का मुर्दा ढोल जो पीटा जाता है उनके लिये कुछ भी आप कहते चले जाइये, लेकिन वह जमींदार न अब हैं, न उसकी खेती है, उसके राग को ज्यादा गाने से मैं समझता हूं कुछ कल्याण होने वाला नहीं है।

आपके प्रदेश में जो कल्चरेबिल लैंड मौजूद है, ५० लाख एकड़ जमीन परती पड़ी हुई है जिस पर अभी तक खेती नहीं हो सकी है और न वह किसी को मिली है वह कहां चली गयी? मंत्री जी उसके बारे में बतलाने की कृपा करेंगे कि वह कहां चली गयी?

सहकारिता पर बड़ा जोर है और उसके लिये कुछ आंकड़े भी पेश किये गये कि यह बहुत जगहों पर सफल हुई है जैसे इजरायल, चायना में। आचार्य दीपंकर ने एक किताब भी लिखी है जिसमें वह बतलाते हैं कि बड़ी सफलता मिली है। लेकिन मैं अर्ज करूं कि हर जगह पर वह चीज फिट नहीं हुआ करती। जो काम मेरे लिये सुविधाजनक है वह माननीय पद्माकर लाल जी के लिये नहीं हो सकता। इसी प्रदेश में माननीय राजस्व मंत्री को मालूम होगा एक परगना है जौनसार बावर जहां पर पिछले दो तीन साल हुए यह विधेयक पारित किया था, बहुपति प्रथा थी। एक स्त्री के ४,४ और ५,५ शौहर होते थे और उसका इस्तेमाल सहकारी खेती की तरह से होता था और ऐसी निभती थी कि कभी झगड़ा नहीं होता था।

श्री हुकुमसिंह विसेन—उसमें लेखपाल नहीं लिखते हैं।

श्री बलदेवसिंह—लेकिन इस सदन में कहा जाय कि वह सहकारी खेती यहां भी शुरू की जाय तो वह मार पड़े कि हमारी खोपड़ी फूट जाय। दूसरे की मिसाल अपने ऊपर लगाना नितान्त भ्रमात्मक है और कभी सफल नहीं हो सकती।

अन्त में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि या तो वह कम्युनिस्टों के हाथ की खिलवाड़ बन जाय, गोकि सरकार अभी तक चुप है, सहकारी खेती ने एक बार बड़ा शोर मचाया था लेकिन अब कह दिया कि जबरदस्ती नहीं करेंगे, तो अगर उनके खिलवाड़ में आना है और सरकार को अपना पतन करना है तो एलान कर दीजिये कि कल से साझे की खेती होगी और मैं उसका डट कर विरोध करूंगा कि नहीं होनी चाहिये। आप हमारा कहना मानें कि साझे की खती बिल्कुल न करें, यह चूं-चूं का मुरब्बा न बनाइये कि कुछ हमारी करें और कुछ उनकी करें।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय भीखालाल के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

***श्री रामलक्षण तिवारी** (जिला बलिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे जिले से आ रहा हूं कि जो जिला इस प्रदेश में सब से अधिक घनी आबादी वाला जिला है और जहां पर खेती का सब से कम एकरेज काश्तकारों का पड़ता है, जहां पर....

श्री उपाध्यक्ष—अपने जिले का नाम तो बता दीजिये।

श्री रामलक्षण तिवारी—उद्योग-धंधों की भी बिल्कुल ही कमी है। यह बलिया जिला है जिसने कि स्वतंत्रता के संग्राम में सदा आगे स्थान रखा। सन् १९२१ के आन्दोलन में वह सेकेंड बारदोलोई कहा गया और सन् ३० और ३२ के आन्दोलनों में इस प्रदेश में सब से आगे अपना स्थान रखा और सन् ४२ के आन्दोलन में जिसका नाम देश ही के अन्दर नहीं विदेशों के भीतर भी चर्चा का विषय बना तथा जिसके लिये हुकूमत ने यहां से वायर किया कि "बलिया रिकांकर्ड", लेकिन उसी बलिया के निवासियों की ओर जब हम ध्यान ले जाते हैं और अपने पूर्व इतिहास को देखते हैं तो अफसोस होता है कि हम लोग वहां के प्रतिनिधि हो कर पता नहीं हम लोगों में कमी है कि वहां के केस को अच्छी तरह यहां रख नहीं पाते हैं या सरकार की ही कोई उपेक्षा ऐसी है जिसके कारण बलिया के ऊपर कृपा नहीं हो पाती।

सन् २८-२९ के बाद से ही मुझे ज्ञात है कि बलिया की सीमा का सवाल शुरू हुआ था जबकि हिन्दुस्तान गुलाम था। उस समय से ही यह झगड़ा चल रहा है। तब से आजतक न जाने कितने लोग मारे गये, कितने लुट चुके, कितने बरबाद हो चुके और उस सीमा के सवाल को ले कर इस प्रदेश की सरकार का कितने राजस्व का घाटा हुआ फिर भी यहां की सरकार इस मसले को तय करने में आजतक असमर्थ रही है। मैं तो सरकार को यह सुझाव देना चाहूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामलक्षण तिवारी]

कि जो मिड डीप स्ट्रीम के वेरीफिकेशन के आधार पर सीमा निर्धारित की जाती है उस कानून को यह सरकार न माने बल्कि जो सब से आखिरी बन्दोबस्त हुआ हो उस समय जो उत्तर प्रदेश की सीमा रही हो उस सीमा पर इस प्रदेश की सरकार को रेजिस्ट करना चाहिये और हर तरह से वहां तक अपना विस्तार कर लेना चाहिये। वहां पर अपनी पुलिस चौकियां और थानों को कायम कर के लगान वसूल करना शुरू कर देना चाहिये। तभी यह मसला हल हो सकता है, वरना उत्तर प्रदेश और बिहार, दोनों जब तक एकमत न हो जांय तब तक मिड डीप स्ट्रीम का कानून चालू रहे और हम लूज करते चले जांय और प्रदेश के राजस्व पर इतना बुरा असर पड़े यह बात कहने की नहीं है।

इसमें सब से ज्यादा परेशानी उन काश्तकारों को हो रही है जिनकी सारी जमींनें गिर जाती हैं, मकान गिर जाते हैं और रेगिस्तान के तौर पर मीलों जमीन दिखायी देती है, जिनके पास जीविका का कोई साधन नहीं रह जाता है, जहां के लोग बंगाल, बिहार और आसाम में कुली और मजदूरी का काम करके अपने बच्चों के भरण-पोषण का इन्तजाम करते हैं और उन प्रदेशों में भी जहां पर प्रान्तीयता का इतना जोर बढ़ गया है कि इधर के गये हुये लोगों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता है। मैं सरकार से आशा करता था कि जिस तरह से पंजाब और बंगाल के शरणार्थियों के लिये प्रबंध किया गया था उसी तरह से दैवी प्रकोप से सताये हुये इन लोगों के लिये सरकार प्रबंध करेगी। मैंने पत्र लिखे और कई बार सदन में निवेदन किया कि जो लोग भूमिहीन, निःसहाय और अकिंचन बन गये हैं, उन लोगों को, जो सरकार कोलोनाइजेशन की स्कीम चला रही है उसमें प्रायोरिटी दी जाय, सरकारी नौकरियों में उनको प्रायोरिटी दी जाय, पल्टन और पुलिस में उनकी भर्ती की जाय और उनकी एक स्पेशल बटेलियन बनाई जाय जिससे उनको रोजी और जीविका के साधन मिल सके उद्योगों के लिये भी कहा गया। लेकिन हम एक शुगर मिल भी नहीं बनवा सके। जबकि सरकार ने कई जगह स्थापित कीं। यहां से लिखकर भी भेजा गया लेकिन कुछ नहीं हो सका।

मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि जिस राजस्व विभाग की आमदनी पर मैं बात कर रहा हूं उस राजस्व विभाग के अन्तर्गत रहने वाले लोगों की जिन्दगी का जिक्र आयेगा। हमारे मुंशीजी को विषयान्तर प्रतीत हुआ है, लेकिन वह भी प्रभावित हुये हैं। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार अगर अपने राजस्व में वृद्धि करना चाहती है और चाहती है कि हमारा राज्य कलंकित न हो तो कम से कम वह बलिया की समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे।

मैं कुछ और बातें भी कहना चाहता हूं जिनका प्रदेश की जनता को सामना करना पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मंत्रिमंडल में खेतीबारी से भिज्ञ लोग कम थे इसलिये यह ज्ञात नहीं हो सका कि इससे किस तबके को लाभ पहुंच सकता है। अफसोस है कि ठाकुर हुकुमसिंह भी उसी में बह गये और मालूम होता है कि उन्होंने अपने दिमाग को नहीं लगाया, तभी यह निकम्मा कानून बनाया गया था। वह था हमारे शिकमियों का कानून। जहां दोनों में आपस के लेन-देन को नाजायज नहीं ठहराया जाता है वहां यहां की सरकार ने हमारे पारस्परिक समझौते से एक दूसरे से खेत लेकर जोतने को इल्लीगल करार दिया है। जो लोग दूसरे से खेत लेकर जोतते थे और अपना जीवनयापन करते थे उन लोगों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया जिन्होंने खेत दिया था।

लेखपालों के द्वारा यह समस्या और भी विकट हो गई है। पहले पटवारी लोग थे, उन लोगों ने जब चाहा मनमाना नाम अंकित कर दिया। मुझे उदाहरण मालूम हैं कि जिन लोगों का खेती में शिकमी का नाम दर्ज नहीं था वहां पटवारियों की कृपा से उन्होंने अपने नाम दर्ज करा लिये हैं। पटवारी का लिखना ब्रह्म वाक्य हो गया। हाईकोर्ट तक मुकदमा

लड़ा गया, जन-प्रतिनिधि लोगों ने कहा, लेकिन उनके कहने का कोई मूल्य पटवारी के लिखने के सामने नहीं रहा और पटवारी का लिखा हुआ कब्जा ही जायज माना गया।

इसलिये आज सारे देश में काश्तकार का जीवन अनिश्चित हो गया है और आज कोई काश्तकार यह महसूस नहीं करता है कि जो जमीन वह जोत रहा है वह उसके पास रहेगी या नहीं। पता नहीं लेखपाल भगवान कब उस पर अपनी कृपा कर देंगे! वैसे कानून यह है कि जब कोई नया नाम दर्ज किया जाय तो पहले नोटिस द्वारा सूचना दी जाय। लेकिन बिना नोटिस या सूचना दिये हुये वह नाम दर्ज कर देते हैं और इस नियम का पालन नहीं किया जाता है। जब नाम दर्ज कर दिया जाता है तो गांव के किन्हीं व्यक्तियों से लिखा लिया जाता है कि अमुक व्यक्ति का नाम दर्ज कर दिया गया है और उसने नोटिस लेने से इंकार किया है और एक खाना है उसमें नाम दर्ज कर दिया जाता है और दो तीन साल के बाद वह उसका मालिक बन जाता है।

इस प्रकार घोर अनिश्चितता की अवस्था हो गयी है। यह मुहकमा ऐसा मुहकमा हो गया है जिसमें लोग रोज परेशान होते हैं। हमने जब-जब कांग्रेस का आन्दोलन किया, स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी, हमने यह घोषित किया कि हम ऐसी व्यवस्था स्थापित करेंगे जिसमें मुकदमें नहीं रह जायेंगे, वकील लोग कचहरियों में बैठे-बैठे ऊब जायेंगे और कचहरियां बन्द हो जायंगी, लेकिन अफसोस है कि कचहरियां बन्द नहीं हो सकीं बल्कि आज कचहरियों में भीड़ लगी रहती है। कानूनगो साहब और तहसीलदार साहब के दरवाजों पर भीड़ लगी रहती है। सरकार ने बहुत काफी खर्च किया कि जनता को तकलीफ न हो, जाड़े में दौरा किया करेंगे कलेक्टर साहब, डिप्टी साहब, तहसीलदार साहब, कानूनगो साहब, और यह लोग जाड़ों में दौरा करते हैं। लेकिन वह उनके लिये एक तफरीह की चीज बन गयी है।

यह उस समय की स्थापित हुई परम्परा है जब जनता उनके पास पहुंच नहीं पाती थी और उनके पास कोई काम नहीं रहता था सिवाय इसके कि वह देहातों में जांय। आज लाखों रुपया इन लोगों के दौरों पर खर्च हो जाता है। केवल राजस्व का ही खर्च नहीं होता बल्कि इन के दौरों का प्रबन्ध लेखपालों को करना पड़ता है और लेखपाल जनता से पैसा वसूल करते हैं और उनकी आराम और आसाइश का पूरा प्रबन्ध करते हैं। इस तरीके से इस निरर्थक काम पर इतना ज्यादा पैसा खर्च हो, और जनता को कोई लाभ न हो, यह उचित नहीं है।

जब मितव्ययिता की स्कीम चली तो मैं बड़े गौर से सोचा करता था कि यह भी स्कीम जरूर सरकार के दिमाग में होगी कि इसको खत्म किया जाय। कोई जरूरत नहीं है कि कलेक्टर दौरा करे और जाकर देहातों में टेन्ट गड़ें। लेखपाल और कानूनगो परेशानहाल दिखायी दें, कि कहां से घी जुटाएं, कहां से मुर्गे जुटाएं और कहां से दही का प्रबन्ध किया जाय। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह बहुत गम्भीरतापूर्वक इस बात पर विचार करे।

दुर्भिक्ष सहायता कोष से बाढ़ पीड़ित, ढहे हुए लोगों की भी मदद की जाती है। सरकार ने निश्चय किया कि जिन लोगों के मकानात गिर जाते हैं और जमीन कट जाती है उनके बसाने के लिये जमीन देते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे जिलें में जितने गांव गिरे हैं, दो-चार को छोड़ कर किसी भी गांव को बसाने के लिये सरकार जमीन नहीं दे सकी। अगर कहीं जमीन दिलाने की कोशिश भी की तो आपके कानून की वजह से कहीं हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया कहीं मुंसिफ ने स्टे कर दिया। वह जब अधिक परेशान हो गये तो अत्यधिक पैसा दे कर थोड़ी-थोड़ी जमीन खरीद कर अपना घर बनाने और बसने की व्यवस्था कर सके। जहां आग लगी, दौड़ धूप मची, और तहसीलदार और कानूनगो ने चाहा तब तो रुपया पा सके वरना नहीं पा सके।

[श्री रामलक्षण तिवारी]

पहले एक ऐसी व्यवस्था थी कि लोगों को सहायता देने के लिये जिलों में एक कमेटी होती थी। उस कमेटी के अन्दर जिस गांव की दरख्वास्त आयी, जहां के लोग मुसीबत में हुए, उनके लिये उसने निश्चित कर दिया कि इनको इतनी सहायता दी जाय। आज वह मनमाना तहसीलदार और कानूनगो के ऊपर छोड़ दिया गया है। अगर आग लगी है, और वह समझता है कि आप मुसीबत में हैं तो आपको सहायता मिल सकती है वरना नहीं मिल सकती है। वहां के एम० एल० ए० और दूसरे जनता के लोग अगर आकर इस बात की सिफारिश करें तो नहीं मिल सकती है जब तक लेखपाल, कानूनगो, और तहसीलदार प्रसन्न न हों। ऐसी व्यवस्थाओं को अगर चलाया जाता रहेगा तो इससे जनता की खिदमत नहीं हो सकती है।

इस सरकार ने घोषित किया था कि नौकरशाही की बढ़ती हुई ताकत का हम मुकाबला करेंगे और अगर जनप्रतिनिधियों को सचमुच आदर और सम्मान के साथ अपने कर्त्तव्यपालन के लिये रहने देना है तो आज यह जरूरी है कि इन नौकरशाहों के तमाम हथकंडों को समझा जाय और उसको दूर करने के उपाय किये जांय। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातें समाप्त करता हूं और अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय भीखालाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे टाइम दिया कि इस विषय पर कुछ अपने विचार व्यक्त कर सकूं। मान्यवर, इसमें तो दो रायें नहीं हो सकतीं कि चकबन्दी के द्वारा जो खेत बिखरे हुए हैं वह इकट्ठे कर दिये जायं। देखने में यह चीज सुन्दर है और अगर व्यवहार में भी ठीक तरीके से यह हो जाय तो वैसे ही सुन्दर हो सकती है। लेकिन आज जो कुछ चकबन्दी के नाम पर हो रहा है वह बड़ा ही दुखद है। जिन तहसीलों में चकबन्दी की कार्यवाही चल रही है, वहां के किसानों पर जो बीत रही है उसको देखने से ही उसका सही रूप सामने आ सकता है, कहने से नहीं। माननीय हरीसिंह जी और एक दूसरे माननीय सदस्य जो कांग्रेस पक्ष के हैं, उन्होंने चकबन्दी के सम्बन्ध में बड़ी चर्चायें कीं और यह बताया कि चकबन्दी के अधिकारी इस वक्त बड़ा सुन्दर काम कर रहे हैं, उनका गांवों में स्वागत किया जा रहा है, मालाएं पहनाई जाती हैं।

मान्यवर, अभी माल विभाग की तरफ से जो किताबें मिली हैं वही यह प्रदर्शित करती हैं कि इस विभाग में कितना भ्रष्टाचार रहा है, शिकायतों पर किस कदर लोगों को सजायें दी गई हैं? आज जब इतनी सजायें देने के बाद इतनी शिकायतें हैं और इतनी सजायें उसके लिए देनी पड़ रही हैं तो शुरु में जब यह विभाग चलाया और सजायें नहीं दी जा रही थीं, हो सकता है उस वक्त सेंट परसेंट इस विभाग में भ्रष्टाचार रहा हो। आज इन कागजात को देखने से पता चलता है कि अभी ५० परसेंट शिकायतें रह गई हैं। लेकिन वहां प्रत्यक्ष देखने से मालूम पड़ता है कि चकबन्दी से किसानों के घरों में किस तरह तबाही मची हुई है। उनके घर की एक-एक चीज बिक कर घूस की बलिवेदी पर चढ़ जाती है। इतना ही नहीं, जो गरीबों के खेत होते हैं और जो ठिकाने से उसकी पैरवी नहीं कर पाते हैं उनके वे अच्छे खेत निकल जाते हैं, एक चक के नाम पर उनको बहुत ही धूसर और रद्दी खेत उन्हें दे दिये जाते हैं जो हमेशा के लिए उनकी बरबादी के कारण बन जाते हैं। ऐसी जगहों पर जहां कि तीन-चार किस्म के खेतों का रहना जरूरी है, जैसे तराई का इलाका है वहां ओसहन भी होता है और जड़हन भी होता है। इसके अलावा बियाड़े का भी होना जरूरी है। जड़हन में भी दो तरह की जमीनें होतीं हैं, ऊंची और नींची। जब बाढ़ आती है तो ऊंची जमीनों में कुछ पैदा हो जाता है और नीचे की फसलें बरबाद हो जाती हैं, तो उसी से उसके बच्चे खा पी लेते हैं। अगर ओसहन की फसल मारी जाती है, तो किसान जड़हन से अपनी गुजर कर लेते हैं और अगर जड़हन की फसल खराब हो गई तो ओसहन से काम चला लेते हैं। तो

ऐसी जगहों पर चकबन्दी का एक डंडा चलाना बिलकुल अव्यावहारिक है और वह एक चक उनकी बरबादी का कारण होगा। तराई के किसान इससे बरबाद हो जाएंगे।

जब से हमारी तहसील फरेंदा के लोगों ने यह सुना है कि उनके यहां चकबन्दी होने वाली है वहां के लोगों में परेशानी बढ़ गई है, उन लोगों ने अपनी दरख्वास्तें माल मंत्री के पास भेजनी शुरू की हैं, वह बड़े परेशान हैं, हम लोगों को उन्होंने लिख कर दिया है। उनका कहना है कि बड़े-बड़े लोगों के तो चक पहले ही से बने हुए हैं, सौ-सौ दो-दो सौ एकड़ के चक उनके हैं, लेकिन जिन गरीब किसानों के पास दो, चार, दस एकड़ खेत है उनमें तीन चार किस्म के खेत रहने जरूरी हैं और जाहिर है कि वह तीन चार जगह पर होंगें। अगर इससे कम चक उनके पास हुए तो वह किसान बरबाद हो जायेंगे। वह कहते हैं कि हमारे यहां इस चकबन्दी की जरूरत नहीं है। जरूरत जिस बात की है उसकी तरफ सरकार का ध्यान जाता नहीं। हालांकि सरकार मान चुकी है कि पटवारी के कागजात जो हैं वह ७५ परसेंट गलत है। आज इस गलती से देहात में तबाही मची हुई है। सारे मुकदमों की जड़ यही है। अगर सरकार एक बार मेहनत से और मुस्तैदी से इन कागजात की दुरुस्ती करा दे तो तमाम झगड़े खत्म हो सकते हैं और किसान चैन से खेती करके पैदावार बढ़ा कर अपनी हालत सुधार सकता है। मान्यवर, माननीय विकल जी ने एक गैरसरकारी प्रस्ताव रखा था कि पटवारियों को जो काबिज लिखने का अधिकार दिया गया है उसको ले लिया जाय। पूरे सदन की राय थी और वह पास हो जाने वाला था, लेकिन माननीय मंत्री जी को, जो इस वक्त मौजूद नहीं है, कुछ परेशानी हुई और उन्होंने ऐसा हिसाब-किताब बैठाया और इस तरह से लोगों को फंसाने की कोशिश की कि हम एक कमेटी जल्द बनाने वाले हैं और उसकी जो राय होगी वह हम इस विषय में करेंगे, इस प्रस्ताव की शब्दावली, इसकी रूपरेखा ठीक नहीं है और हम इसको ठीक ढंग से लायेंगे। लेकिन अब जो कमेटी मंत्री जी ने बनायी है वह ऐसे लोगों की है जो जैसी रूपरेखा चल रही है उसी के चलाने के पक्ष में हैं। मैंने विकलजी से बातचीत की तो उन्होंने भी कहा कि इस कमेटी से कोई आशा नहीं है और अगर कोई गैरसरकारी प्रस्ताव आपको लाना हो तो लाइये। मैं माननीय मंत्री जी से और उनके अधिकारीवर्ग से कहना चाहता हूं कि आखिर उनकी मंशा क्या है। यह काबिज का खाना पटवारियों के हाथ में देकर वे गरीबों के गले पर क्यों छुरी चलवाना चाहते हैं और क्यों नहीं उसको रोकना चाहते? कांग्रेस पक्ष के एक सदस्य कहने लगे....

एक सदस्य––मान्यवर, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अब्दुल रऊफ लारी––मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि काबिज लिखने का जो तरीका है उससे किसानों और खासतौर से गरीब किसानों की बहुत बड़ी बरबादी हो रही है। एक कांग्रेस पक्ष के माननीय सदस्य हमें यह समझाने लगे कि अगर काबिज लिखने का तरीका बन्द कर दिया जाता है तो गरीबों का नाम जो लिखा जाता है खेत पर, उससे वह वंचित हो जायेंगे। मैंने कहा कि यह आपका भ्रम है। किसी भी पटवारी की हिम्मत नहीं है कि किसी बड़े या जाबिर काश्तकार के स्थान पर किसी गरीब काश्तकार का कबजा लिख दे। इस कानून से तो उन गरीबों के गले पर छुरी चलायी जाती है। जो गरीब खेत जोतते हैं और उसके पटवारी से लेनदेन में गड़बड़ी हो जाती है तो पटवारी किसी बड़े आदमी को जो उस गांव में जालिम और जाबिर होता है उसका कब्जा उस गरीब के खेत परलिख देता है और इन्तखाब देने का तो नाम नहीं लेता। किसान को खबर तक नहीं होती और ४–४, ५–५ साल के बाद उनको तब पता चलता है जब उनकी बोई फसल काट ली जाती है। माननीय सदस्यों से मैं पूछना चाहता हूं कि सबके यहां पूर्णरूप में गरीब किसानों के साथ सदा ऐसा बर्ताव होता है तो फिर क्यों काबिज वाले खाने का अधिकार पटवारियों के हाथ से न छीन लिया जाय? मैं माननीय

[श्री अब्दुलरऊफ लारी]

मंत्री जी से और अधिकारीवर्ग से अर्ज करूंगा कि वे इस पर विचार करें, गरीबों पर होते हुये इस अन्याय को रुकवावें और उनको उनके खेतों पर उनकी मिल्कियत व कब्जा बनाए रखने में सहायक हों। मान्यवर, जो मुकदमे चल रहे हैं उनको रुकवायें। अगर काबिज वाला मसला खत्म कर दिया जाता है तो सारा झगड़ा खत्म हो जावेगा, गरीब किसानों को राहत मिलेगी और वे अपनी खेती-बारी में लग जायेंगे।

चकबन्दी से एक दूसरा झगड़ा भी पैदा होता है जिसके कारण उन्हें अनिश्चितता रहती है। ३, ३ और ४–४ साल के बाद एक तहसील में चकबन्दी हो पाती है। इतना वक्त लग जाता है और उस जमाने में खेतीबारी अव्यवस्थित रूप में हो जाती है, यह भी एक बहुत बड़ा नुकसान किसानों का होता है। अगर आप गांव वालों को अख्तियार दे दें कि वे अपने चक को दुरुस्त कर लें और थोड़ी बहुत मदद जो वहां के स्थानीय मुलाजिमान व अधिकारी हैं, वे दे दें तो आप से आप चक अच्छा से अच्छा बन जाय और यह सारा भ्रष्टाचार भी बन्द हो जाय। मगर यह सब उसी दशा में हो सकता है जब लेखपालों के कागजात दुरुस्त कराकर उनसे उन्हें गड़बड़ करने का हक छीन लिया जाय।

मान्यवर, कागजात दुरुस्ती के सम्बन्ध में मैं अर्ज करूं कि माननीय माल मन्त्री जी का जवाब भी यही है और चकबन्दी के कागजात भी यह साबित करते हैं कि ७५ फीसदी लेखपालों के कागजात में गलती है। उसकी दुरुस्ती के लिये जरूरी है कि लेखपालों के साथ सख्ती की जाय। तहसीलदार और एस० डी० ओ० को यह अख्तियार दिया जाय कि वह सख्ती से और जल्दी अमलदरामद के केस करें और जब वे दौरे में जायं तो इन गलतियों को देखें और परताल करके दुरुस्त करें, गल्ती करने वाले को सजा दें।

मान्यवर, मालगुजारी की वसूली और मालगुजारी की दर का जहां तक सम्बन्ध है, यह राज्य के लिये बहुत ही गलत और कलंक का विषय है कि जिसके पास सौ, दो सौ या चार सौ एकड़ जमीन हो तो उसका लगान भी उतना ही कम, १ रुपया १।। रुपया और २ रुपया, हो और जिसके पास जितनी कम जोत हो वैसे ही उसका लगान भी बढ़ जाता हो। जैसे पुराने जमींदारों की जो जमीन है, जिसके अब वे भूमिधर हैं उनका लगान १। रुपया और १।। रुपया है। जो भूमिधर के काश्तकार हैं उनका लगान २, २।। और ३ रुपया है। जो अधिवासी काश्तकारी से सीरदार हुये उनका लगान ६ और ८ रुपया है। काबिज के जरिये से जो काश्तकार २, ४ एकड़ के हैं उनका लगान १२ रुपया तक है। एक ही गांव में, एक ही जिले में, एक ही किस्म की जमीन पर यह भिन्न-भिन्न लगान का रेट है। यह क्या माने रखता है? मान्यवर, इसको कोई समाजवादी समाज नहीं कह सकता। इससे गरीबों का स्तर ऊंचा नहीं हो सकता कि पैदावार तो एक किस्म की खेत में हो और एक तरह का पानी और एक तरह की आमदनी उससे आये, लेकिन गरीब का लगान ज्यादा और अमीर का लगान कम हो। यह तो बहुत बड़ा अन्याय है। मेरा खयाल है मन्त्री जी गरीबों के साथ न्याय करने का प्रयत्न करेंगे और इसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे ताकि लगान की दर समान हो जाय और गरीबों को राहत मिल सके।

मालगुजारी की वसूली में भी धांधली बरती जाती है। यहां सदन में जवाब कुछ मिलता है और ऊंचे अधिकारी वर्ग के लोग कुछ कहते हैं। अगर गांव में जाकर देखा जाय तो मालूम होगा कि वहां अमीन वसूली ब नायब तहसीलदार कितनी धांधली करते हैं और जुल्म करते हैं। अभी पिछले दिनों मालूम हुआ कि मिल वालों पर आपका लाखों रुपया टैक्स का बाकी है और किसी मिल पर २० लाख कर्जा है और किसी पर १५ लाख कर्जा है, उनसे वह वसूल नहीं किया जाता और न वसूली में उन पर कोई सख्ती होती है। लेकिन गरीब काश्तकारों पर, अगर २, ४ रुपया लगान का बाकी होता है तो आपके अमीन पहुंच जाते हैं और उनको गन्दी-गन्दी गालो देते हैं, उनके बैल खोल लेते हैं और नाना प्रकार के अत्याचार उनके साथ करते हैं।

श्रीमन्, मैं मन्त्री महोदय को यह सुझाव दूंगा कि लगान वसूली का अख्तियार गांव सभाओं को दिया जाय। वह हर तरह से मदद करके लगान को वसूल करायेंगी, वसूली का २५ फीसदी उस मालगुजारी से गांव की तरक्की के लिये उनको दे दिया जाय। लोगों को इस तरह शौक होगा और वे मुस्तैदी से वसूल करने लग जायेंगे। सरकार का अमीनों का खर्चा बचने लग जायगा। अमीन की तनख्वाह बच जायगी। अगर २५ फीसदी देने में सरकार को कोई कठिनाई हो तो १२।। परसेन्ट ही उनको देकर देखें। इससे आपका काम आसानी से हो जायगा और किसानों को भी आसानी होगी। अमीनों से वसूली में एक गड़बड़ी यह होती है कि एक-एक अमीन को १५०–२०० गांव दे देते हैं। आज वह वसूली शुरू करता है तो आखिर में वह आखिरी गांवों में जाकर पहुंचता है। उसका नम्बर दो महीने बाद आता है जबकि किसान के पास, जो सीजन की कमाई होती है, वह खर्च हो जाती है। जब उन किसानों के जोताई, बोआई का समय होता है और खर्चे का वक्त होता है उस वक्त अमीन वहां वसूली शुरू करते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि उनके माल की कुर्की होती है और उनको गिरफ्तार किया जाता ह, दिन-दिन भर बैठाया जाता है। अगर गांव सभा को यह अख्तयार होगा तो वह कायदे से काम करेगी। जब किसानों के पास पैसा होगा तब उनसे वसूल किया जायगा और आसानी से वसूल किया जायगा। सरकार को भी पैसा मिल जायगा और किसान भी परेशानी से बच जायंगे।

मान्यवर, किसानों को मुकदमों में जो परेशानी आज हो गई है वह अंग्रेजों के जमाने में नहीं थी। ४, ६ पेशी में ही मुकदमे फैसल हो जाते थे। मगर आज ५० और १०० पेशियां पड़ती हैं। एक किसान, जो खेत खरीदता है, जितने पैसे में वह खेत खरीदता है उतना ही पैसा उसके अमलदरामद में, कागजात की दुरुस्ती में खर्च हो जाता है। नाम चढ़ाने में उनसे परसेन्टज लिया जाता है। ६०, ७०, ८० फीसदी रुपया तक मामूली से काम में किसानों को खर्च करना पड़ता है। पटवारी उनको परेशान करते रहते हैं और कई साल तक वह मुकदमें में परेशान होते रहते हैं, तब जाकर उन का नाम कागजात में चढ़ पाता ह। दो-दो, तीन-तीन साल तक इस काम में लग जाते हैं। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्रीजी तथा गैलरी में बैठे हुए माल विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा कि वे इस ओर देखें कि इतनी ज्यादती नाम बदलवाने में दाखिल खारिज में होती है वह इसको किस प्रकार खत्म करके किसानों को राहत दे सकते हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या माननीय सदस्य गैलरी की तरफ भी तवज्जह दिला सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—यह अनुचित बात है। आप केवल माननीय मंत्री जी तथा सरकार को ही संबोधित करें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—हम तो चोट खाने के लिये बैठे ही हैं।

श्री अब्दुलरऊफ लारी—मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

इसके अतिरिक्त, गांव समाज की संपत्ति के संबंध में मुझे यह कहना है कि जो भूमि बंजर के रूप में उनको मिली हुई है उसमें उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है और वह भूमिहीन हरिजनों को नहीं मिल पाती। जिसके पास लाठी का जोर है, बड़ी खेती है, वे ही सब उस जमीन को भी जोत लेते हैं और गांव सभाओं को जो मुख्तार मंत्रीजी की ओर से मिले हुए हैं वे उन बड़े आदमियों से मिल जाते हैं और इस प्रकार गांव समाज के साथ अन्याय होता है। गांव समाज उनसे वह जमीन निकाल नहीं पाती। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा कि इसके लिये वह कुछ व्यवस्था करें कि जो कानून उन्होंने बना रखा है उसका सही रूप में पालन हो और गांव समाज की भूमि सही माने में हरिजन भूमिहीनों को मिले, ताकि वे अपनी खेती बारी कर सकें।

श्री अब्दुलरऊफ लारी]

मान्यवर, गांव समाजों के जो मुकदमे चलते हैं उनकी पैरवी के लिये भी वे ग्राम समाज के मुख्तार उसे अपनी चीज नहीं समझते हैं। उनको या तो अपने पास से पैसा देकर गांव समाज का सभापति उनसे पैरवी कराये--तब तो वे पैरवी ठीक से करते हैं, लेकिन चूंकि गांव समाज के पास पैसा होता नहीं इसलिये वे मुख्तार उसे वैसे ही छोड़ देते हैं और उनमें बहुत से ऐसे हैं कि जो दूसरे पक्ष से मिल कर फीस लेते हैं और उनकी तरफ से पैरवी करने लग जाते हैं--या तो माननीय मंत्री जी अधिकार सभापतियों को दे दें कि वे गांव समाज की तरफ से अपने मुख्तार रख कर मुकदमे की पैरवी करा सकें अगर वे ऐसा नहीं करते और अगर कहीं से कोई शिकायत ऐसे मुखतारों के खिलाफ आती है और मामला साबित होता है तो ऐसे मुख्तारों को सजा दी जाय या उनको अलग किया जाय ताकि लोगों में डर पैदा हो, जिससे जो कानून की मंशा है वह पूरी हो सके। गांव समाज की सम्पत्ति की हिफाजत हो सके।

श्री हुकुमसिंह विसेन--किसी वकील का नाम हमें स्पेसिफिक तौर पर बतला दें कि किस मुकदमे में उसने रिशवत ली है ?

श्री अब्दुलरऊफ लारी--हमारे यहां फरेंदा तहसील में जो मुख्तार रखे गये हैं उनके लिये एक नहीं बीसियों सबूत मिल सकते हैं। अगर माननीय मंत्री जी चाहेंगे तो मैं उन्हें दूंगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन--हमें ला कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--ठीक है। आप नाम उनको दे दीजियेगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन--आप उनका नाम, मुकदमे का नाम, और कितनी रिश्वत ली, यह सब दीजियेगा।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)--श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--कहिये।

श्री सुरथबहादुरशाह--श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे स्पष्टीकरण करने का मौका दिया। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार यह शाया करती है और इस बात का ऐलान करती है कि घूस लेना और देना पाप है, जुर्म नहीं क्योंकि जुर्म का फैसला यहां होता है और पाप का मरने के बाद। दूसरी बात यह है कि घूस के मुताल्लिक जो बात कही गयी है कि नाम दिया जाय तो जिसका नाम दिया जायगा उसके मुताल्लिक तो वह तहकीकात करेंगे बाद में, लेकिन जिन्होंने शिकायत की है वह साहबजादे पहले बन्द किये जायंगे। मैं अगर माननीय मंत्री जी को किसी विशेष आदमी के बारे में बतलाऊं कि उस पर यह आरोप है, या वह घूस में शामिल है, तो उसके बारे में तो तफतीश बाद में होगी मगर मैं पहले आफत में आ जाऊंगा, मैं पहलें बंद कर दिया जाऊंगा। इस वजह से इस आदरणीय सदन में नाम बतलाना मैं अनुचित समझता हूं, लेकिन जब माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है तो नाम भी उनके पास पहुंच जायेंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन--बिना नाम के मैं किस को फांसूं, किस के खिलाफ तहकीकात करूं ?

श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--मान्यवर, मैं इस अनुदान का जिसे माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री इस समय सदन की कोई कार्यवाही पढ़ रहे हैं जिसका आज के एजेन्डे से कोई संबंध नहीं है। तो मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या वे और कोई चीज यहां पढ़ सकते हैं जिसका सदन की कार्यवाही से कोई संबंध न हो ?

श्री उपाध्यक्ष---सिंचाई मंत्री जी, आपको क्या कहना है ?

श्री राममूर्ति---श्रीमन्, मैं उन्हीं की स्पीच पढ़ रहा हूं, वर्मा जी की, आप कहें तो आपके पास भेज दूं। (हंसी)

श्री राजाराम शर्मा---उपाध्यक्ष महोदय, हमारी कांग्रेस सरकार ने आज तक जो काम भी किये हैं उसकी तारीफ सब लोग कर रहे हैं, यहां तक कि विरोधी पक्ष के लोगों ने भी तारीफ की है। जमींदारी उन्मूलन से, चकबन्दी से, सीलिंग से, जो किसानों को फायदा हुआ है उसकी सभी तारीफ करते हैं। इतना होने पर भी कुछ काम ऐसे हैं जिनकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, गांव समाज के पास जो जमीन पड़ी हुई है उसका प्रबन्ध ठीक से नहीं हो रहा है और वह किसी काम में नहीं आ रही है। जो मनचले लोग हैं, वे इधर उधर किसी से मिल-जुल कर अपना काम निकाल लेते हैं, उनको ही कुछ फायदा हो रहा है। इससे गांव का बड़ा अहित हो रहा है। आज कितने ही तालाब और पोखरे ऐसे हैं जिन्हें गलत तरीके से खेतों में दिखा रखा है। इस तरह की चीजों को हमें रोकना होगा।

लेखपालों के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। उनको जो काबिज लिखने का अधिकार है उसका वे बहुत नाजायज फायदा उठा रहे हैं। सरकार ने बड़ी कृपा करके इसके लिये एक कमेटी बनाई है, किन्तु पता नहीं वह कमेटी क्या कर रही है ? काबिज लिखने का यह ऐसा मामला है कि इससे गांव के अन्दर आये दिन झगड़े होते हैं और वही झगड़ों की जड़ है। इसके संबंध में यहां लगातार दो दिन तक बहस भी हुई है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि काबिज लिखने के अधिकार को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाय। आज यह देखा जाता है कि खेत किसी का है और नाम किसी दूसरे का लिखा है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां माननीय मंत्री जी ने और काम किये हैं वहां इसको भी आप खत्म कर दीजिये ताकि जनता का फायदा हो। इसके लिये वह हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहेगी।

श्री हुकुमसिंह विसेन---जमींदारी खत्म की, पटवारियों को भी खत्म किया, इतना काम तो किया।

श्री राजाराम शर्मा---इसको और खत्म कीजिये। जिस तरह से बिच्छू का डंक काट देने से वह किसी को मार नहीं सकता, ठीक उसी तरह से यह काबिज लिखने का जो डंक है, इसे भी आप खत्म कर दीजिये, इससे किसानों का बहुत बड़ा लाभ होगा। तहसीलों में जब मुआवजा लेने के लिये जाते हैं तब भी बड़ी दिक्कत होती है। उसको अगर डाक के द्वारा या किसी और तरीके से भेज दिया जाय तो बड़ा अच्छा हो। एक तहसील में एक साहब मुआवजा लेने गये। उनका बीस रुपया मुआवजा था। जब ये १८-१९ रुपया लोगों को दे चुके तो बाकी २० आना उन्होंने तहसीलदार को जाकर दे दिये और कहा कि लीजिये यह आप रख लीजिये। हम तो जा रहे हैं। आने जाने का खर्चा हमारे जिम्मे रहा। तब जाकर तहसीलदार ने उसको सब रुपया दिलवाया। इस तरह से मुआवजा मिलने में तरह-तरह की दिक्कतें होती हैं। ऐसा भी सुना जाता है कि थोड़े दिनों में वह लैप्स हो जायगा। इसलिये डाक द्वारा उसको घर भिजवा दिया जाय तो बहुत अच्छा होगा।

गांव के रास्तों को लोग काट-काट कर अपने खेतों में मिला रहे हैं यद्यपि वह लेखपालों के कागजों में लिखा हुआ है। अगर हर हल्के में नक्शे देखकर निशान लगा दिये जायं तो बड़ी कृपा होगी।

[श्री राजाराम शर्मा]

पेड़ लिखने के लिये पटवारी को अब अधिकार नहीं है। अगर उनको यह अधिकार होता तो बाग के बाग गोलमाल हो जाते। लेकिन खेत किसी दूसरे का है और पेड़ के लिये कोई दूसरा कहता है कि मेरा है तो इसका हिसाब कैसे रखा जायगा। इसके लिये मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री जी गांव सभा को कहें कि वह बैठकर गांव के पेड़ों की सूची बनाये और उसकी एक-एक कापी कानूनगो और तहसीलदार आदि के पास भेज दे ताकि समय पर वह काम आ जाय।

आजकल गांव के किसानों पर बहुत सी विभूतियां सवार हैं। लेखपाल, ग्राम सेवक, पंचायत मंत्री, केन सुपरवाइजर, केन कामदार और ट्यूबवैल आपरेटर आदि सब लोग उसके ऊपर जमे हैं। आपरेटर अपना अलग वसूल कर रहा है तो लेखपाल अपनी अलग खतौनी खोले बैठा है। इन सब को मिला कर छोटे क्षेत्र में इसको विभाजित कर दिया जाय तो अच्छा होगा। ग्राम सेवक का, पंचायत मंत्री का और लेखपाल का भी अलग-अलग छोटा-छोटा क्षेत्र बना दिया जाय जहां रह कर वे गांव की उन्नति का काम करावें लेकिन आज ये सब तमाम एक ही जगह बैठे हुये हैं जो बहुत ही गलत बात है।

आपसे मेरी एक प्रार्थना और यह है कि मालगुजारी वसूल करने के लिये जब कुर्कअमीन साहब जाते हैं तो बेचारे किसान को पता तक नहीं है कि पारसाल उसकी कितनी मालगजारी थी और आज कितनी है। अगर पारसाल ४ रुपये कालगुजारी रही और कहीं इस साल ८ आने बढ़ गयी तो कुर्कअमीन साँहब के कहने पर मजबूर होकर बेचारे किसान को उतना ही देना पड़ता है। लेकिन वास्तव में बेचारे किसान को पता नहीं है कि उसे देना कितना है। इसलिये अगर गांव सभा की खतौनी की नकल दिला दी जाय और हर साल की काट पीट को दुरुस्त कर दिया जाय तो बड़ा अच्छा हो। कहा यह जाता है कि गांव सभाओं को मालगुजारी वसूल करने का अधिकार देने पर वे उसे वसूल नहीं कर पाती हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि यह गोरखधंधा क्यों खड़ा किया गया है ? ऐसी हालत में तो गांव सभाओं तथा गांव पंचायतों को आपको तोड़ देना चाहिये।

एक तरफ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि गांव पंचायतों को पूरा अधिकार दिया जाय और दूसरी तरफ माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि क्या वे अपना टैक्स वसूल कर रही हैं? अगर नहीं वसूल करती हैं तो फिर आप पंचायत विभाग की तरफ से यह कैसे दिखलायेंगे कि गांव सभाओं ने टैक्स की इतनी वसूली की? इसलिये गांव सभाओं को उन्हें अधिकार देना चाहिये तथा इसके साथ-साथ गांव की खतौनी, मालगुजारी की लिस्ट गांव सभा में देनी चाहिये तथा गांव सभाओं को मजबूत करना हमारा कर्त्तव्य है। अगर गांव सभायें मजबूत नहीं होंगी तो फिर हम कैसे कह सकेंगे कि स्कूल, सहकारी समितियां और गांव सभायें हमारे देश की रीढ़ हैं ? इसके साथ ही एक और विपत्ति है कि गांव सभा, गांव समाज और गांव पंचायत, ये तीन-तीन का रामझाला है। गांव समाज का मंत्री लेखपाल है, गांव सभा का मंत्री पंचायत मंत्री है और जब कोई काम करना होता है तो यहां तक नहीं होता कि इन दोनों में सहयोग हो। इस तरह से जो लेखपाल और पंचायत मंत्री हैं, एक ही जगह पर दो-दो जने बने हुए हैं। तो यह मामला भी बड़ा टेढ़ा है जिसकी तरफ माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये।

*डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री भीखालाल जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सब से पहले मैं जो एक पुस्तक आज मिली है 'राजस्व विभाग का कार्य-विवरण' उसके पहले पृष्ठ पर जो सरकार की ओर से रिपोर्ट दी गई है उससे पढ़ना चाहता हूं। उसमें सब से पहले यही लिखा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि पिछले वर्ष में तहसीलदार और नायब तहसीलदार की शिकायतें ४३ प्राप्त हुई थीं और इस वर्ष में ६९ प्राप्त हुईं । अब अगर मैं इस संबंध में यह कहूं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, वह दिन प्रति दिन बढ़ रहा है तो यह कहना गलत न होगा।

श्रीमन्, भ्रष्टाचार का जब नाम आता है तो मेरे दिमाग पर उसकी एक प्रतिक्रिया सी होती है और वह यह होती है कि सरकार चाहती जरूर है कि भ्रष्टाचार बन्द हो लेकिन प्रश्न यह है कि वह कैसे बन्द हो ? सन् १९२१–२२ में आप के इस सूबे में ग्रेम वुड मेयर चीफ जस्टिस थे। उन के जमाने में यहां के सिविल कोर्ट्स में बुरी तरह से भ्रष्टाचार चल रहा था और जजेज में और मुंसिफों के अन्दर हर तरह का करप्शन जारी था। इस पर जस्टिस मेयर ने इस बात का फैसला लिया कि हम सूबे के सिविल कोर्ट्स से भ्रष्टाचार को दूर करेंगे । उसने इसके लिये पोस्टर नहीं लगवाये कि रिश्वत लेना पाप है और रिश्वत देना पाप है । जस्टिस मेयर स्वयं जिले में जाकर समय से अदालतों में बैठ जाता था, एक मोअक्किल की हैसियत से अदालत में जा बैठता था और जब जज साहब खरामा खरामा करके १२ बजे अदालत में आते थे तो समय नोट कर लेता था और वह फौरन अपना परिचय देकर कहता था कि बतलाइये आप इस्तीफा देकर जाना चाहते हैं या इन चार्जेज को फेस करना चाहते हैं। इस तरह से एक चीफ जस्टिस ने ६ मास के अन्दर पूरे प्रांत के सिविल कोर्ट्स से रिश्वत दूर कर दी।

आज इस के अन्दर लिखा जाता है कि इतने आदमियों पर भ्रष्टाचार का आरोप साबित न हो सका। क्यों नहीं साबित हो पाता, किस ने तहकीकात की ? लेखपाल के भ्रष्टाचार की तहकीकात कानूनगो करता है, कानूनगो के भ्रष्टाचार की तहकीकात तहसीलदार करता है, तहसीलदार के भ्रष्टाचार की तहकीकात जिलाधीश करेगा ? मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि मैं उन आदमियों में से हूं जो इस बात को मानते हैं कि आज भी राजस्व विभाग में ऐसे ईमानदार आदमी भी मौजूद हैं कि जो जिले में जाते हैं और तहसीलदार और जिलाधीश उन राजस्व विभाग और बोर्ड के अफसरों के लिये डाकबंगला दुल्हन की तरह सजाते हैं, लेकिन वह वहां नहीं टिकते और सिंघाड़े और गाजर खाकर पेट भरना पसंद करते हैं और तहकीकात करके आते हैं। लेकिन अगर जिलाधीशों से तहकीकात कराई जायगी तो मैं निहायत अदब के साथ माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जिलाधीश भ्रष्टाचार को बन्द नहीं कर सकते बल्कि वह उस को और प्रोत्साहन देते हैं।

मैं अपने जिले की बात माननीय मंत्री जी से कहता-कहता ऊब-सा गया हूं। अपने जिले की एक तहसील मिसरिख के तहसीलदार के विरुद्ध ५०–६० हजार रुपये के गबन का निश्चित आरोप सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री श्री शांति स्वरूप ने लगाया, मैंने भी उसकी पुष्टि की लेकिन उसकी जांच करते हैं जिलाधीश महोदय, मैंने अखबार में बयान दिया, पत्र लिखे, माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय राजस्व मंत्री जी से कहा कि सीतापुर के जिलाधीश भ्रष्टाचार के बढ़ाने में प्रोत्साहन देते हैं, वह उस को कम नहीं कर सकते और उनके द्वारा यह रिपोर्ट न मंगाई जाय और तहकीकात उन से न कराई जाय।

लेकिन श्रीमन्, मैं शरीर से भी और जाति का भी ऐसा दुबला हूं कि मेरी आवाज माननीय राजस्व मंत्री के कानों तक पहुंच नहीं सकी है और मैं उन्हें प्रभावित नहीं कर सका। क्या होता है ? तहसीलदार मौजूद है. . . . . .

श्री उपाध्यक्ष––एक केस को लेकर आप १५ मिनट तक भाषण न दीजिये, और बात कहिये। आपने बात कह दी, बस खत्म हुआ, उसी को एलोबरेट न कीजिये।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा––श्रीमन्, वह तहसीलदार जिसके विरुद्ध शिकायतें की गईं, लगभग १०० रुपये मासिक वेतन की तरक्की देकर भेजा जा रहा है। अगर इस तरह से भ्रष्टाचार बन्द करना है, इस तरह से भ्रष्टाचार बन्द करने की सरकार की नीयत है, तोमैं

[डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा]

बड़े अदब से कहूंगा कि भ्रष्टाचार बन्द नहीं हो सकता है। मान्यवर, एक ही चीज का सवाल नहीं है। यह बुनियादी सवाल है कि यदि अफसर के विरुद्ध कोई भी राजनैतिक दल का आदमी या जनता का आदमी भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है और निश्चित आरोप लगाता है तो उसका कत्ल कराने की भी चेष्टा की जाती है और उसके लिये षड़यंत्र रचा जाता है। आज सीतापुर जिले में ऐसे कितने ही षड़यंत्र रचे जा रहे हैं। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम वह इन चीजों की ओर ध्यान दें।

अभी माननीय मोतीलाल अवस्थी जी ने कहा कि उनके यहां कानपुर में लगभग दो-ढाई लाख रुपये का अनुदान बंटा। किसने बांटा? कानूनगो, नायब तहसीलदार और लेखपालों ने। सरकार का आदेश है, राज्यपाल महोदय का आदेश है कि यह अनुदान जो कि सरकार उन बाढ़ पीड़ितों को देना चाहती है जिनके मकान गिर गये हैं, जिनकी फसल नष्ट हो गई है, उसको तहसीलदार या हाकिम तहसील स्वयं अपने हाथ से बांटे। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वह अपने राजस्व विभाग के सेक्रेटरी को भेजें और अपने विभाग के ऊंचे अफसरों को भेजें, वे जाकर देखें कि कहां तक इस कथन में सत्यता है?

मान्यवर, मैं बहुत अदब के साथ कहूंगा कि जो कुछ भी इस सरकार ने पिछली वर्षा से पीड़ित लोगों के लिये अनुदान दिया और जो कुछ भी उन व्यक्तियों को जिनके कि मकान गिर गये हैं सरकार तकावी के रूप में या सहायता के रूप में धन देना चाहती है, उसमें उसकी मंशा थी कि उन किसानों तक वह धन पहुंच जाय। मैं कहना चाहूंगा मंत्री जी से कि आपकी नीयत थी कि उन पीड़ितों को सहायता मिले लेकिन जिलों के अन्दर आप देखें कि जो रुपया सरकार ने जिलों के अन्दर भेजा है इन सहायताओं के लिये उसमें से कम से कम ४०–५० परसेंट अफसरों की जेब में गया है और कुल ५० परसेंट ही उन पीड़ितों और असहाय लोगों को मिला है जिनको कि जरूरत थी।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं सोशलिस्ट पार्टी के उस बुनियादी सवाल को दोहराना चाहूंगा और आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह अलाभकर जोतों से लगान हटा दें। अबकी बार बजट करीब १ अरब ४८ करोड़ रुपये का है। श्रीमन्, अलाभकर जोतों में, मैं बहुत स्पष्ट रूप से माननीय राजस्व मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मैं उन किसानों को उसमें नहीं लाना चाहता जो गन्ने की बड़ी लम्बी खेती करते हैं। लेकिन वह किसान जिनके पास कम जमीन है और जो केवल गल्ला रबी और खरीफ में पैदा करके अपनी जीविका बसर करते हैं उनके ऊपर से अगर आप लगान हटा दें तो राजस्व विभाग को कुल मिला कर ६–७ करोड़ रुपये का नुकसान होगा, लेकिन कांग्रेस की खोई हुई प्रतिष्ठा, सरकार के प्रति जो खोया हुआ विश्वास है इन ६,७ करोड़ रुपयों में फिर वह प्रांत के अन्दर स्थापित हो सकता है।

मैं बहिया के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। जब फसल अच्छी हो जाती है तो सरकार की तरफ से यह नारा लगाया जाता है कि उसकी वजह से फसल अच्छी हुई और जब बहिया, अतिवर्षा के कारण या सूखे के कारण फसल नष्ट हो जाती है तो कुदरत की बदतमीजी का सवाल सरकार की ओर से पेश कर दिया जाता है। और देश भी हैं जहां बहिया आती है लेकिन आज तक अन्य देशों के अन्दर बहिया ने मुतवातिर उस देश का नुकसान नहीं किया होगा जितना कि इस प्रदेश में किया है। बस्ती, बलिया और जौनपुर में बराबर बहिया आती है। हर साल बांध बंधते हैं और हर साल वे टूट जाते हैं। कारण एक ही है कि कोई देखने वाला अधिकारी नहीं है उन बांधों को जिस समय कि वे बांध बनाये जाते हैं।

मान्यवर, मैं निवेदन करूं कि चकबन्दी अगर ऊपरी तौर से कोई देखे तो बहुत अच्छी चीज है क्योंकि हर किसान की बिखरी हुई जमीन यकजां हो जाती है। लेकिन चकबन्दी में यह अनुभव होता जाता है जिसे बराबर दोनों तरफ से लोग कहते हैं कि गरीब किसान की अच्छी

जमीन चकबन्दी में निकल जाती है और मालदार किसान को खराब जमीन के बदले अच्छी जमीन मिल जाती है। पैसे की वजह से यह सब होता है।

एक सरदार जी सीतापुर जिले में हैं और उनके पास एक खेत शहर के करीब था और उसमें दो कुंये उनके बने हुये थे। चकबन्दी नियम के अन्दर है कि जिसका कुआं सिंचाई का साधन हो वह जमीन उसको जरूर मिलना चाहिये लेकिन जिस हिस्से में उनके दो कुयें बने हुये थे वह जमीन उनसे निकाल कर दूसरी जमीन उनको दी गयी। हर मामले में यह कहते मैं ऊब गया हूं कि भ्रष्टाचार या रिश्वत के कारण ऐसा होता है लेकिन यह नितांत सत्य है कि वह सरदार कुछ आदमियों को खुश नहीं कर पाये। अगर कुछ आदमियों को खुश कर लेते तो शायद उनको वह जमीन मिल जाती जिसमें उनके दो कुंयें थे और आज भी मौजूद हैं।

अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं और वह निवेदन यह है कि भ्रष्टाचार दूर करने के लिये जो एक जुमला वह हमेशा इस्तेमाल किया करते हैं उसे वह छोड़ दें। वह अक्सर कहा करते हैं कि जिलाधीश पर अविश्वास नहीं कर सकते। मेरी उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि जिलाधीश को वह इतना प्रोत्साहन न दें और न यही समझें कि जिलाधीश उनको सही रिपोर्ट देते हैं। आपने जो तहकीकात भेजी है तहसीलदार, मिसरिख के खिलाफ उसमें जिलाधीश की जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने माननीय राजस्व मंत्री की इंटेलिजेंस तथा उनके राजस्व विभाग की इंटेलिजेंस को चैलेंज किया है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---आपने देखी है रिपोर्ट?

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा---मैं सूंघ रहा हूं कि इस प्रकार की रिपोर्ट है जो बिलकुल गलत है। मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी इंटेलिजेंस पर आपके जिलाधीश को शक हो सकता है लेकिन हम विरोधियों को आपकी इंटेलिजेंस पर न कभी शक रहा है और न होगा, आपकी न्यायप्रियता पर भी शक नहीं है लेकिन आप देखें कि आपके जिलाधीश और राजस्व विभाग के कुछ अधिकारी किधर जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---समय समाप्त।

श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का समय दिया। माननीय भीखालाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसके विरोध में मैं खड़ा हुआ हूं। दो, तीन सुझाव मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। एक तो यह कि जो भाषण विरोधी पक्ष की ओर से सुनने को मिलते हैं उनमें बार-बार इस बात को दोहराया जाता है कि सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है और उसे जनता का बिलकुल भी विश्वास प्राप्त नहीं है। इस संबंध में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी हाल ही में जितने भी बाई-एलेक्शन हुये हैं उनसे बिलकुल साफ जाहिर है कि इस सरकार को जनता का विश्वास प्राप्त है या नहीं। सन् ५७ में जब एलेक्शन हुये थे उस समय भी सन् ५२ से ५७ तक के कारनामों के बाद आप लोगों को भली प्रकार मालूम हो गया था कि कांग्रेस सरकार को जनता का पूर्ण विश्वास प्राप्त है। सन् ६२ भी दूर नहीं है। जब आपको फिर पता लग जायगा कि जनता का पूर्ण विश्वास कांग्रेस को प्राप्त है और फिर भारी बहुमत में आप देखेंगे कि कांग्रेस इस सदन में आयेगी और आप फिर जिस हालत में आज बैठे हुये हैं उसी हालत में बैठे हुये नजर आयेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---आर्डर, आर्डर।

श्री श्रीकृष्ण गोयल---जरा सुन लीजिये। सच्चीसुनने बात में आपको तकलीफ क्यों हो रही है?

[श्री श्रीकृष्णगोयल]

अभी कुछ सदस्यों ने चकबन्दी के सिलसिले में यह कहा कि चकबन्दी किसान की भलाई के लिये बहुत आवश्यक और जरूरी है। मैं अपने क्षेत्र के संबंध में जानता हूं कि वहां पर विरोधी पक्ष की ओर से लगातार प्रोपेगेंडा इस बात का किया जाता है कि अगर तुम हमको सपोर्ट करो तो हम चकबन्दी नहीं होने देंगे, लेकिन हाउस में बैठ कर आप लोग यह कहते हैं कि चकबन्दी किसान के लिये बहुत जरूरी है, इससे किसान का बड़ा लाभ होने वाला है और पब्लिक में जाकर आप दूसरी बात करते हैं।

चकबंदी के सम्बन्ध में मुमकिन है कुछ शिकायतें रही हों, भ्रष्टाचार की भी कुछ शिकायतें रही हों लेकिन मेरे क्षेत्र में इस समय चकबंदी हो रही है, मैं अपने क्षेत्र के कम से कम १०० गांवों में घूम चुका हूं मगर मुझको एक जगह भी भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं मिली और न ही किसी आदमी ने कहा कि उसके साथ चक बनाने में कोई ज्यादती की गयी है। यह हो सकता है कि किसी आदमी के मन के माफिक चक न बना हो उसकी वजह से उसको शिकायत हो। लेकिन अगर चक बनने में कोई गलती हुई हो तो हमेशा उसका यही नतीजा निकालना कि भ्रष्टाचार की वजह से ऐसा हुआ है यह कोई उचित बात नहीं है।

मैं मंत्री जी को एक सुझाव जरूर देना चाहता हूं। इस समय विलेज लेविल पर तीन आदमी काम कर रहे हैं, विलेज लेबिल वर्कर, सेक्रेटरी पंचायत और लेखपाल। इससे गांव वाले बड़े भ्रम में पड़ जाते हैं क्योंकि तीनों में आपस में कोआर्डिनेशन नहीं है, एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है और तीसरा कुछ कहता है। इसलिये अगर सम्भव हो सके तो इन तीनों को हटा कर एक ही आदमी को रखा जाय तो मैं समझता हूं ज्यादा अच्छा होगा और उससे एकोनामी भी हो सकेगी।

कुछ लोगों ने ग्राम समाज की जमीनों के सम्बन्ध में भी सवाल उठाया। यह सही है कि कुछ हद तक पंचायत के सेक्रेटरी की या ग्राम समाजों की जमीन के सम्बन्ध में लापरवाही हो सकती है, लेकिन जनता की भी तो उतनी ही जिम्मेदारी है। आज जहां ग्राम समाज की जमीन देखते हैं उसको लावारिस समझकर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। गांव के जो चौड़े-चौड़े रास्ते होते हैं उन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और जब जमीन निकालने की कोशिश की जाती है तो भ्रष्टाचार की समस्या उत्पन्न कर दी जाती है और कहा जाता है कि फलां आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है, जमीन लेना चाहता है और सरकारी अधिकारियों को बदनाम किया जाता है। इसलिये ग्राम समाज की जमीन के सम्बन्ध में जितनी जिम्मेदारी सरकारी कर्मचारियों की है उतनी ही जनता की भी है।

मान्यवर, मैं मंत्री जी का ध्यान तकावी की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे मंत्री जी की हमेशा यह अभिलाषा रहती है कि लोगों को कुयें बनाने के लिये, बैल खरीदने के लिये और अन्य कामों के लिये दुर्भिक्ष के समय ज्यादा से ज्यादा तकावी मिल पाये और उन्होंने हमेशा यह कहा है कि जिलों से जितनी मांग आयगी उतनी तकावी देने में उनको कोई हिचक नहीं है। लेकिन एक तो तकावी की मांग ही देर से आती है और दूसरे उसके बांटने में भी कुछ समय लग जाता है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि दुर्भिक्ष और सैलाब की तकावी आधी किसानों के पास पहुंची और आधी सरकारी कर्मचारी खा गये। मैं इससे सहमत नहीं हूं और यह बिलकुल गलत है। मैं अपने जिले के बारे में जानता हूं वहां देरी हो गई हो और दस दिन के बजाय तकावी १५ दिन में बंटी हो लेकिन इस तरह की बात नहीं हुई कि जो तकावी मकानों और दूसरी सहायता के लिये बांटी गई थी उसमें किसी प्रकार की सरकारी कर्मचारियों ने गड़बड़ी की हो।

एक चीज की ओर और मैं मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अब जबकि जडिशियल आफिसर्स सब जगह नियुक्त हो गये हैं तो एस०डी०ओज० को तहसील के हेड क्वार्टर्स पर भेज दिया जाय क्योंकि तहसील के लोगों को जिले के हेडक्वार्टर पर जाने में बड़ी असुविधा होती है और एस० डी० ओज० किसी न किसी काम में लगे रहते हैं जिससे मकदमें मुल्तवी हो जाते हैं। इसलिये

इस पर विचार किया जाय। चकबन्दी हमारे यहां बड़ी कामयाब हुई है, भ्रष्टाचार सब जगह है लेकिन इससे किसानों को लाभ हुआ है और इसके लिये मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं। अंत में मैं इसका समर्थन करता हूं।

*आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे उत्तर प्रदेश में चकबंदी के सम्बन्ध में जिन बातों को मैं अर्ज करना चाहता हूं उन बातों के कहने से पहले मैं यदि यह कहूं तो अनुचित न होगा कि पिछले दो-तीन वर्षों से चकबंदी के काम में पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हुआ है और उसका असली कारण यह है कि प्रदेश की विधान सभा के विरोधी दलों के सदस्यों ने और कांग्रेस पार्टी के किसान कार्यकर्ताओं ने समय-समय पर चकबंदी में त्रुटियों के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान दिलाया है। उसके ऊपर इस विभाग के अधिकारियों ने विशेष रूप से ध्यान देने की कोशिश की है और मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक उच्च अधिकारी को इस विभाग में तैनात किया था और उनकी नियुक्ति काफी परिवर्तन और सुधार का कारण साबित हुई। चूंकि चकबन्दी का काम किसानों में बहुत ज्यादा सनसनी पैदा करने वाला है, और उनकी जेब में हाथ डालने के समान है इसलिये चकबन्दी कर्मचारी को भी गिरने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन--साही साहब फिर आ गये हैं।

आचार्य दीपंकर--कभी-कभी आप समझदारी का काम कर देते हैं। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि चकबंदी कर्मचारियों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। चकबंदी कर्मचारी से जनप्रतिनिधि संघर्ष करते हैं। उसकी गलतियों के खिलाफ हैं। लेकिन उनके जो अधिकार हैं उनकी भी रक्षा होनी चाहिये। मैं लेखपाल की कहानी से शुरू करना चाहता हूं। लेखपाल की तनख्वाह इतनी कम है कि जो ए० सी० ओ० का चपरासी है उसको भी उससे चार रुपये ज्यादा मिलते हैं। लेखपाल चकबन्दी का पांव है, जिस पर चकबन्दी खड़ी हुई है। बगैर उसके चकबन्दी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। (व्यवधान) ऊपर की आमदनी होगी लेकिन लेखपाल गरीब की ऊपर की आमदनी भी बहुत कम है। तो चकबंदी स्कीम का मस्तिष्क अगर ए० सी० ओ० है तो चकबन्दी स्कीम का पांव लेखपाल है। अगर उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ सकती तो एलाउंसों के रूप में उसको जरूर कुछ देना चाहिये।

जहां भी चक काटे जाते हैं--मुझे एक किसान कार्यकर्ता होने के नाते सैकड़ों चक देखने को मिले--एक-एक नम्बर लेखपाल की उंगली पर होता है। अगर वह इतनी दौड़ धूप न करे तो चक किसी भी हालत में कट नहीं सकते। उस व्यक्ति के साथ निष्ठा होनी चाहिये। जहां तक सी० ओ० का सम्बन्ध है, उसको मिलने वाला वेतन और भत्ते और दूसरी सुविधायें काफी संतोषजनक हैं। लेकिन ए० सी० ओ० को मिलने वाली सुविधाओं में वृद्धि करने की बहुत जरूरत है क्योंकि ए०सी०ओ० का जो ग्रेड है और उसको जो दूसरे भत्ते मिलते हैं उनकी मात्रा बहुत कम है, खास तौर से उस जिम्मेदारी को देखते हुये जिसको वह वहन करता है। अगर वह एक मर्तबा चक खराब कर देता है तो फिर उन चकों का ठीक होना कठिन हो जाता है। मैं समझता हूं कि उसको मकान के किराये के तौर पर अतिरिक्त भत्ता मिलना चाहिये। इसी प्रकार टी० ए० भी जैसा सी० ओ० को मिलता है उसके टी० ए० में भी वृद्धि होनी चाहिये। स्टेशनरी अलाउंस के तौर पर उसको आठ या दस आने दिये जाते हैं जो बिलकुल हास्यास्पद है। उसमें भी वृद्धि होनी चाहिये। इसी प्रकार कंसालिडेटर के बारे भी मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह जो तीनों नीचे के कार्यकर्ता हैं, लेखपाल, ए० सी० ओ० और कंसालिडेटर, इनके वेतन और भत्तों में जरूर वृद्धि होनी चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[आचार्य दीपंकर]

एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं। पहले मुजफ्फरनगर, सर्धना, मुसाफिरखाना, बिलारी तहसीलों में जो चकबंदी हुई वहां एक-एक किसान को सात-सात, आठ-आठ चक दिये गये। उसके विरुद्ध आवाज उठी। तब से शायद इस विभाग के उच्चाधिकारियों या मंत्री जी ने आदेश दिये हैं कि दो चक नहीं होने चाहिये, एक ही चक होना चाहिये। सिद्धांत रूप में मैं इसको स्वीकार करता हूं। परन्तु अनुभव यह है कि एक ही चक बनाये जाने की वजह से आम तौर से गरीब किसान को नये रूप में नुकसान उठाना पड़ रहा है।

पहले ज्यादा चक होने की वजह से उसको नुकसान उठाना पड़ा और अब जब यह नियम बना दिया गया है कि एक ही चक बनाया जाय तो उसकी वजह से अब उसको रूपान्तर में नुकसान होने लगा है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह उस आदेश को ढीला करें जिसके बारे में उन्होंने सख्ती से यह हुक्म दिया कि एक ही चक होना चाहिये। उसकी वजह से किसानों को क्षति उठानी पड़ रही है और दो या तीन चक अगर बनाने होते हैं तो उनको विशेष रूप से उच्च अधिकारियों से मंजूरी लेनी होती है। सरकार से मैं चाहूंगा कि इसके बारे में वह तरमीम करे और इस सख्त पाबन्दी को ढीला करे।

मैं भूमि अभिलेखों के बारे में भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि एक ही बाप के बेटे दो सगे भाई जो कि अपने पिता की जमीन जोते हुये हैं एक दूसरे के शिकमी बने हुये हैं जिसकी वजह से उनको ज्यादा लगान देना पड़ता है। बार-बार कहा गया। पिछली बार भी बजट अधिवेशन के अवसर पर और राजस्व विभाग के अनुदानों पर होने वाली बहसों में मेरे अलावा बहुत से अन्य माननीय सदस्यों ने भी इसके ऊपर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था और शायद मंत्री जी ने यह आश्वासन भी दिया था कि इसके बारे में सोचा जायगा। लेकिन अभी तक वह बात प्रचलित है। जब इस बात का पता लगा लिया गया है कि दो सगे भाई हैं और वह बराबर जमीन जोत बो रहे हैं तो फिर उनका एक दूसरे का शिकमी लिखा जाना उचित नहीं है। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इस सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं यद्यपि वह कठिन है और माननीय मंत्री जी कह सकते हैं कि अब समय बहुत गुजर गया, इसम हमारे लिये कुछ कदम उठा सकना मुश्किल है, तब भी मैं उनसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जहां पुरान चकबंदी कानून के मुताबिक चकबंदी हुई थी उन जिलों में सार्वजनिक उपयोग के लिये जमीन लेने के लिय जो प्रणाली थी उसको चालू नहीं किया गया था और इसी वजह से प्रत्येक किसान को अपने चक तक पहुंचने के लिये रास्ते नहीं दिये गये थे। यह रास्ते न दिये जाने की वजह से आज तहसील कैराना मुजफ्फरनगर में और तहसील सरधना मेरठ जिले में बहुसंख्यक किसान बहुत ज्यादा परेशान हैं। उस टाइम पर तो सिर्फ वह लोग परेशान थे जिनके चक खराब हुये थे, लेकिन आज जिनके चक बहुत अच्छे हुये थे वह भी यह शिकायतें करते हैं। चकबंदी का काम वहां पर पूरा हो चुका है और कब्जा दिया जा चुका है। लोग अपने नये चकों में खेती कर रहे हैं। तो भी मैं माननीय मंत्री जी से यह आपके द्वारा प्रार्थना करना चाहता हूं कि उनको कोई प्राविधान ऐसा करना चाहिये चाहे वह लैन्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट में मुनासिब संशोधन करें या पब्लिक यूटिलिटी के नाम पर जो जमीन ली जाती है उसमें कुछ तरमीम करें, जिस किसी रूप में भी सही लेकिन उस पुराने कानून के मुताबिक होने वाली चकबंदी के क्षेत्र में प्रत्येक किसान को अपने चक तक जाने के लिये रास्ता देने का कोई तरीका उनको जरूर सोचना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, अलावा इसके एक बात मैं अपने मेरठ जिले की कहना चाहता हूं। वह यह कि वहां चकबंदी का काम दो तहसीलों में एक साथ चल रहा है। वहां के प्रत्येक जन कार्यकर्ता और किसान कार्यकर्ता ने सरकार से यह मांग की है कि वहां एक सहायक बन्दोबस्त अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिये। यह सहायक बन्दोबस्त अधिकारी की नियुक्ति न होने की वजह से और कार्य की अधिकता के कारण कोई भी बन्दोबस्त अधिकारी जो वहां पर जाता है

थोड़े ही दिनों में वहां से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर जाने की कोशिश करने लगता है। पहले एक श्री उपाध्याय जो कि बहुत ही अच्छे सेटिलमेन्ट आफिसर थे वह सहायक बन्दोबस्त अधिकारी न मिलने की वजह से वहां से गये। उसके बाद दूसरे आये, वह भी कार्य की अधिकता के कारण बीमार हुये, टी० बी० के अस्पताल में बीमार होकर पड़े। अब माननीय मंत्री जी ने एक और सज्जन को भेजा है। उनके कार्य से हमें अभी परिचय नहीं हो पाया है। तो मैं आशा करता हूं कि जो पीछे के जिले हैं, खास तौर से जिन जिलों में दो दो तहसीलों में कार्य हो रहा है वहां पर सरकार को एक सहायक बन्दोबस्त अधिकारी की नियुक्ति अवश्य करनी चाहिये। और कहीं वह करें या न करें मेरठ के लिये मैं जरूर प्रार्थना करता हूं कि वहां पर वह जरूर दूसरे बन्दोबस्त अधिकारी की नियुक्ति करें। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का मौका दिया।

श्री उपाध्यक्ष—केवल १० मिनट का समय है आपके लिये राजा साहब।

***राजा वीरेन्द्रशाह** (जिला जालौन)—श्रीमन्, ठीक है जैसा आप उचित समझें। मेरा इरादा इस अनुदान पर बोलने का नहीं था, लेकिन भीखालाल जी ने कटौती का प्रस्ताव रखते हुये जो विचार प्रकट किये हैं उनके विरोध में मुझे खड़ा होना पड़ा। हमारे मित्र यह कहते हैं कि गांव समाजों ने ३२ लाख एकड़ जमीन जो बांटी वह सरकार का हुक्म होने पर भी कि किसानों को दी जाय, बड़े-बड़े जमींदारों को बांट दी।

श्री भीखालाल—मैंने श्रीमन्, यह नहीं कहा था कि ३२ लाख एकड़ उन्होंने बांटी। मैंने यह कहा था कि ३२ लाख एकड़ उनके पास थी, लेकिन उन्होंने केवल ३ लाख एकड़ बांटी।

राजा वीरेन्द्रशाह—जितनी भी बांटी हो, लेकिन जिन किसानों के पास थी ही नहीं उनको देने का क्या हक है? जिनके पास कम थी या जिनकी मेंड़ पास में थी और उनसे उनको नुकसान पहुंच जाता है तो उनको देने की आवश्यकता थी, वह उन्होंने दी। अगर आपको लेना है तो सरकार से मांगिये। ९० लाख एकड़ जमीन पड़ी हुई है उसको बंटवा लीजिये। गांव समाज ने ठीक ही किया है कि जिनके पास जमीन कम है उनको देने से काम में आ सकती है। इसमें भी हमारे मित्र को वही पूंजीवादी शब्द की बात याद आ गयी। लेकिन ये जो नये नेता जमींदार हैं या जो नयी नयी पार्टियों के प्रभावशाली लोग हैं उन्होंने इसमें हथियाने की कोशिश की। हमारे पास तो जो थी वह हदबन्दी हो रही है उसमें निकल जायगी। मैं अपने मित्र से कहूंगा कि वह भ्रम में न डालें। लोगों का भ्रम अब दूर हो चुका है। जब चीन का हमला हुआ तब आपने जो स्वागत का जलूस निकाला उससे आपकी छिपी हुई बात खुल गयी। अब सब लोग जान गये हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी कितने हित की बात करती है। अब आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। अब दूसरों की आड़ में आप अपनी पार्टी की बात मत कीजिये।

अब मैं सरकार से यह कहता हूं कि जो उसने वसूली का तरीका अमीनों के द्वारा करवाने का रखा है वह ठीक है। उसका रुपया फौरन वसूल हो जाता है और साथ ही साथ जो बेकारी बढ़ रही है उस समस्या को भी आप इस तरह से दूर कर रहे हैं। तो इस को स्थायी बनाइए और इसी सिस्टम को रखिये और अगर गांव समाजों को वसूली दे दी तो बड़ी गड़बड़ी होगी और उसी तरीके की गड़बड़ी होगी जैसी सहकारी खेती के मामले में हो रही है।

इसके अलावा जो लेखपालों के द्वारा अल्पबचत योजना के लिये रुपया वसूल करा रहे हैं वह जनहित में नहीं है। जब ये रेवेन्यू विभाग के लोग वसूल करने जाते हैं तो इनका कोटा फिक्स हो जाता है और घूम फिर कर देखते हैं कि किस किसान से वसूल हो जायगा। ये लोग जाते हैं तो कहीं कहते हैं कि बन्दूक का लाइसेंस लेना हो तो रुपया दो, कहीं टी० बी० सील्स लगाते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[राजा वीरेन्द्रशाह]

हैं कि अंग्रेजों के जमाने से जो डिपार्टमेन्ट करते चले आये हैं उनको सरकार को बन्द करना चाहिये। आज हमको आजाद हुये १४ वर्ष हो गये हैं उसमें परिवर्तन होना चाहिये। वे डिपार्टमेन्ट वैसे ही करते चले आ रहे हैं इसको सरकार को महसूस करना चाहिये। मैं यह कहूंगा कि आप परिवर्तन लाये लेकिन वह प्रेमभाव से लायें। प्रत्येक से वसूल किया जाय लेकिन इस तरह से डरा धमका कर वसूल न किया जाय ।

दूसरी चीज में यह कहूंगा कि लेखपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वह काबिज का नाम लिख दे कि फलां काबिज है। इससे बड़ा अन्याय होता है। मेरा सुझाव यह है कि सरकार लेखपाल से रिपोर्ट तो ले ले कि कौन काबिज है लेकिन उसको लिखने का अधिकार न दे। तहसीलदार या नायब तहसीलदार जांच कर ले उसके बाद उसका इन्दराज करे। तब कोई गड़बड़ नहीं होगी और इस तरह से जो परेशानी होती है उससे लोग बच जायेंगे।

जो सभापति को अधिकार दिया गया है, मैं कह सकता हूं कि सभापति को कोई लिस्ट नहीं दी जाती और न सभापति को उसके देखने का मौका मिलता है। इसलिये यह अधिकार तहसीलदार के द्वारा होना चाहिये कि उनके जरिये से वह उसको जाय और इस तरीके से न किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और अपने सुझाव मंत्री जी की सेवा में पेश करता हूं।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर अपना मत व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। मुझे ज्यादा नहीं कहना है। मैं माननीय दीपंकर जी ने, जिस ओर इशारा किया है, उस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। उनका कहना है कि पिछले तीन सालों में चकबंदी विभाग की गड़बड़ियों में कमी आई है। मैं उनसे कुछ अंश तक सहमत होते हुये इस सिलसिले में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अब स्थिति फिर उसी प्रकार की हो गयी है। यह एक बहुत ही कीमती तजुर्बा रिफार्म के नाम पर हमारे सूबे में चल रहा है चकबंदी की योजना का। सन् १९५४ में चकबंदी की योजना को चालू किया गया और इसकी कुल लागत १० करोड़ रुपया होने वाली है। इस वर्ष १९६१-६२ के साल में लगभग २ करोड़ रुपया हम इस पर खर्च करने जा रहे हैं।

मान्यवर, कोई भी योजना चलाई जाती है तो वह किसानों की भलाई के लिये और दूसरा पहलू जो हमारे सामने रहता है वह यह रहता है कि हमारी पैदावार की बढ़ोत्तरी हो। मैं यह निवेदन करूंगा कि पिछले ७ साल से चकबंदी के आपरेशन्स चल रहे हैं हमारे सूबे में और यह भी मैं निवेदन करूंगा कि रबी अभियान और खरीफ अभियान आदि चल रहे हैं इसलिये कि पैदावार हमारी बढ़े। जापानी खेती द्वारा और लाइन में रोपाई आदि यह तमाम तरीके हमारे किसानों को बताये जाते हैं, लेकिन फिर भी कृषि की पैदावार हमारे यहां बढ़ती नहीं है। इस चकबंदी की योजना से हमारे प्रदेश की पैदावार काफी घट चुकी है उसकी वजह क्या है? इतने दिनों तक ७ साल तक जो तहसील चकबंदी की योजना के अन्दर रही है उसका नतीजा क्या हुआ है? जैसे ही नोटिफिकेशन गजट में हुआ उसी दिन काश्तकार समझ जाता है कि अब यहां चकबंदी हो रही है। उसका खेत, पता नहीं चलता कि किसके चक में जायगा तो वह अपने खेत में खाद नहीं डालता है और न अच्छी देखभाल करता है। उसका असर पैदावार पर पड़ता है। उसकी जोताई वह कम कर देता है। इस वजह से पैदावार घट जाती है।

मैं एक बात यह निवेदन करूंगा कि चकबंदी में व्याप्त भ्रष्टाचार का नाम मैं लेना नहीं चाहता। काफी लोगों ने नाम लिया है।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

इस समय यहां पर गोयल जी मौजूद नहीं हैं। उनको बड़ा फख्र है कि उनके यहां चकबन्दी की योजना शुरू हुई, लेकिन उनके क्षेत्र के किसी काश्तकार ने उनसे कोई शिकायत नहीं की।

मान्यवर, मेरे अपने क्षेत्र में चकबन्दी की योजना नहीं है लेकिन मुझे व्यक्तिगत जानकारी है विशेषकर आजमगढ़ की सदर और मोहम्मदाबाद तहसील की, और जौनपुर में शाहगंज तहसील की और यूं तो सूबे भर से शिकायतें आती हैं, लेकिन अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर मैं यह कहना चाहता हूं कि इस चकबन्दी योजना के जरिये से आज किसान का गला घोंटा जा रहा है। वह आज इसे चक्करबन्दी योजना के नाम से पुकारता है और प्रदेश में जितने सार्वजनिक कार्यकर्त्ता हैं उन के खिलाफ इस चकबन्दी विभाग के कर्मचारियों ने एक साजिश की है। उन्होंने एक योजना तैयार कर रखी है और चाहे वह सार्वजनिक कार्यकर्त्ता कांग्रेस का हो या विरोधी दल का, अगर चकबन्दी के क्षेत्र में उसका मकान है तो वे सब से पहले उसका चक बिगाड़ देते हैं और फिर काश्तकारों के साथ मनमानी करते हैं। यदि वह सार्वजनिक कार्यकर्त्ता आवाज उठाता है उनकी मनमानी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो कह दिया जाता है कि चूंकि इनका चक बिगड़ गया है इसलिये वह ऐसा कह रहे हैं।

जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील की चकबन्दी के सिलसिले में कई शिकायतें माननीय मंत्री जी के पास आयी हैं, भ्रष्टाचार की शिकायतें आयी हैं और विरोधी दल के लोगों की तरफ से ही नहीं, माननीय मंत्री जी की पार्टी के लोगों की तरफ से भी शिकायतें आयी हैं और उन में भ्रष्टाचार का खुला अभियोग लगाया गया है। वहां अनैतिक कार्य किस तरह होते हैं, घूसखोरी किस तरह होती है, यह सब शिकायतें उनके पास हैं, लेकिन कुछ बदकिस्मती यह है कि वहां से सदन में कई बड़े-बड़े लोग तशरीफ लाते हैं, मंत्रिमंडल में भी वहां के लोग हैं और वे आपस में इस तरह लड़ जाते हैं और कुछ लोग अफसरों की तरफदारी कर रहे हैं।

मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसके लिये इस सदन के सदस्यों की एक कमटी नियुक्त कर दीजिये, चाहे वह दो आदमियों की हो अथवा दस आदमियों की, मैं यह बात माननीय मंत्री जी पर ही छोड़ देता हूं कि वे स्वयं, वहां जा कर व्यक्तिगत रूप से जानकारी करें और समझें कि किस तरह से शाहगंज तहसील के चकबन्दी अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरह इसमें वहां पक्षपात होरहा है और क्या किया है वहां पर चकबन्दी अधिकारियों ने ? मान्यवर, सन् १९५८ का तैयार किया हुआ चक का प्रपोजल दिया गया था उस के लिय अब कहा गया है कि उसे ३१ मार्च तक खत्म कर दिया जाय। नतीजा क्या है ? माननीय मंत्री जी अगर आजमगढ़ आयें तो मैं उन्हें दिखला सकता हूं और आपको यह सुन कर हंसी आयेगी और ताज्जुब होगा कि एक आदमी के ओसारे में एक दूसरे आदमी के चक का खूंटा गाड़ दिया गया। वह ओसारा और बरामदा दूसरे का है और चक दूसरे का। इसका कारण क्या है ? सन् १९५८ के प्रपोजल जो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए थे आज फाइनलाइज किये जा रहे हैं और अधिकारियों से कहा गया है कि जल्दी से काम खत्म करो। अगर उसमें दो साल लगाये गये होते और अफसरान ने गांवों में जाकर काश्तकारों से बात चीत कर के समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न किया होता तो आज इतना असंतोष न होता जितना कि आज माननीय माल मंत्री के इस आदेश ने उत्पन्न कर दिया है।

बातें और बहुत सी हैं, जिन में समय की कमी के कारण मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन अंत में एक बात अवश्य निवेदन करना चाहता हूं। आज चीन अपनी सरहद बढ़ा रहा है। नकशों में भारतवर्ष के तमाम हिस्से उस ने अपने देश के दिखा लिये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे पर्वतीय इलाके जो हैं सरहद के क्या उन्होंने उनका कोई बंदोबस्त कराया है ? क्या उनकी मुस्तकिल तौर पर कोई पैमाइश करा के नक्शा मुरत्तब करने की कोई योजना सरकार ने बनायी है ?

आज बिहार और उत्तर प्रदेश के बार्डर का सवाल कई माननीय सदस्यों ने उठाया। उसका भी अंतिम रूप से कोई निर्णय होना ही चाहिये। इस के अतिरिक्त फैजाबाद और

[श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव]

आजमगढ़ जिले के जो बार्डर के गांव हैं उन के ऐडजस्टमेंट का प्रपोजल भी कई साल से चल रहा है। फैजाबाद की टांडा तहसील के बिड़हर परगना के और आजमगढ़ में फूलपुर तहसील के जो उत्तरी इलाके के कुछ गांव हैं, जिनके निवासियों को अपने जिला हेडक्वार्टर्स तक जाने में बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है और प्रशासनिक कठिनाइयां भी उत्पन्न होती हैं। फैजाबाद जिले के लगभग २०० गांव सभाओं ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव माननीय मंत्री जी की सेवा में प्रस्तुत किया कि उनको आजमगढ़ जिले में मिला दिया जाय। इस तरफ आजतक ध्यान नहीं दिया गया। राष्ट्रपति तक लोगों ने पत्र भेजे। ७० मील पर उनका हेडक्वार्टर पड़ता है, और वहां जाने में कितनी परेशानी होती है, इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते हैं। दो दिन लग जाते हैं।

श्रीमन्, गांव समाज सम्पत्तियों की कुछ बातें अभी कहीं गयी थीं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि व्यक्तियों के नाम बताओ। मैं कहता हूं कि आप उनकी जांच कराइये कि किस तरह से गांव समाज के वकील लोग विरोध पक्ष से मिल कर नाजायज तरीके से पैसा कमाते हैं। आप यह पता लगाइये कि उनकी पहले क्या हैसियत थी और अब क्या हैसियत है? मुझे आजमगढ़, जौनपुर, फैजाबाद की व्यक्तिगत जानकारी है कि वहां पर गांव समाज के वकील लोग ठीक तरह से मुकदमों की पैरवी नहीं करते और विपक्ष की तरफ मिल जाते हैं और नाजायज तरीके से पैसा पैदा करते हैं। तथा गांव समाज के हित के विरुद्ध काम करते हैं।

श्रीमन्, गांव समाज की सम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज होती है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे एक कमेटी मुकर्रर करके इस बात की जांच करायें कि जितनी सम्पत्ति उस रजिस्टर में दर्ज है, वह सही मानी में मौके पर गांव समाज के कब्जे में है भी या नहीं। मौके पर उसकी जांच होनी चाहिये। माननीय मंत्री जी अपने भाषण में इसके आंकड़े देने की कृपा करें कि कितनी सम्पत्ति उस रजिस्टर में है और कितनी मौके पर है। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

कुंवर श्रीपालसिंह---श्रीमन्, मैं एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। माननीय पद्माकर लाल जी ने शाहगंज तहसील के बारे में भी कहा है उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शायद इनको भी सुनी सुनाई बात पर मालूम हुआ कि वहां का जो S. O.C. है, खराब आदमी है पर वह बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुझे इसकी निजी जानकारी है। उसके खिलाफ कुछ लोग हैं जो शिकायत करते घूम रहे हैं, अपने स्वार्थ के नाते ही शिकायत की थी, वे उसको बदनाम करना चाहते हैं। पर उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव---मैंने श्रीमन्, किसी का नाम नहीं लिया था।

श्री अध्यक्ष---भीखालाल जी, आपको १५ मिनट का समय मिलेगा।

श्री भीखालाल---अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया। इस कटौती के प्रस्ताव के संबंध में जितने भी माननीय सदस्य बोले, चन्द आदमियों को छोड़ कर सभी ने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया। मैं उन सभी बातों का जवाब देने के लिये यहाँ तैयार हूं जिन्होंने तर्कसंगत बातें कही हैं, बावजूद उन बातों के जिन्हें माननीय वीरेन्द्र शाह जी ने कहा और जिनको तर्क संगत नहीं कहा जा सकता। मैं उनका भी उत्तर देने के लिये तैयार हूं लेकिन मैं उनका जवाब देकर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता।

श्रीमन्, मैं एक बात का उत्तर अवश्य देना चाहता हूं। राजा वीरेन्द्र शाह जी अगर यह चाहते है कि चीन का हौआ खड़ा करके वे कोई भूमि सुधार रोक लें, चीन का हौआ

खड़ा करके वे योजनाओं को रोकवा लें, अमेरिका से समझौता करके देश को विश्वयुद्ध का अखाड़ा बना दें, यह चीज चल नहीं सकती, यह हो नहीं सकता। जब जमींदारी उन्मूलन हुआ, तब आपकी खुल गयी, जब चकबन्दी कानून बना, तब आपकी खुल गयी....

श्री अध्यक्ष--आप कोई व्यक्तिगत हमला न करें।

श्री भीखालाल--मान्यवर, लोगों को कुछ ऐसा भ्रम हो गया कि मैंने कुछ ऐसी बातें कहीं कि जमींदारी उन्मूलन से प्रदेश को फायदा नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि उससे फायदा हुआ। सरकार को उससे फायदा हुआ। उसको उस समय ७ करोड़ मालगुजारी मिलती थी, अब उसे २२ करोड़ मिलती है। पहले २७ हजार पटवारी काम करते थे, अब १८ हजार लेखपाल ही काम करने लगे। जहां पहले पटवारी पार्ट टाइम नौ कर था, अब लेखपाल २४ घंटे का नौकर है। यह सब फायदा हुआ। किसानों का यह फायदा हुआ कि कुछ जमीनों पर उन्हें सीरदारी और अधिवासी के अधिकार मिले। लेकिन इस कानून की खामी यह है कि जितनी जमीनों पर काश्तकारों को सीरदारी और अधिवासी के अधिकार मिलने चाहिये थे उतनी पर नहीं मिल सके। सीरदार बनने के बाद भी उनकी जमीनें उनके हाथ से निकलती गईं और जो इजारेदारी खत्म करने का दावा था वह बढ़ता गया और चन्द आदमियों के हाथों में जमीनों का केन्द्रीकरण हो गया और इसके लिये मैंने अभी सरकार के सामने कुछ तथ्य रखे।

कुछ करप्शन की भी बातें कहीं गईं। इसके सम्बन्ध में मैं भी माल मंत्री जी की सेवा में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। माल विभाग में करप्शन बहुत काफी है और कई प्रकार से वह चलता रहा है। चूंकि मैं इस विभाग में एक जमाने में सेवक रहा हूं और इस करप्शन का शिकार होकर ११ साल की सर्विस के बाद उस विभाग को मैंने छोड़ा इसलिये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस विभाग में काफी करप्शन है जो तब से अब तक कई गुना बढ़ा है। इस में कुछ बुनियादी बातें हैं जिनकी तरफ विभाग का ध्यान जाना चाहिये।

लेखपाल से पहले पटवारी था और उसकी तनख्वाह बहुत कम हुआ करती थी। उसके पीछे यह समझदारी थी कि पटवारी को तो जमीदारों से कुछ हक-हकूक, गल्ला और जोतने के लिये जमीन मिल जाती थी। यह वाजिबुलअर्ज में भी लिखा है। जमींदारी खत्म होने पर वे भी खत्म हो गये मगर लेखपाल की तनख्वाह की बढ़ोत्तरी नहीं हुई। कानूनी शक्ल जिसे दी गई थी वह एक परम्परा में तब्दील हो गई। इसलिये अब उन हक-हकूक को लेखपाल किसानों से लेने की कोशिश करता है और करप्शन बढ़ता है। लेखपाल सरकार का २४ घंटे का नौकर है और सरकारी काम करता है। इसे कानूनी शक्ल देना गलत है कि अगर कोई इन्तखाब लेता है तो लेखपाल काश्तकार से उसकी फीस ले। अगर सरकार उस इन्तखाब पर फीस लगाना चाहती है तो जहां कहीं भी सरकार चाहे किसान से पैसा जमा करा ले बजाय उस लेखपाल को दिलाने के। फीस होती है ४ आने, ८ आने और जहां पटवारी २, ४ रुपये में मान जाता था अब लेखपाल तो १०,२० और ५० रुपये से कम में नहीं मानता है। इन चीजों को मिटाने के लिये जरूरी है कि लेखपाल का वेतन बढ़ाया जाय ताकि इस करप्शन को मिटाया जा सके।

श्री हुकुमसिंह विसेन--करप्ट कर्मचारियों और अधिकारियों के नाम बतलाइये, तभी तो कुछ हो सकता है।

श्री भीखालाल--मान्यवर, और भी बहुत सी चीजें सामने आती रहती हैं, लेकिन अगर हम माल मंत्री जी से कहेंगे या अधिकारियों से कहेंगे तो उसमें कठिनाइयां पैदा होती हैं। अभी माल मंत्री जी ने कहा कि नाम बतलाइये, हमको उदाहरण दीजिये ताकि हम तहकीकात करा सकें। लेकिन सबूत देने के लिये बहुत से ऐसे सर्कमस्टांसेज आ सकते

[श्री भीखालाल]

हैं जिनको हम नहीं बता सकते। एक उदाहरण मैं माल मंत्री के समक्ष रखना चाहता हूं कि सन् १९४७ में लखनऊ-हरदोई सड़क जब बननी शुरू हुई उस समय मलिहाबाद में एक किसान को जमीन एवंवायर की गई, कुछ जमीन परमानेंटली और कुछ टेम्पोरेरी। परमानेंट जो एववायर की गई उसका मुआवजा तो दे दिया गया लेकिन टेम्पोरेरी का आज तक मुआवजा नहीं मिला है। सैकड़ों दरख्वास्तें दी गईं और अधिकारियों से एप्रोच की गयी। हर बार यह कहा गया कि आपके कागज बन रहे हैं। वह मामला हमारे पास भी आया। चूंकि हमारे नजदीक का है, हमारे पड़ोस का है, हमने उस मामले को लेकर अधिकारियों के पास पहुंच की, जिलाधीश लखनऊ से, एस० डी० ओ०, मलिहाबाद और सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से भी मिले और असेम्बली में प्रश्न भी रखे, दरख्वास्तें भी दीं लेकिन आज तक कोई हल नहीं हुआ। पिछले साल सरकार ने आदेश दिये थे कि चूंकि वह जमीन अस्थायी तौर से ली गयी थी इसलिये आपस में समझौता करके उनको मुआवजा दे दिया जाय। जिले से २० हजार रुपये का तखमीना आया। २० हजार को देखकर आर्डर्स हुए कि बातचीत करके दे दिया जाय। जब वह जिले के अधिकारियों के पास गयी तो उन्होंने सोचा कि २० हजार रुपया तो बहुत बड़ी रकम है, ४७ से यूं ही पड़ी थी। कहा गया कि ५ हजार रुपया दो तो तुम को रुपया दिला दिया जाय। रुपया देने से इन्कार करने पर वह मामला आजतक योंही पड़ा है। अब मंत्री जी कहें कि इसके बारे में सबूत क्या है तो उसके बारे में हमारे पास तो सबूत कुछ है नहीं सिवाय इसके कि १३-१४ साल से मुआवजा नहीं मिला और एक साल से सरकार के आदेश हो जाने के बाद भी मुआवजा नहीं मिला। हमें कई बार बुलाया भी गया लेकिन यह भी नहीं बताया गया कि कितना रुपया मिलना है। ऐसा करप्शन है। सरकार को इसे मिटाने का प्रयत्न करना चाहिये।

चकबंदी के बारे में कि वह कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है इसके बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। केवल उसके बारे में मुझे इतना ही कहना है कि जिस प्रकार की चकबंदी शुरू में चल रही थी उससे अच्छी चल रही है, उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, उतनी शिकायतें नहीं है जितनी पहले थीं। लेकिन यह मैंने अवश्य कहा था कि चकबंदी से लाभ आम किसान को नहीं होगा। इसके अतिरिक्त उससे सरकार की यह आकांक्षा है कि उससे पैदावार बढ़ेगी। लेकिन मैं समझता हूं उससे पैदावार नहीं बढ़ेगी और इससे केवल बड़े-बड़े किसानों को ही लाभ होगा, छोटों को नहीं होगा। माननीय बलदेवसिंह जी ने उसकी पुष्टि कर दी। उन्होंने उसकी तारीफ की क्योंकि वे बड़े किसान हैं। किसी भी छोटे किसान ने चकबन्दी की तारीफ नहीं की। अगर सरकार समझती है कि चकबंदी से पैदावार बढ़ेगी तो जिन स्थानों में चकबन्दी हो चुकी है उन स्थानों में कैसी हालत है पैदावार आदि की, इसका इवेल्यूऐशन कराना चाहिये। अगर उससे यह मालूम हो कि पैदावार को प्रोत्साहन मिला है, तब तो हम मान सकते हैं कि पैदावार चकबन्दी से बढ़ सकती है।

आजकल दाखिल-खारिज के मामलों में लोगों को बड़ी दिक्कतें होती हैं। दाखिल-खारिज के मामले पहले भी तहसीलों में होते थे जब कि जमींदारी थी और आज भी तहसीलों में ही होते हैं। लेकिन उस वक्त जमींदारों की तादाद बहुत कम थी और आज काश्तकारों और खेतिहरों की तादाद बहुत ज्यादा है, कई गुनी है। इसलिये दाखिल-खारिज के मुकदमे भी तहसीलों में कई गुने हो गये हैं, काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मुकदमे पिछड़े रहे हैं, किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है। इस बारे में मैं माननीय नेता विरोधीदल से सहमत हूं कि दाखिल-खारिज के मुकदमों को अदालत पंचायतों के सुपुर्द कर दिया जाय। जिस प्रकार सरकार ने उनको माल और फौजदारी के बहुत से अधिकार दे रखे हैं वैसे ही दाखिल-खारिज

के भी अधिकार उनको दिये जायं। लेकिन अगर कोई मुकदमा निजाई हो जाता है तो अदालत पंचायतों को उसके फैसला करने का अधिकार न रहे। उसको आप चाहे जहां फैसल करायें लेकिन दाखिल-खारिज पंचायती स्तर पर होना चाहिये। इससे किसानों को सहूलियत होगी और डिस्पोजल भी जल्दी होगा तथा गड़बड़ियां भी नहीं होंगी। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को सदन के सामने रखता हूं और निवेदन करूंगा कि उसको मंजूर किया जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तमाम दिन अपने तमाम मित्रों की बातें सुनीं। तरह-तरह की उक्तियां भी आयीं और कुछ लोगों ने बिना वजह गर्मी भी दिखलायी, वैसी गर्मी मैं तो दिखला नहीं सकता। लेकिन जब मैं सबेरे से सुन रहा था तो पहले मेरे दिल में एक ऐसी नाउम्मीदी पैदा हुई कि आया यह रेवेन्यू विभाग जो सारे ऐड-मिनिस्ट्रेशन का बैकबोन है उसके सम्बन्ध में विरोधी दल के किसी नेता ने, किसी बड़ी बन्दूक ने कोई फायर नहीं किया, किसी लीडर या डिप्टी लीडर ने इसमें भाग नहीं लिया तो मेरे दिल में ऐसी भावना पैदा हुई और इससे मैं हतोत्साहित हुआ कि आया अब यह विभाग इतना निकम्मा और अनइम्पार्टेंट हो गया कि आज उस पर कोई बोला तक नहीं। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि ऐसी बात नहीं हो सकती। मैंने सोचा कि नेताओं ने यह तय किया कि गैरजिम्मेदारी वाली बात उनके मुंह से नहीं निकल सकेगी लिहाजा हम खामोश रहें। चूंकि वे जिम्मेदारी के साथ इसकी कोई आलोचना नहीं कर सकते थे इसलिये उन्होंने खामोशी अख्तियार की और गैरहाजिर भी रहे और नये जनरेशन के हाथ में छोड़ दिया कि वे जो चाहें कहें। जब ऐसी बात मेरे दिल में आयी तो मुझे कुछ सन्तोष हुआ कि नहीं, हतोत्साह होने वाली बात नहीं है।

हमारे मित्र भीखालाल जी ने एक बात कही कि सन् ५२ में जमींदारी एबालिशन कमेटी की रिपोर्ट में जो ३८ हजार एकड़ कल्टीवेटेड एरिया की बात लिखी हुई है उससे भी ज्यादा रकबा बढ़ गया है और उनका खयाल है कि वह सब बड़े जमींदारों और काश्तकारों के पास चला गया है। लेकिन अगर हमारे मित्र मुझसे पहले पूछ लेने की तकलीफ करते तो मैं बतला देता कि सन् ५२ की रिपोर्ट है जिसकी फीगर माननीय मित्र ने पढ़ी और जमींदारी एबालिशन तो ८ वर्ष बाद सन् १३६० फसली में हुई। उस वक्त जमींदारों के पास जो जमीन थी गल्ले का भाव बढ़ने पर कुछ तो उन्होंने लेट आउट कर दिया, जिससे कुछ कल्टीवेटेड एरिया में बढ़ोत्तरी हो गयी। इसी तरह से रामपुर और काशी राज्य की जमीन भी मर्जर के बाद हमारे यहां आयी, कालोनाइजेशन से भी बहुत-सा रकबा जेरे काश्त आया, इसी तरह से यूटि-लाइजेशन ऐक्ट और रिक्लेमेशन भी वजह से की रकबा बढ़ गया। तो एकबारगी जो मेरे मित्र कहने लगे कि बड़े-बड़े जमींदारों और काश्तकारों के पास जमीन चली गयी, यह बात गलत है। मैं सोचने लगा कि ऐसी बदउनवानी तो मैंने की नहीं फिर मेरे मित्र को यह गलतफहमी कैसे हो गयी।

मेरे मित्र ने यह भी कहा कि चकबन्दी से कोई लाभ नहीं हो सकता। यह तो मुझे आज एक नयी बात मालूम हुई। जब मैं वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में जाता हूं जहां कि चकबन्दी हो गयी है, तो वे तो सब लाभ ही लाभ कहते हैं। चक वालों ने उसमें अपने कुएं बनवा लिये हैं, वहीं अपने मकान बनवा लिये हैं, अपने सारे सामान को उन्होंने वहीं इकट्ठा कर लिया है और इस तरह से अपनी जमीन को डेवलप कर लिया है। तो जहां चकबन्दी हुई है वहां का तो यह तजुर्बा है लेकिन श्री भीखालाल जिनके यहां शायद अभी खाते बने भी नहीं होंगे, उनकी राय इसके विरुद्ध है। बहराइच में भी चकबन्दी हो रही है और मुझे खुशी है कि एक भी शिकायत मेरे पास नहीं आयी है। करप्शन वाले को हर जगह करप्शन ही दिखलायी पड़ता है। अब अगर किसी के ऐनक में ही दोष हो तो उसको मैं तो दुरुस्त कर नहीं सकता। उसके लिये तो सीतापुर ही जाना पड़ेगा।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

इस वक्त श्री भीखालाल की राय बदली है और वे कहते हैं कि बड़े काश्तकारों को फ़ायदा है, छोटों को फ़ायदा नहीं है। अगर कोई छोटा काश्तकार है और अपने घर का अकेला है और उसके ४ खेत हैं एक पूरब, एक पच्छिम, एक उत्तर और एक दक्खिन और वह बेचारा अगर सब में मक्का बो दे तो कैसे अपनी खेती को रखायेगा? उसकी तो सारी खेती कौये और तोते खा जायंगे। अगर एक जगह होगी तब तो वह मजे से एक लड़का पीपा या कनस्तर लेकर बिठा देगा और वह उस को पीटा करेगा और कोई नुक्सान उसकी खेती का न होगा और रखवाली हो जायगी। तो मैं उनकी आंखों की तारीफ़ क्या करूं वह जरा पहले चश्मा बदला लें। इसलिये चकबन्दी से तमाम लाभ ही लाभ हैं। पैदावार बढ़ेगी, किसान को हर प्रकार की सहूलियत होगी और इसी कारण से हर जगह उसको पसन्द किया गया है।

मेरे पास तो ऐसी भी दरख्वास्तें आती हैं कि हमारे यहां चकबन्दी पहले करा दी जाय। अलीगढ़ से दरख्वास्त आई है कि हमारे यहां सारे जिले में एक साथ ही चकबन्दी कराई जाय। तमाम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द चकबन्दी कराई जाय लेकिन यहां जरा भी चकबन्दी का तजुर्बा नहीं और कह दिया कि मेरी चश्मदीद बात है, रहते हैं आजमगढ़ और कह दिया कि मैं तो शाहगंज और सब जगह देख आया हूं, जाते कहीं नहीं यहीं टहलते रहते हैं और कहते हैं कि चश्मदीद है। वही बात है कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। वह कहते हैं कि शाहगंज के अफसर बेईमान हैं और अभी श्रीपाल सिंह जी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, वह ईमानदार हैं। अब बताइये मैं किस का एतबार करूं, एम० एल० ए० वह भी हैं और वह भी हैं दोनों का एक ही स्टेटस है। मेरे लिये क्या आल्टरनेटिव है, किस का विश्वास करूं और किसका विश्वास न करूं? I am in a fix हर बात को चश्मदीद कह दिया चाहे तजुर्बा न हो, मालूम न हो। इसलिये हमारी बड़ी दिक्कत है, किसकी बात सही मानें।

माननीय पद्माकरलाल जी ने यह भी कहा कि गांव समाजों के विषय में जो पैंगेल आफ लाइयर्स है वह रिश्वत लेते हैं। मैंने उनसे तभी कहा था कि उनका नाम बता दीजिये तो कहते हैं कि मिनिस्टर नाम पूछते हैं। तो हम बिना नाम के किसको उनके कहने से सजा दे दें, कैसे किसी को बरखास्त कर दें? कल को हमने बरखास्त कर दिया उनके कहने पर और किसी ने रिट दायर कर दिया तो हमें तो अगर साबित न कर सके तो तनख्वाह देनी पड़ जायगी। उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम भी वकील हैं, वह भी वकील हैं। वह हमें लिख कर नाम दें और पूरा सबूत दें, यह नहीं कि असेम्बली में किसी को भी कह दिया जाय, डेमोक्रेसी में खाली कहने से तो हम किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते। अगर रिट में सरकार हार जाय तो हम मुस्तौजिब बदनाम हों। नाम लेने से ही काम नहीं होगा, हमारी मजबूरियां हैं।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव---नाम, कुंडली सब भेज देंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन---कुंडली तो आप बनाते ही हैं। अगर दे सकते हैं तो नाम और सबूत दीजिये। हम तहकीकात करायेंगे और अगर साबित होगा तो सजा भी देंगे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---मैंने तमाम लिखा और सब कुछ बताया, लेकिन कुछ नहीं किया गया। रिमाइंडर भी दिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन---तहकीकात हो रही है।

कुछ माननीय मित्रों ने सुझाव दिया कि गांव पंचायतों के द्वारा मालगुजारी की वसूली कराई जाय। खयाल बहुत अच्छा है, और हमने इस खयाल को पहले पसन्द भी किया था और उस पर एक्सपेरीमेंट भी किया। लेकिन ८ साल का अनुभव करके तजुर्बा तल्ख हुआ लिहाजा उस स्कीम को मन्सूख किया गया। जिस स्कीम को आपने सन् ५९ में स्थायी

किया है 'Integrated Collection Scheme.' उसके अनुसार अब अमीनों से वसूली करा रहे हैं। वह अपना टैक्स ही वसूल नहीं कर सकतीं तो हम यह जिम्मेदारी उन पर डाल कर उनको बदनाम करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि लोगों का कानफीडेंस उनमें बना रहे और किसी तरह की बदनामी पंचायतों को न हो, उन की पोजीशन को हम कमजोर करना नहीं चाहते। वह एलेक्टेड बाडी हैं। जिस तरह से आप की दिक्कतें होती हैं उसी तरह से उनकी भी दिक्कतें होती हैं, हमें उनकी दिक्क़त को महसूस करना चाहिये। उनको भी दिक्कतें मालगुजारी वसूल करने में हैं। अपना टैक्स भी वह नहीं वसूल कर पाते हैं तो हम तहसील को भेज देते हैं। लिहाजा इस सुझाव पर आठ वर्ष के एक्सपेरीमेंट के बाद हम अमल नहीं करना चाहते।

एक बात और कही गई कि दाखिल-खारिज के मामले, म्यूटेशन और करेक्शन आफ रेकार्ड के मामले पंचायतों के जरिये से हों। यह कोई नई बात नहीं है। हमने यह किया। पंचायत राज ऐक्ट में उसका प्रावीजन था। हजारों की तादाद में मुकदमें रहे। बंडल बने और तहसील पहुंचाये गये। कोई हुक्म नहीं, this way or that way। वह तहसील में पहुंच गये तो वहां एरियस हो गये। तो हम उसके लिये रेग्युलर तहसीलदार या नायब तहसीलदार और बढ़ावें। तो हमारा ध्यान इस तरफ जाता है लेकिन एक्सपेरीमेंट करने के बाद जब देखते हैं कि यह कामयाब नहीं है तो बदलना पड़ता है। अभी आपने लैंड लाज़ अमेंडिंग बिल पास किया है, एस्सेंट हो कर आई है, उसमें भी तहसीलदार और नायब तहसीलदार को म्यूटेशन और करेक्शन के केसेज को करने के लिये अधिकार दिये हैं। पहले हाकिम परगना किया करता था। हाकिम परगने के करने में दिक्क़त होती थी। हमारे किसान को एक छोटे से मुकदमे के लिये सदर जाना पड़ता था, वहां गवाह ले जाने पड़ते थे। तो हमने उसे तरमीम कर दिया है कि तहसील में हो जाएगा। तहसील नजदीक है। वहां किसान चला आया और काम कर के चला गया। तो इस तरह से हम सारी सहूलियतें देना चाहते हैं।

हमारे भाई भीखालाल जी ने कहा कि आखिर यह सरकार क्या करती है, जनता की, किसानों की कैसे तरक्की हो? अब यह कोई बताने की बात है। यह कोई नई बात तो नहीं है। अगर १९५० से ट्रेस किया जाय कि जो कानून इस सदन ने पास किये हैं और कांग्रेस सरकार ने कराये हैं तो अंदाज लग जाएगा कि क्या किया। हमने जमींदारी एबालीशन किया, सब-टेनेन्ट को असामी बनाया, अधिवासी बनाया, सीलिंग भी लगाई। इससे लाभ हुआ या नहीं? कुछ मित्र कहते हैं कि साहब, कोई लाभ नहीं हुआ.....

श्री गौरीशंकर राय––बात सही है।

श्री हुकुमसिंह विसेन––गांव में आप रहते नहीं हैं, रहना छोड़ दिया है। अगर आप दारुलशफा में ही कंफाइन्ड रहेंगे तो नहीं मालूम होगा कि देहात में क्या हो रहा है? देहात में आज किसान मूंछ मरोड़ कर, सीना उभार कर, अकड़ कर चलता है। बेगार भी बंद हो गई है। जब जमींदारी खत्म हो जाएगी तब पहाड़ों में भी वही होगा। तो हमारे किसान में स्वाभिमान आ गया है। अब वह बात नहीं है कि हम भेड़ी हैं भेड़ी। वह सीधा आता है और आमने-सामने बात करता है। जो लोग गांव से कोई ताल्लुक नहीं रखते वह नहीं जान सकते हैं। वह तो समझते हैं कि वही पुराना गांव है। इसीलिये तरह-तरह के लेक्चर देते हैं। गांव में आप जाकर देखिये, जहां गन्ना वगैरह बोया जाता है। जो बनाता है कच्चा नहीं बनाता बल्कि पक्का मकान बनाता है, चाहे छोटा ही बनाये। गाय है, बैल हैं, साफ कुर्ता है, झोला भी है, सायकिल भी है, सभी बातें हैं। गांव में आप को लिपिस्टिक भी मिल जाएगी। कोई तकलीफ होगी नहीं। ये सब चीजें हैं। तो ये सब चीजें किसी ने जाकर बख्श दीं या उधार दे दीं? जब चार पैसे खाने-पीने से बचे तो सायकिल भी खरीदी, टार्च भी खरीदी, छोटा-मोटा मकान भी बना। मैं आंकड़ों में नहीं जाता, मैं तो

[श्री हुकुमसिह विसेन]

प्रैक्टीकल आदमी हूं। आप देखिये कि पर कैपिटा इन्कम बढ़ी या घटी। आप देख लीजिये उनके चेहरों से कि बढ़ी या घटी।

श्री पदमाकरलाल श्रीवास्तव---चेहरे पर लिखा हुआ है?

श्री हुकुमसिह विसेन---आप यह भूल गये कि 'face is the index of heart.' यह जुमला न भूलिये, इसे याद रखिये। चेहरे से हर बात दिल की मालूम हो जाती है।

श्री बलदेवसिह---मेरे बगल में यह कह रहे हैं कि सीलिंग मत करिये।

श्री हुकुमसिह विसेन---आप की बगल में हैं इसलिये कहते होंगे, लेकिन जहां जुदा होंगे तो कहेंगे कि सीलिंग जरूर लगाइये। कोई दबाव से मुझसे काम नहीं करा सकता। जो मैं मुनासिब समझूंगा वहीं करूंगा। जो नो कांफिडेन्स मोशन आया था तो उसमें एक प्वाइंट यह भी था कि सीलिंग लगाने में देर क्यों हुई? उसमें आप के भी दस्तखत थे। इसलिये आप चाहते हैं कि सीलिंग लगाई जाय। फिर सदन ने जब हुक्म दिया तो मैं मजबूर हूं, हमें तो हुक्म की तामील करनी है।

कुंवर श्रीपालसिह---अविश्वास के प्रस्ताव में हमारे दस्तखत नहीं थे और इस प्वाइंट पर न हमारी सपोर्ट थी।

श्री हुकुमसिह विसेन---आइटमवाइज तो वह डिसकस हुआ नहीं था। पूरा रिजोल्यूशन हाउस के सामने था। इसके मानी यह हुए कि आप प्रस्ताव के माफिक नहीं थे। हमारे डाक्टर अवधेश कुमार सिनहा बड़े नाराज हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---आप भी तो उनसे बहुत नाराज हैं।

श्री हुकुमसिह विसेन---मैं तो अपने आप से ही बहुत नाराज हूं। मैं नाराज कभी होता नहीं, न कोई गर्मी आती है। बुढ़ापे में हमें क्या गर्मी, नौजवानों में ही गर्मी आ जाती है। उन्होंने कहा कि ठाकुर हुकुम सिह यह बात कहते हैं कि मैं जिलाधीश में अविश्वास नहीं कर सकता। मैं फिर वही बात कहता हूं कि मैं जिस वक्त जिलाधीश पर विश्वास नहीं करूंगा तो वह जिलाधीश नहीं रहेगा। अगर जिलाधीश बेईमान है तो सारे जिले का प्रशासन चौपट हो जायगा। लिहाजा मैं दावे के साथ कहता हूं कि अधिकांश ईमानदार हैं। मैं नहीं कहता कि सब दूध के धोये हैं। एक दो ब्लैक शीप हो सकते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि हरएक जिलाधीश बेईमान नहीं होते। फिर जब कोई रिपोर्ट वह देते हैं तो मैं भी यहां लिखा-पढ़ा हूं। १६, १७ वर्ष का अनुभव है। उनकी सर्विस १० वर्ष की होगी लेकिन मेरी सर्विस तो बगैर किसी ब्रेक के १६, १७ वर्ष की है। मैं भी कुछ अनुभव रखता हूं। मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं कि बगैर देखे दस्तखत कर दूं। मैं भी देखता हूं, सोचता हूं। जहां कहीं लूपहोल होता है मैं पहले ही उंगली रख देता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---टेस्ट कर लेते हैं।

श्री हुकुमसिह विसेन---जरूर टेस्ट करता हूं। आखिर दिन भर दफ्तर में करता ही क्या हूं? हर फाइल में हर आदमी को टेस्ट करता हूं। इसलिये कि जमाने से यह सब करता आया हूं। जरा सब्र कीजिये। हमारा तो एजेंट ही जिले में जिलाधीश है। हम उसी के जरिये से इन्क्वायरी करायेंगे और जब रिपोर्ट आयेगी तो हमारे जो आफिसर यहां हैं सेक्रेटरी वगैरह उनसे उसे स्क्रुटिनाइज कराते हैं और उसके बाद हम भी देखते हैं। तहसीलदार को हमने ट्रान्सफर कर दिया है। खाली करप्शन के कह देने से तो करप्शन बन्द होता नहीं, हम चाहे रोज कहा करें तो भी करप्शन बन्द होगा नहीं।

श्री गौरीशंकर राय---कलेक्टर का यशगान करने से बन्द हो जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अगर पानी छिड़क दें और सब जगह ऊंचे से लेकर नीचे तक बराबर कर दें तो जो ईमानदार है वह भी खराब हो जायगा। फिर ईमानदार भी यह समझेगा कि खराब हो जाओ तो अच्छा है। इससे डिमारेलाइजेशन होता है। जो खराब है उसे खराब कहिये और जो ईमानदार है उसे ईमानदार कहिये। हमारे दीपंकर जी ने---मैं उनको बधाई देता हूं---उन्होंने सही बात कही है।

एक सदस्य---उन्होंने आपको सपोर्ट किया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सपोर्ट नहीं सही बात कही। सही बात चाहे हमारे माफ़िक पड़े या न पड़े मैं तो खुश होता हूं। कुछ सदस्यों ने कहा कि लेखपाल बड़ा बेईमान है। अनुदान शुरू होता है राज्यपाल से और खत्म होता है लेखपाल पर। लेकिन हमारे दीपंकर जी ने बताया कि हमारे चकबन्दी के लेखपाल बड़ी मशक्कत और मेहनत करते हैं, उनका एलाउन्स वगैरह कम है, वह बढ़ना चाहिये। हमारे दीपंकर जी एक पार्टी के नेता हैं, उन्होंने ऐसी बात कही, उनकी बात वजन रखती है और उसमें सोचने की गुंजायश रहती है। दिल में हमारे जगह रहेगी तो कभी न कभी उससे फ़ायदा हो ही जायगा।

हमारे गौरीशंकर जी ने बिहार और यू० पी० की बाउन्डरी की बात कही। हम समझते हैं कि उस बारे में गौरीशंकर जी हमसे कम नहीं जानते हैं। जब हम कान्फ्रेन्स में जाते हैं तो आप भी पीछे-पीछे लगे रहते हैं। मैं पटना गया तो साथ में आप भी गये। वहां जो सारी बातें हुईं वह सब मैंने उनको बता दीं। तो हम तो सीधेपन में आकर बात कर देते हैं और वे यहां आ कर सवाल कर देते हैं, कभी तारांकित, कभी कुछ। तो इस तरह से हमारे सीधेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठाना ठीक नहीं है। अगर बिहार गवर्नमेन्ट के मिनिस्टर ने कोई जवाब अपनी असेम्बली में गलत दिया तो क्या उसके लिये हम जिम्मेदार हैं। हम तो जो जवाब देते हैं उसके जिम्मेदार हैं ?

श्री गौरीशंकर राय---कौन सही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---हमारी बात सही है। माननीय पंत जी ने यह तय किया था कि पहले रेवेन्यू मिनिस्टर्स के लेविल पर बात हो जाय और उसमें अगर कोई ऐग्रीमेंट न हो तो चीफ़ मिनिस्टर लेविल पर होगी। उस आदेश के अनुसार हम गये। हमसे और उनसे ऐग्रीमेंट नहीं हो सका। हमने बैकआउट करने की भी गुंजायश नहीं रखी। अब नेक्स्ट स्टेज चीफ़ मिनिस्टर का आयेगा। उधर बिहार में कुछ गड़बड़ी हो गयी थी।

एक सदस्य---यहां भी गड़बड़ी थी।

श्री हुकुमसिंह विसेन---यहां भी गड़बड़ी थी, लेकिन उतनी सीरियस नहीं थी। अब कोई कहे कि उसी दरमियान में हम एक तारीख मुकर्रर कर दें कि चीफ़ मिनिस्टर मिलें, तो यह हम कैसे कर दें ? होम मिनिस्टर के जरिये से ही दोनों चीफ़ मिनिस्टर मिलेंगे। उधर पंत जी भी बीमार थे। तो ऐसी सूरत में कुछ न कुछ देर हो जाना स्वाभाविक है। लेकिन हमें दुःख है कि गौरीशंकर जी ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि उत्तर प्रदेश की सरकार ईमानदारी से कोशिश नहीं करती। अगर 'ईमानदारी से' लफ्जों का इस्तेमाल न करते तो क्या शोभा कम हो जाती या कुछ असर कम हो जाता। हमारी नीयत पर आप क्यों हमला करते हैं ? हम यहां से पटना गये, इतनी दौड़ धूप की, तो इसमें हमारी ईमानदारी नहीं क्या बदनीयती साबित होती है ? और आप को भी लेते गये और लाये और आप से बातें भी कीं। कितनी नेकनीयती हमारी है ?

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव---अपने किराये से गये थे?

श्री हुकुम सिंह विसेन---मैंने कब कहा कि हमने किराया दिया। यह मैंने कभी नहीं कहा। हम ऐसी छोटी बात नहीं कहते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी नीयत पर हमला न कीजिये। कुछ ऐसे अनएवायडएबिल वजूहात हो जाती हैं जिनकी वजह से देरी हो जाती है और जो वजूहात इस मामले में देरी की हैं वह आप सब को मालूम हैं।

श्री गौरीशंकर राय---हर साल जो डिलिमिटेशन होता है वह भी नहीं करवाया।

श्री हुकुमसिंह विसेन---वेरिफ़िकेशन के लिये मैंने आर्डर भेज दिया।

श्री गौरीशंकर राय---रबी की फसल कट रही है और आप अब आर्डर भेजने चले हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन---कुछ देरी जरूर हुई, इसके लिये मैं माफ़ी चाहता हूं। मैं छिपाना नहीं चाहता, लेकिन हमने आर्डर भिजवा दिया। अब वह जाकर वेरीफाई करें। यह सब बातें हैं।

श्री प्रतापसिंह---तिब्बत के बार्डर के बारे में भी कुछ कह दीजिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन---बार्डर से और रेवेन्यू से क्या मतलब? मैं बेकार की बात नहीं करता।

एक बात और कही गई और उस पर बहुत जोर दिया गया कि रेकार्ड्स गलत हैं। इसके दो तरीके हैं---एक तो रेग्युलर प्रोसीजर है और हमने यह सहूलियत दे दी है कि तहसीलदार के यहां दरख्वास्त गुजर जाय तो वहीं हो जायगी और दूसरा तरीका है कि चकबन्दी में हम सब से पहले करेक्शन आफ रिकार्ड्स ही करते हैं और उसके बाद यह कह देना कि ९० प्रतिशत गलत हैं, ठीक नहीं है। हम समझते हैं १०-१५ प्रतिशत गलत होंगे। कुछ गलतियां जरूर हैं लेकिन उसके बहुत से कारण हैं। लोग गलत इंदराज कराने का भी प्रयास करते हैं, लेखपाल भी जाल में फंस जाता है और गलत इंदराज कर जाता है। फिर भी जैसे-जैसे चकबन्दी होती चली जायगी करेक्शन भी होते चले जायेंगे। पहले करेक्शन होते हैं, फिर नक्शा दुरुस्त होता है और फिर प्रिंसपिल्स बनते हैं यानी इतने काम होते हैं। मेरी यह इच्छा है कि रिकार्ड्स सब करेक्ट हो जायं। एक बात और कह दूं कि इतने बड़े परिवर्तन हुये, जमींदारियां खत्म हुईं और १८-१८ टेन्योर होल्डर्स थे, उनकी तब्दीली हुई और अब केवल तीन ही रह गये हैं और न जाने कितनी रद्दोबदल हुई तो स्वाभाविक है कि गलतियां रहें।

एक बात और कही गई कि मालगुजारी बढ़ा दी। यह बात हमारी समझ में नहीं आई कि मालगुजारी कैसे बढ़ा दी? हां, मालगुजारी इस शक्ल में बढ़ी जैसा कि नागेश्वर जी ने बताया कि पहले केवल ८-९ करोड़ मालगुजारी जमींदार द्वारा सरकारी खजाने में दाखिल होती थी और १९-२० करोड़ जमींदार वसूल करते थे। अब जब जमींदारों को मुआवजा देकर हकूक खत्म कर दिये गये तो सारी मालगुजारी गवर्नमेन्ट के खजाने में आई और इस वक्त २१ करोड़ रुपये की मालगुजारी आती है।

बहुत से ऐसे लोग थे जिनका उलट-पलट में जमीन पर कब्जा चला आ रहा था और वह कोई मालगुजारी देते नहीं थे। ऐसे लोगों पर मालगुजारी लगाई गई है। तो इससे ५३ लाख रुपया बढ़ा और बहुत दिनों से बकाया है। हम जानते हैं कि कोई भी माननीय सदस्य इसको गवारा नहीं करेंगे कि कोई शख्स जमीन से फायदा उठाये और जनता के खजाने में पैसा न आये। अगर इस तरह से मालगुजारी बढ़ी हो तब तो आप कहें कि बढ़ी है। लेकिन हमने रेट में कोई इजाफ़ा नहीं किया है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—जिन लोगों पर पहले मालगुजारी नहीं लगती थी उन पर रेट बढ़ा कर लगी है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—इतने दिनों उन्होंने बेईमानी की। उन पर तो बढ़ेगी ही। अगर हर साल देते होते तो क्यों लगाई जाती? लिहाजा यह कह देना कि मालगुजारी बढ़ी है बिलकुल गलत है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—एतराज का मौका नहीं दिया जाता है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—जब अमीन जाय तब भी एतराज कर लीजिये। लेकिन नहीं करते तो हम क्या करें? हमने यह भी कर दिया है कि एक साल का बकाया वसूल किया जाय। सात-आठ साल का इकट्ठा न किया जाय। हमने कह दिया है, और व्यक्तिगत सब को नोटिस जारी कर दिये हैं। यह भी कर दिया है कि अगर किसी ने वक्त के अन्दर उज्रदारी नहीं की है तो जब पहले-पहले अमीन जाय और उसकी नोटिस में आये उसके एक महीने के अन्दर आब्जेक्शन जारी कर दे और जब तक आब्जेक्शन खत्म न हो तब तक वसूलयाबी न हो। (व्यवधान) यह गलत है। हुकुमसिंह का हुकुम कहीं डिस्प्रोबे हो सकता है? (व्यवधान) शहरी क्षेत्रों में ऐग्रीकल्चरल लैन्ड का डिमार्केशन करवा रहे हैं। ४२९ यूनिट हैं। उनमें कुछ कम्प्लीट हो रही हैं। जहां-जहां डिमार्केशन हो जायगा कर दिया जायगा। हम उसमें देर नहीं करना चाहते हैं।

अलाभकर जोत का लगान माफ करने की बड़ी मांग है। चूंकि सन् ६२ का एलेक्शन करीब है लिहाजा वह स्वाभाविक है। हम बुरा भी नहीं मानते हैं। लेकिन हमने हिसाब लगवा कर देखा है कि लगभग ५० फीसदी जमीन अलाभकर जोत में है। तो ११ करोड़ रुपया कम हो जायगा। फिर कांस्टीट्यूशन के अन्दर आप बटवारा रोक नहीं सकते हैं। तो इतना बटवारा होगा कि सब अलाभकर कर देंगे। लिहाजा एक दिन ऐसा आयेगा जब कि मालगुजारी की रकम बिलकुल खत्म हो जायगी। इस विकास के जमाने में २१ करोड़ की रकम कोई गवर्नमेंट फोरगो नहीं कर सकती। यह रुपया जो जनता के फायदे में लगता है, विकास में लगता है कोई सरकार करे लेकिन जब तक हम हैं हम इसके माफिक नहीं है। मैं साफ कह देना चाहता हूं। नहीं तो एक वक्त ऐसा आ जायगा जब कि मालगुजारी की रकम ही खत्म हो जायगी जो कि कोई गवर्नमेंट अफोर्ड कर नहीं सकती। इन शब्दों के साथ मैं भीखालाल जी का जो कटौती का प्रस्ताव है उसका विरोध करता हूं।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—फैजाबाद और आजमगढ़ के बार्डर के ऐडजस्टमेंट के बारे में बता दीजिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—उसमें तो देरी लगेगी। काम करने में वक्त लगता है। क्रिटिसिज्म करने में वक्त नहीं लगता है।

श्री अध्यक्ष—अब मैं कटौती के प्रस्ताव पर राय ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २—भू-राजस्व के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

अलाभकर जोतों का लगान माफ होनी चाहिये। लगान वसूली गांव सभाओं के माध्यम से हो। उसका २५ प्रतिशत उन्हें दिया जाय। सरकार की वर्तमान भू-अभिलेख नीति गरीब किसानों के हित में परिवर्तित हो, भूमि अर्जन के नियम सरल हों।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २––भू-राजस्व (मालगुजारी) के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर ६,३६,५२,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७––दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में एक रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य––विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

दुर्भिक्ष सहायता संबंधी व्यय की वसूली नहीं होनी चाहिये, दुर्भिक्ष रोकने के लिये उचित व्यवस्था होनी चाहिये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७––दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर ३२,०५,८०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
३१ मार्च, १९६१।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२९ पर)

तालिका

कर्मचारी का पद नाम	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या
सामान्य सर्वप्रबन्धक ..	८	..
सहायक सर्वप्रबन्धक	२८	..
ट्राफिक सुपरिंटेंडेंट्स व स्टेशन सुपरिंटेंडेंट्स ..	४५	१
असिस्टेंट ट्राफिक इंसपेक्टर्स ..	३०५	११

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ २३६ पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र (१९६१) के चौथे शुक्रवार के लिये श्री रामसुन्दर पाण्डेय के तारांकित प्रश्न संख्या ४२ का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
४२—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५८ के अन्तर्गत निर्मित प्रशासन योजना प्रदेश के समस्त शिक्षा संस्थाओं में लागू हो गई है? यदि नहीं तो क्यों?	४२—प्रशासन योजना समस्त शिक्षा संस्थाओं में लागू नहीं हो सकी है क्योंकि अनेक संस्थाओं से निश्चित अवधि के भीतर उनकी योजना प्राप्त नहीं हुई है। संस्थाओं के द्वारा शिक्षा विभाग की स्वीकृति हेतु प्रशासन योजना प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् योजना की जांच करने में समय लग जाता है और इस कारण स्वीकृति के लिये ६ माह का समय रक्खा गया है। यदि योजना में संशोधन आवश्यक होते हैं तो संस्था को प्रतिवेदन के लिये तीन माह का समय दिया जाता है। जुगलकिशोर, शिक्षा मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १३ एल० ए०—१९६१—८४५।